ध्येय IAS®
most trusted since 2003

PERFECT 7

साप्ताहिक समसामयिकी

नवम्बर 2018 अंक 3

विषय सूची

नवम्बर 2018
अंक–3

सात महत्वपूर्ण मुद्दे 01–18

- प्राचीन विरासतों के संरक्षण की चुनौती: एक संस्थागत समस्या
- दिव्यांगों का सशक्तिकरण: वर्तमान समय की आवश्यकता
- भारत-जापान: सामरिक साझेदार
- ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट-2019 और भारत
- अंतर्देशीय जलमार्ग: भारत के नये राजमार्ग
- शैक्षणिक संस्थान और पेटेंट: एक-दूसरे के लिए लाभदायी
- मानव-पशु टकराव: बेहतर प्रबंधन की आवश्यकता

सात विषयनिष्ठ प्रश्न और उनके मॉडल उत्तर 19–24

सात महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें 25–31

सात ब्रेन बूस्टर्स तथा उन पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न 32–40

सात महत्वपूर्ण तथ्य 41

सात महत्वपूर्ण योजनाएँ/परियोजनाएँ 42–45

सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु) 46

सात महत्वपूर्ण मुद्दे

1. प्राचीन विरासतों के संरक्षण की चुनौतीः एक संस्थागत समस्या

चर्चा का कारण

हाल ही में तमिलनाडु सरकार की दो संस्थाओं (Organisations) के बीच प्राचीन वस्तुओं/अवशेषों/कलाकृतियों (Antiquities) के संरक्षण को लेकर विवाद पैदा हो गया। तमिलनाडु पुलिस की 'आइडल विंग' (Idol wing) ने 'एचआरसीई विभाग' पर आरोप लगाया है कि उसने पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृतियों का सही तरीके से सर्वेक्षण करके कम्प्यूटराइजेशन नहीं किया है जिससे इनके चोरी होने पर 'जाँच-पड़ताल' (Investigation) में दिक्कत आ रही है। उल्लेखनीय है कि इसके पहले मद्रास हाईकोर्ट ने एचआरसीई विभाग को आदेश दिया था कि वह मंदिरों में उपस्थित बहुमूल्य कलाकृतियों के रिकार्ड्स (Records) को कम्प्यूट्राइज्ड करें और उनकी उचित निगरानी सुनिश्चित करे।

उल्लेखनीय है कि तमिलनाडु सरकार के 'एचआरसीई विभाग' (Hinidu Religious and Charitable Endowments Department- हिन्दू धार्मिक, दान एवं अक्षय निधि विभाग) का गठन 1960 में राज्य के मंदिरों में उपस्थित पुरावशेष व कलाकृतियों की चोरी रोकने और उनके रखरखाव हेतु किया गया था। इसके अलावा यह विभिन्न मंदिरों के प्रशासन का प्रबंधन और नियंत्रण करता है।

प्राचीन वस्तु या अवशेष (Antiquities)

'पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972' के अनुसार, प्राचीन अवशेष वो होते हैं जो कम से कम 100 वर्ष पुराने हों। ये प्राचीन अवशेष विज्ञान, कला, शिल्प, रीति-रिवाज, धर्म, साहित्य एवं समय आदि से संबंधित ऐतिहासिक मुद्दों को जानने व समझने की दृष्टि से अत्यंत महत्त्वपूर्ण होते हैं।

'पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972' के तहत निम्नलिखित प्रकार की वस्तुएँ 'प्राचीन अवशेष' में शामिल होंगी-

- सिक्का, मूर्तिकला, पेंटिंग एपिग्राफ (Epigraph) एवं शिल्पकला इत्यादि।
- किसी भवन या गुफा से अलग (Datached) कोई लेख और वस्तु।
- वह हर लेख या वस्तु, जो विज्ञान, कला, साहित्य, धर्म, रीति-रिवाजों, नैतिकता और रणनीति आदि की ऐतिहासिक जानकारी देता है।
- केन्द्र सरकार के राजपत्र (Gazette) में अधिसूचित ऐतिहासिक महत्त्व की लेख या वस्तु।
- यदि कोई भी पाण्डुलिपि या रिकार्ड वैज्ञानिक, ऐतिहासिक और साहित्यक दृष्टि से मूल्यवान है तो यह कम से कम 75 वर्ष पुराना होना चाहिए।

प्राचीन लेखों, वस्तुओं या अवशेषों का संरक्षण क्यों आवश्यक है?

प्राचीन लेखों, वस्तुओं या अवशेषों के संरक्षण से हमारी 'कला व संस्कृति' (Art and Culture) का संरक्षण होता है और किसी देश या समाज के गौरवशाली इतिहास का बयान बिना उसके 'कला व संस्कृति' के नहीं किया जा सकता है। सही अर्थों में कला और संस्कृति ही मानव जाति को संतुलन और दृढ़ता प्रदान करती है। इसलिए इस विषय पर विचार करने का अर्थ और मंतव्य यह है कि 'कला व संस्कृति' को जीवित रखने वाले मूल्यों, आदर्शों, विश्वासों, लेखों, वस्तुओं या अवशेषों के संरक्षण हेतु ठोस परिणाम प्राप्त किए जाएँ।

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में 'कला एवं संस्कृति' उतनी ही प्राचीन है जितना मानव का उद्भव। मानव के पास यह (कला एवं संस्कृति) एक अमूल्य निधि है जिसके द्वारा वह मानव है, यदि यह न होती, तो वह पशुवत जीवनयापन करता। इसी से सुसंस्कृत हमारी धरा ने ऐसे गुणवान एवं कर्मठ महापुरूषों को जन्म दिया जिन्होंने अपनी कार्यशैली के बल पर देश में अपनी एक अमिट पहचान बनाई जिससे भारत आज विश्व के पटल पर गौरवान्वित हो रहा है। इन लोगों ने कला के विविध क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण कार्य किए। आज इन लोगों का अनुसरण करते हुए हमें अपनी कला एवं संस्कृति को सहेजने के साथ-साथ निरंतर आगे भी बढ़ाना होगा।

संबंधित मुद्दे

- **अवैध व्यापार (Illicit Trade)-** भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, नौकरशाही की उदासीनता और पुरातनता (Antiquity) से संबंधित कानूनों के खराब कार्यान्वयन ने भारत में प्राचीन वस्तुओं के अवैध व्यापार को फलने-फूलने का भरपूर अवसर दिया है। हाल के वर्षों में यह भी देखा गया है कि इन प्राचीन वस्तुओं की खरीद-फरोख्त आतंकी गतिविधियों हेतु फंड जुटाने के लिए भी किया गया है।
- एक रिपोर्ट के अनुसार, सन् 2012 से 2014 तक 250 से अधिक तस्कर, 'पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972' के तहत पकड़े गए, जिनमें से अधिकतर आंध्रप्रदेश (तेलंगाना सहित) व कर्नाटक राज्य के थे। इन पकड़े गए तस्करों में सिर्फ 6 को ही सजा हो पाई, बाकी सब साक्ष्यों के अभाव व नौकरशाही की उदासीनता के चलते बरी हो गए।
- **डेटाबेस की कमी**- प्राचीन काल की इन महत्वपूर्ण वस्तुओं की 'केन्द्रीकृत सूचना' (Centralised Information) की अनुपस्थिति है और मौजूदा व चोरी की गई कलाकृतियों के एक 'एकीकृत डाटाबेस' (Integrated Database) की कमी है, ऐसे में इन वस्तुओं के चोरी होने का हमेशा उच्च जोखिम बना रहता है। 'एकीकृत डेटाबेस' को निर्मित करने में केन्द्र व राज्य, दोनों ही सरकारें उदासीन हैं, जिसकी बानगी मद्रास हाईकोर्ट के आदेश में देखी जा सकती है। मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के 'एचआरसीई विभाग' को फटकार लगाई थी कि वह अपनी ड्यूटी

को पूरा करने में नाकाम रहा है और प्राचीन वस्तुओं के संरक्षण व रखरखाव के प्रति वह काफी उदासीन है, जो चिंता का विषय है।

- **खराब संरक्षण (Poor conservation)-** संग्रहालयों एवं अन्य जगहों में प्राचीन वस्तुओं का खराब रखरखाव और कुप्रबंधन प्रमुख चिंता है जबकि इन जगहों में संरक्षण के लिए प्राप्त होने वाले वस्तुओं की क्षति पहले से ही काफी हो चुकी होती है, जो संरक्षण की दृष्टि से काफी नाजुक होती हैं।
- **पुरातनता की परिभाषा (Definition of Antiquity)-** 'पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम' के आलोचकों का कहना है कि इस अधिनियम में प्राचीन वस्तुओं/अवशेषों की पुरातनता की परिभाषा (100 वर्षों से अधिक पुरानी वस्तु 'एन्टीक्विटी' मानी जाएगी) इतनी व्यापक है कि जरूरत से अधिक वस्तुएँ इसमें समा गयी हैं, जिससे महत्वपूर्ण वस्तुओं/अवशेषों का संरक्षण गौण हो गया है। अत: यह कानून अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में विफल साबित हो रहा है, जिसमें तत्काल संशोधन की आवश्यकता है।
- **प्रतिकृतियाँ (Replicas)-** इस कानून में पुरातन वस्तु/अवशेष की 'प्रतिकृति' (एक ही आकार, और सामग्री की उसी तरह की दूसरी वस्तु/ अवशेष बनाना) के उत्पादन पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, जिससे मूल वस्तु या अवशेष के चोरी व प्रतिस्थापन होने का खतरा उत्पन्न हो गया है।
- **पंजीकरण (Registration)-** 'पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972' ने सरकार को विभिन्न तरीके के ऐसे अधिकार प्रदान किए हैं, जो पुरातन वस्तुओं के निजी संग्राहकों (Private Collectors) को अपनी वस्तुओं के पंजीकरण हेतु हतोत्साहित करते हैं, जैसे सरकारी अधिकारी पुरातन वस्तुओं के 'अपर्याप्त रखरखाव' (Inadequate Maintenance) के आधार पर कार्यवाई कर सकते हैं। इस तरीके के प्रावधान भ्रष्टाचार व अनुचित कार्यवाईयों को जन्म देते हैं। इसके अलावा, इसने अनजाने में घरेलू व्यापार को हतोत्साहित करके प्राचीन वस्तुओं की तस्करी का नेतृत्व किया है।
- **दंड (Punishment)-** प्राचीन वस्तुओं व अवशेषों की तस्करी को रोकने हेतु भारत में उपस्थित विभिन्न कानूनों व नियमों में दंड प्रावधान बहुत हल्के हैं और जो उपस्थित हैं, उनका प्रभावी कार्यान्वयन भी नहीं हो पा रहा है, जिससे तस्करों या चोरों के मन में कानून के प्रति भय नहीं व्याप्त हो पा रहा है।
- **एएसआई से सम्बंधित मुद्दा-** 'भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण' (ASI) का गठन मुख्य रूप से प्राचीन स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों के रखरखाव, बहाली (Restoration) और संरक्षण के लिए किया गया था। बाद में इसे पुरातन वस्तुओं/अवशेषों के बाजार की निगरानी का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया किन्तु कार्य के अनुपात में इसके संसाधनों को नहीं बढ़ाया गया, जिसने इसके सीमित संसाधनों पर काफी दबाव बढ़ा दिया है।
- **जाँच के साथ मुद्दे- (Issues with Investigation)-** प्राचीन वस्तुओं की चोरी या तस्करी से निपटने वाली जाँच एजेंसियों के पास विशेषज्ञता की कमी है। यहाँ तक कि केन्द्र की सीबीआई जैसी शीर्ष एजेंसी ने अभी तक ऐसे मामलों से निपटने की क्षमता को विकसित नहीं कर पायी है। तमिलनाडु जैसे कुछ राज्यों में प्राचीन वस्तुओं की तस्करी को रोकने हेतु पुलिस की स्पेशल विंग मौजूद तो है, किन्तु वह काफी कमजोर व अयोग्य है। इस प्रकार की परिस्थितियों ने इंटरपोल की चोरी की गई वस्तुओं की सूची में भारतीय वस्तुओं की उपस्थिति दर्ज कराने में सीमितता प्रदान की है, क्योंकि इन एजेंसियों के पास अपने देश की प्राचीन वस्तुओं या अवशेषों के मूल स्थान व अन्य जानकारी से संबंधित अपर्याप्त डाटा है जिस कारण वो यह सिद्ध ही नहीं कर पाते हैं कि अमुक वस्तु भारत की है।

'भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण' के बारे में

संस्कृति मंत्रालय के अधीन 'भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण' (ASI) राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासतों के पुरातत्वीय अनुसंधान तथा संरक्षण के लिए एक प्रमुख संगठन है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रमुख कार्य राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों का रखरखाव करना है। इसके अतिरिक्त, 'प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958' के प्रावधानों के अनुसार यह देश में सभी 'पुरातत्वीय गतिविधियों को विनियमित करता है। यह 'पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972' को भी विनियमित करता है।

राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थलों तथा अवशेषों के रखरखाव के लिए सम्पूर्ण देश को 24 मंडलों में विभाजित किया गया है। संगठन के पास पुरातत्वीय अनुसंधान परियोजनाओं के संचालन के लिए बड़ी संख्या में प्रशिक्षित पुरातत्वविदों, संरक्षकों, पुरालेखविदों, वास्तुकारों तथा वैज्ञानिकों का कार्य दल है।

Note- गैर पुरातन वस्तुओं/अवशेषों (Non-Antiquities) के निर्यात को बाधारहित करने के लिए 'भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण' (ASI) ने 'कस्टम विभाग' में 'गैर-पुरातन प्रमाण पत्र' (Non-Antiquity Certificate) जारी करने हेतु विशेषज्ञों की नियुक्ति की है।

प्राचीन विरासतों के संरक्षण हेतु किए गए प्रयास-

अंतर्राष्ट्रीय प्रयास-

- **सांस्कृतिक संपत्तियों के अवैध आयात-निर्यात और हस्तांतरण आदि को रोकने हेतु सम्मेलन (1970):** यूनेस्को द्वारा 1970 में आयोजित इस सम्मेलन के तहत सांस्कृतिक संपत्तियों की तस्करी को रोकने हेतु एक 'अंतर्राष्ट्रीय संधि' अस्तित्व में आई। वर्तमान में इस संधि पर 137 सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किए हैं।
- **1995 में यूनीड्रॉयट का सम्मेलन (UNIDROTI Convention, 1995):** इटली के शहर में 1995 में यूनीड्रॉयट (UNIDROIT-The International Institute for the Unification of Private Law या Institue International Pour L' Unification Du Drot Prive) द्वारा आयोजित इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य यूनेस्को के 1970 के सम्मेलन के कमजोर पहलुओं को पहचानकर एक सशक्त अंतर्राष्ट्रीय संधि का निर्माण किया जाना था।
- **इतावली सशस्त्र पुलिश बल की कार्बिनियरी सांस्कृति विरासत स्क्वायड (Cultural Heritage Squad of Carabinieri):** 1969 में स्थापित इस स्क्वायड ने लगभग 1.1 मिलियन गायब कलाकृतियों का एक प्रभावशाली डेटाबेस बनाया है और यह पुरातन वस्तुओं/ अवशेषों की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक उच्च स्तर का प्रशिक्षित पुलिस बल है। इसने अपने देश (इटली) के लिए लाखों कलाकृतियों की पुनर्प्राप्ति की है।

राष्ट्रीय प्रयास

संवैधानिक प्रावधान- भारत के संविधान के 'अनुच्छेद 49' में राष्ट्रीय महत्त्व के संस्मारकों (Monuments), स्थानों (Places) और वस्तुओं (Objects) के संरक्षण की बात कही गयी है। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य (State) की यह बाध्यता होगी कि वह संसद द्वारा बनाई गई विधि के अंतर्गत घोषित कलात्मक या ऐतिहासिक महत्त्व वाले प्रत्येक संस्मारक, स्थान और वस्तुओं का संरक्षण करे। इसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 51-क(च) में इस बात की चर्चा की गयी है

कि भारत का प्रत्येक नागरिक हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परम्परा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें।

- ''प्राचीन वस्तु/अवशेष (निर्यात नियंत्रण) अधिनियम, 1947'' की जगह 1972 में 'पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम' लाया गया और इसी अधिनियम के तहत 1973 में नियम (Rules) बनाए गए। 1972 के अधिनियम के तहत निम्नलिखित प्रावधान किये गए हैं-
  - पुरातन वस्तुओं/अवशेषों के पंजीकरण को अनिवार्यता प्रदान की गई है।
  - इस अधिनियम की 'धारा 3' (Section 3) के अनुसार केन्द्रीय एजेंसियों के अलावा अन्य कोई भी पुरातन वस्तुओं/अवशेषों का निर्यात नहीं कर सकता है। इस प्रकार प्राचीन वस्तुओं के व्यापार को विनियमित किया गया है।
  - प्राचीन वस्तुओं/अवशेषों की तस्करी आदि की रोकथाम पर विशेष बल दिया गया है।
- प्राचीन लेखों, वस्तुओं या अवशेषों के चोरी की जाँच-पड़ताल 'सीबीआई' (केन्द्रीय जाँच ब्यूरो) की विशेष शाखा (Antique Cell) करती है।

प्राचीन वस्तुओं/अवशेषों और स्मारकों के लिए राष्ट्रीय मिशन: इस मिशन की शुरुआत संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत 2007 में की गई थी और इसका उद्देश्य विभिन्न स्रोतों से पुरातन वस्तुओं और स्मारकों को एक समान प्रारूप में एकत्रित करके एक 'राष्ट्रीय रजिस्टर' (National Register) तैयार करना है।

इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट (India pride Project)- यह एक प्रकार से सिविल सोसायटी की पहल है जिसके स्वयंसेवक दुनियाभर में फैले अपने नेटवर्क के माध्यम से भारत की प्राचीन वस्तुओं को वापस देश में लाते हैं।

- 'पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972' में 'पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति विनियमन, निर्यात और आयात विधेयक, 2017' के तहत संशोधन प्रस्तावित है। इस विधेयक (Bill) के महत्वपूर्ण प्रावधान निम्नांकित हैं-
  - जब यह बिल 'कानून' में परिवर्तित हो जायेगा, तो 1972 के अधिनियम के तहत जारी सभी लाइसेंस निरस्त (Repealed) कर दिये जायेंगे।
  - यह बिल भी सरकारी एजेंसियों के अलावा अन्य सभी को प्राचीन वस्तुओं/अवशेषों के निर्यात हेतु मना करता है।
  - यह बिल देश के भीतर प्राचीन वस्तुओं के व्यापार पर प्रतिबंध नहीं लगाता है किन्तु व्यापारी/डीलर को सरकार को अपने हर लेन-देन की जानकारी उपलब्ध करानी होगी।
  - इस मसौदे के अनुसार, कोई भी व्यक्ति यदि भारत की प्राचीन वस्तु को वापस स्वदेश वैद्य तरीके से लाता है तो उसे सीमा शुल्क नहीं देना होगा।

नोट: 2017 के इस विधेयक के आलोचकों का कहना है कि इस बिल में पंजीकरण और लाइसेंस के ढीले प्रावधान हैं जिससे चोरी व तस्करी का खतरा बढ़ जायेगा।

आगे की राह

- प्राचीन लेखों, वस्तुओं और स्मारकों आदि के कुप्रबंधन और तस्करी ने 'पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972' की समीक्षा की आवश्यकता को उजागर किया है, जिस पर सरकार को तत्काल ध्यान देना होगा।
- एएसआई को केवल सार्वजनिक पुरातनताओं (Public Antiquities) के संरक्षण और रखरखाव के कार्य को ही सौंपा जाना चाहिए। अतिरिक्त कार्यभार हेतु अन्य एजेंसियों को गठित किया जाना चाहिए।
- 'केन्द्रीय सूचना आयोग' (CIC) ने सरकार को सलाह दी है कि देश में मौजूद और चोरी की गई सभी प्राचीन वस्तुओं/अवशेषों का एक मजबूत और केन्द्रीकृत डेटाबेस बनाया जाना चाहिए।
- प्राचीन वस्तुओं के अवैध आयात-निर्यात को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग व समन्वयन की आवश्यकता है।
- भारत की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए सरकार को आम जनता का सहयोग भी प्राप्त करना होगा।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-1

- भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के रूप, साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू शामिल होंगे।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई-गवर्नेंस-अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं, नागरिक घोषणा-पत्र, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत तथा अन्य उपाय।

■

2. दिव्यांगों का सशक्तिकरण: वर्तमान समय की आवश्यकता

चर्चा का कारण

हाल ही में केन्द्रीय न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) द्वारा 9-11 नवंबर, 2018 तक दिव्यांग युवाओं के लिए वैश्विक आईटी प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया गया। इस वर्ष भारत, कोरिया सरकार और रिहैबिलिटेशन इंटरनेशनल (आर आई) के सहयोग से इस कार्यक्रम की मेजबानी की। भारत 2013 से इस प्रतिस्पर्धा में भाग ले रहा है और पुरस्कार जीतता रहा है पिछले वर्ष यह कार्यक्रम वियतनाम में आयोजित हुआ था।

क्या है वैश्विक आईटी प्रतिस्पर्धा?: दिव्यांग युवाओं के लिए वैश्विक आईटी प्रतिस्पर्धा एक क्षमता निर्माण परियोजना है, जो दिव्यांगजनों को आईसीटी की सहायता से उनकी कमियों पर विजय पाने में मदद करता है। यह डिजिटल अंतर को समाप्त करेगा और समाज में दिव्यांगजनों की सहभागिता को बढ़ाएगा।

कितने देश प्रतिभागी हैं?: इस कार्यक्रम में 18 देशों- इंडोनेशिया, चीन,वियतनाम, मलेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, मंगोलिया, कम्बोडिया, लाओस, फिलीपींस, कोरिया, कजाखस्तान, किर्गिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात, भारत और ब्रिटेन के युवाओं ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। भारत की तरफ से 12 दिव्यांग युवाओं ने इस प्रतिस्पर्धा में भाग लिया। इन युवाओं का चयन राष्ट्रीय आईटी प्रतिस्पर्धा के आधार पर

किया गया था, जिसे राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरूक्षेत्र ने संचालित किया था। 13 से 21 वर्ष आयु वर्ग में दृष्टि दिव्यांगता, श्रवण दिव्यांगता, लोको मोटर दिव्यांगता और विकास संबंधी विकार (बौद्धिक अक्षमता/एमआर) वाले 100 से अधिक युवा इस कार्यक्रम में भाग लिए।

दिव्यांगता से तात्पर्य: निःशक्त या विकिलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 2(न), (जिसे पीडब्ल्यूडी अधिनियम, 1995 के रूप में भी जाना जाता है) "विकलांग व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति के" रूप में परिभाषित करता है जो किसी चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा यथा प्रमाणित किसी विकलांगता से न्यूनतम 40 प्रतिशत पीड़ित है।

जनगणना 2011 के अनुसार दिव्यांगो को सात श्रेणियों में विभक्त किया गया है यथा-दृष्टि दिव्यांगता, वाक् दिव्यांगता, श्रवण दिव्यांगता, चल दिव्यांगता, मानसिक दिव्यांगता, मानसिक दिव्यांगता एवं बहू दिव्यांगता।

दिव्यांगों की वर्तमान स्थिति

वैश्विक स्थिति- विश्व बैंक के अनुसार 1 बिलियन लोग या विश्व की जनसंख्या का 15 प्रतिशत लोग दिव्यांगता से ग्रसित हैं जिसमें विकलांगों की सघनता विकासशील देशों में ज्यादा पायी जाती है। गैर दिव्यांगों की तुलना में दिव्यांगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति दयनीय है। जैसे-निम्न शिक्षा, दयनीय स्वास्थ्य स्थिति, नियोजन की निम्नदर और निर्धनता दर आदि।

- विश्व बैंक के अनुसार दिव्यांगजनों के सामाजिक एवं आर्थिक समावेशन के मुख्य बाधाओं में भौतिक पर्यावरण और परिवहन, सहयोगी यंत्र, तकनीकी संचार के साधनों, सेवा वितरण में अंतर, सामाजिक भेदभाव और पूर्वाग्रह आदि शामिल हैं।
- गरीबी एवं कुपोषण विकलांगता के खतरे को और अधिक बढ़ा सकती है जैसे-अपर्याप्त शिक्षा एवं अपर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएँ, असुरक्षित कार्य करने की स्थिति, प्रदूषित पर्यावरण, स्वच्छ जल और स्वच्छता की कमी आदि।

भारत की स्थिति: भारतीय सामाजिक विकास रिपोर्ट तथा जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 26.8 मिलियन व्यक्ति दिव्यांग हैं जो भारत की कुल जनसंख्या का 2.21 प्रतिशत है जबकि विश्व बैंक के अनुसार, भारत में लगभग 4-8 प्रतिशत लोग दिव्यांग हैं। भारत में कुल दिव्यांगों में से 56 प्रतिशत पुरुष हैं। 70 प्रतिशत दिव्यांग ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं। जनसंख्या के अनुपात के आधार पर सबसे अधिक आशक्तजन सिक्किम, ओडिशा, जम्मू व कश्मीर तथा लक्षद्वीप में पाए गए जबकि जनसंख्या में अशक्तजनों का सबसे कम अनुपात तमिलनाडु, असम व दिल्ली में पाया गया।

इस रिपोर्ट के अनुसार, भारत में लगभग 45 प्रतिशत दिव्यांग निरक्षर हैं। आश्चर्य की बात यह है कि केरल जो कि शत-प्रतिशत साक्षर राज्य है, वहां पर भी 33.1 प्रतिशत दिव्यांग निरक्षर पाए गए।

ध्यातव्य है कि भारत की साक्षरता दर लगभग 74 प्रतिशत है। भारत में 7.5 करोड़ (75 मिलियन) बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। इनमें से लगभग एक-तिहाई बच्चे दिव्यांग हैं। इसके विपरीत जहां एक ओर 20 प्रतिशत बच्चे चलन आशक्तता से ग्रस्त हैं, वहीं दूसरी ओर 0-6 वर्ष की आयु के केवल 9 प्रतिशत बच्चों में यह चलन अशक्तता पाई गई। रिपोर्ट के अनुसार, यह अंतर प्रभावी पोलियो कार्यक्रम की सफलता के कारण हो सकता है।

ध्यातव्य है कि भारत अब पोलियो मुक्त देश घोषित हो चुका है। मानसिक अशक्तता व मानसिक गतिरोध वाले दिव्यांग सबसे कम संख्या में पाए गए। सामाजिक विकास रिपोर्ट, 2016 के अनुसार, भारत में केवल 2 प्रतिशत दिव्यांग किसी व्यावसायिक पाठ्यक्रम से जुड़े हुए हैं। भारत में 64 प्रतिशत दिव्यांग गैर-श्रमिकों की श्रेणी में आते हैं। जहां एक ओर राष्ट्रीय स्तर पर तमिलनाडु 59 प्रतिशत गैर-श्रमिक दिव्यांगों के साथ सबसे कम भयावह स्थिति प्रदर्शित कर रहा है वहीं केरल में 74.52 प्रतिशत (सबसे अधिक) दिव्यांग गैर-श्रमिक की श्रेणी में हैं। इस रिपोर्ट के प्रकाश में दिव्यांगों की समस्याओं पर यदि हम दृष्टि डालें तो निम्नलिखित राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय प्रयास तथा चुनौतियाँ दृष्टिगोचर होते हैं।

सरकारी प्रयास

दिव्यांगता से निपटने के लिए सरकार ने अनेक महत्वपूर्ण कदम उठायें हैं- जैसे

निःशक्त व्यक्ति अधिकार (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995: यह अधिनियम सुगम्यता, नौकरियों में आरक्षण, स्वास्थ्य, शिक्षा और पुनर्वास पर केंद्रित है।

कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999: ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता और बहुविकलांगता इत्यादि से ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 के अंतर्गत वर्ष 2000 में राष्ट्रीय न्यास की स्थापना की गई थी। यह स्वयंसेवी संगठनों, विकलांग व्यक्तियों की संस्थाओं और उनके अभिभावकों की संस्थाओं के एक तंत्र के माध्यम से कार्य करता है। इसके अंतर्गत देश भर में 3 सदस्य स्थानीय स्तर समितियां स्थापित करने, तथा जहां कहीं आवश्यक हो विकलांग व्यक्तियों हेतु कानूनी संरक्षक तैनात करने का प्रावधान है।

विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 के कार्यान्वयन हेतु योजना (सिपडा): विकलांग व्यक्ति अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु विभिन्न कार्यकलापों हेतु विशेषकर विश्वविद्यालयों, सार्वजनिक भवनों, राज्य सरकार सचिवालयों, राज्य विकलांगता आयुक्त के कार्यालय आदि में बाधामुक्त वातावरण सृजित किये जाने हेतु राज्य सरकारों और केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा संचालित संस्थानों/संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

सुगम्य भारत अभियान: सरकार के इस प्रमुख कार्यक्रम का उद्देश्य सक्षम और बाधारहित वातावरण तैयार कर दिव्यांगजनों के लिए सुगम्यता उपलब्ध कराना है। इसे तीन उद्देश्यों- तैयार वातावरण में सुगम्यता, परिवहन प्रणाली में सुगम्यता और ज्ञान तथा आईसीटी पारिस्थितिकी तंत्र में पहुंच पर केंद्रित किया गया है।

यूडीआईडी कार्ड: सरकार ने वेब आधारित असाधारण दिव्यांग पहचान (यूडीआईडी) तैयार किया है। इस पहल से दिव्यांग प्रमाण पत्र की प्रमाणिकता सुनिश्चित करने में बड़ी मदद मिलेगी और अलग-अलग कार्यों के लिए कई प्रमाण पत्र साथ रखने की परेशानी दूर होगी क्योंकि दिव्यांग का प्रकार सहित विभिन्न विवरण ऑनलाइन उपलब्ध होगा।

छात्रवृत्ति योजना: सरकार ने मैट्रिक के पहले (46000 स्लॉट्स), मैट्रिक के बाद (16650 स्लॉट्स) और उच्च स्तरीय शिक्षा (100 स्लॉट्स) पाने के इच्छुक दिव्यांग छात्रों के लिए भी योजना शुरू की है।

स्वावलंबन: दिव्यांग व्यक्तियों के कौशल प्रशिक्षण के लिए इस राष्ट्रीय कार्ययोजना का शुभारंभ किया गया। एनएसडीसी के सहयोग से दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने अगले तीन वर्षों (पहले वर्ष में एक लाख, दूसरे वर्ष में डेढ़

लाख और तीसरे वर्ष में ढ़ाई लाख) के लिए प्रस्ताव किया है। कार्य योजना का उद्देश्य 2022 के अंत तक 25 लाख दिव्यांगजनों को कौशल प्रशिक्षण देना है।

दिव्यांगजनों के कल्याण और सशक्तिकरण हेतु विभाग: नीतिगत मामलों और क्रिया-कलापो के सार्थक रूझानों पर ध्यान केंद्रित करने और दिव्यांगजनों के कल्याण तथा सशक्तिकरण के उद्देश्य से 12 मई, 2012 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में से दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग बनाया गया। विभाग का उद्देश्य- एक समस्त समावेशी समाज का निर्माण करना जिसमें दिव्यांगजनों की उन्नति और विकास के लिए समान अवसर उपलब्ध कराये जाते हैं ताकि वे सृजनात्मक, सुरक्षित और प्रतिष्ठित जीवन जी सकें।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016: नि:शक्त व्यक्ति अधिकार (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के प्रावधानों के अनुरूप दोहरे उद्देश्यों सहित, उसके सही कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए भी केंद्र सरकार ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 को अधिनियमित किया जो 19.04.2017 से प्रभावी है। यह अधिनियम समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने, पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा, रोजगार और पुनर्वास के माध्यम से दिव्यांगजन के पूर्ण और प्रभावी समावेश को सुनिश्चित करने के उपाय उपलब्ध कराता है। इसमें दिव्यांगजनों हेतु सरकारी प्रतिष्ठानों में आरक्षण को 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत कर दिया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास

- विटामिन ए व आयरन का वितरण।
- पल्स पोलियो कार्यक्रम।
- विकलांगजन के अधिकार से संबंधित संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (United Nation Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD) को भारत ने 1 अक्टूबर, 2007 को अभिपुष्ट किया था।

दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017: इस नियम की धारा 3 की उपधारा (3) के उपबंधों का, अधिनियम के अंतर्गत आने वाले दिव्यांगजनों के किसी अधिकार और उनको प्राप्त होनो वाले किसी फायदे से इंकार करने के लिए दुरूपयोग नहीं किया जाएगा। यदि सरकारी संस्थान का प्रमुख या कोई निजी संस्थान, जो बीस से अधिक व्यक्तिधयों को नियोजित कर रहा है, दिव्यांगता के आधार पर भेदभाव के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त करता है तो वह -

- अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई आरंभ करेगा, या
- व्यथित व्यक्तियों को लिखित में सूचित करेगा कि किस प्रकार आक्षेपित कार्रवाई या लोप किसी विधिमान्य ध्येय को पूरा करने के लिए समानुपातिक साधन है।

यदि व्यथित व्यक्ति, यथास्थिति, दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त या राज्य आयुक्त को शिकायत प्रस्तुत करता है तो शिकायत का निपटान साठ दिन की अवधि के भीतर किया जाएगा परंतु आपातकालीन मामलों में मुख्य आयुक्त या राज्य आयुक्त शिकायत का यथाशीघ्र निपटान करेगा। कोई स्थापन किसी दिव्यांगजन को युक्तियुक्त आवासन उपलब्ध कराने पर उपगत किसी लागत को भागत: या पूर्णत: संदत्त करने के लिए बाध्य नहीं करेगा।

चुनौतियाँ

हालांकि सरकार ने दिव्यांगता से निपटने के लिए अनेक कदम उठाये हैं लेकिन स्थिति में कुछ खास सुधर नहीं हुआ है तथा इससे निपटने में निम्नलिखित चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है-

- सरकारी योजनाओं का लाभ न मिलपाना, राजनैतिक इच्छा शक्ति की कमी तथा भ्रष्टाचार, सामाजिक सेवाओं का अभाव, परिवहन की सुविधा का अभाव व अधिक मूल्य के कारण स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधाओं से वंचित होना आदि।
- शारीरिक, मानसिक विकलांगता के कारण भावनात्मक असंतुलन।
- प्राकृतिक प्रकोप के समय यथोचित सुरक्षा का अभाव।
- अभावग्रस्तता व अज्ञानता।
- अंधविश्वास व रुढ़िवादी सोच।
- इस वर्ग के लिए खासतौर पर मूक-बधिरों के लिए विशेष स्कूलों का अभाव है जिसकी वजह से अधिकांश विकलांग ठीक से पढ़-लिख नहीं पाते।
- विकलांगता की समस्या से दो चार हो रहे लोगों के लिए जो न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं सार्वजानिक जगहों पर होनी चाहिए, उसका अभाव लगभग सभी शहरों में है। अस्पताल, शिक्षा संस्थान, पुलिस स्टेशन जैसी जगहों पर भी उनके लिए टॉयलेट या व्हील चेयर नहीं है। गैर सरकारी संस्था 'स्वयं फाउंडेशन' ने देश के आठ शहरों में किये अपने सर्वे में पाया कि सार्वजानिक जगहों पर जो सुविधाएँ विकलांगों के लिए होनी चाहिए, वे नहीं हैं।
- भारत में कई जगहों पर मानसिक बीमारियों को कलंक के रूप में लिया जाता है एवं इनके निदान के लिए आवश्यक मनोचिकित्सकीय व चिकित्सकीय सुविधाओं का अभाव है। अत: इनसे संबंधित प्रतिवेदन समुचित रूप से तैयार नहीं हो पाते हैं।
- 'एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन' यानी 'सुगम्य भारत अभियान' के तहत किए गये इस सर्वे में मुंबई के 51 सार्वजनिक स्थानों की पड़ताल की गयी। लगभग अस्सी फीसदी स्थानों पर रैम्प नहीं पाया गया। इस सर्वे में शामिल किसी भी बिल्डिंग में विकलांगों के लिए अलग से पार्किंग की व्यवस्था नहीं थी। जबकि अधिकतर बिल्डिंग में निर्धारित मानकों के अनुसार विकलांगों के लिए शौचालय तक नहीं पाया गया। मुंबई के आलावा चंडीगढ़, दिल्ली, फरीदाबाद, देहरादून, गुरुग्राम, जयपुर और वाराणसी में भी इस तरह के सर्वे किये गये। स्वयं फाउंडेशन के सानू नायर के अनुसार इन सभी शहरों में स्थिति लगभग एक जैसी ही है।
- दिव्यांगों के प्रति सामाजिक सोच की बात करें तो आधुनिक होने का दावा करने वाला समाज अब तक विकलांगों के प्रति अपनी बुनियादी सोच में कोई खास परिवर्तन नहीं ला पाया है। अधिकतर लोगों के मन में विकलांगों के प्रति तिरस्कार या दया भाव ही रहता है, यह दोनों भाव विकलांगों के स्वाभिमान पर चोट करते हैं।

आगे की राह

- सकारात्मक परिणाम के लिए दीर्घकालीन उपायों पर जोर देने की जरुरत है साथ ही विकलांग व्यक्तियों को शिक्षा, रोजगार और व्यवसाय के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
- विकलांगों के लिए, खासतौर पर, मूक-बधिरों के लिए विशेष स्कूलों का निर्माण किये जाने की आवश्यकता है। दिव्यांगजनों को अवसर प्रदान करना या उन पर निवेश करना घाटे का सौदा नहीं है बल्कि इससे देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी।

- उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के अनुसार दिव्यांग लोगों के प्रति अपनी सोच और मानसिकता को बदलने की जरूरत है। विकलांगों को समाज की मुख्यधारा में तभी शामिल किया जा सकता है जब समाज इन्हें अपना हिस्सा समझे, इसके लिए एक व्यापक जागरूकता अभियान की जरूरत है।

सतत विकास लक्ष्यों के अनुसार

- विकलांग लोगों को सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का उपयोग करने के लिए जगह दें। उन्हें आरक्षित सीटों पर बैठने में सहयोग करें।
- उन्हें अपनी पार्किंग की जगह का उपयोग करने की अनुमति दें।
- जब आप किसी भी नेत्रहीन व्यक्ति को सड़क पार करते हुए देखें अगर उसे जरूरत हैं, तब उसकी मदद करें।
- विकलांग बच्चों की स्कूली शिक्षा में किसी भी प्रकार की बाधाओं को उत्पन्न न होने दें। उन्हें स्कूलों में अपनी उम्र के दूसरे बच्चों के साथ शिक्षा प्राप्त करने का समान अधिकार है।
- विकलांगता के आधार पर उनके साथ होने वाले भेदभाव को बंद करें।
- किसी भी प्रकार की सामाजिक वर्जनाओं के कारण विकलांग लोगों को रोजगार देने में परहेज न करें।
- कार्यस्थल के वातावरण को विकलांग लोगों के अनुरूप सक्षम बनाएं।
- विकलांग लोगों का मजाक न बनाएं या उन पर न हंसें।
- उनके आत्मसम्मान के निर्माण में सहयोग करें, ताकि वे आत्मनिर्भर बनें तथा सामान्य जीवन व्यतीत कर सकें।

निष्कर्ष

न केवल भारत में बल्कि समूची दुनिया में एक समय तक दिव्यांगता को सिर्फ चिकित्सा संबंधी समस्या समझा जाता था, लेकिन समय के साथ दिव्यांगजनों के प्रति लोगों की सोच बदली है साथ ही दुनिया ने इनका लोहा भी माना है। उदाहरण के तौर पर सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक स्टीफन हाकिंस, अरुणिमा सिन्हा (पर्वतारोही), शारीरिक रूप से विकलांग UPSC-2014 की टॉपर इरा सिंघल आदि दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा जिस तरह से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सफलता के नए सोपान गढ़े गए, उन्होंने समाज की मानसिकता को बदलने का काम किया।

समाज ने दिव्यांगता सिर्फ व्यक्ति की कुछ शक्तियों को सीमित कर सकती है, उसकी प्रगति की समस्त संभावनाओं को अवरुद्ध नहीं कर सकती। अत: आवश्यकता यह है कि दिव्यांगजनों को उचित संबल, समान अवसर और समुचित सहयोग प्रदान किया जाए।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- केन्द्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य-निष्पादन, इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय।

■

3. भारत–जापान: सामरिक साझेदार

चर्चा का कारण

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए आयोजित 13वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जापान की आधिकारिक यात्रा संपन्न की है। भारत-जापान के बीच द्विपक्षीय वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके जापानी समकक्ष शिंजो आबे ने हाईस्पीड ट्रेन और नौसेना सहयोग समेत छह समझौतों पर सहमति जताई। दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों और विदेश मंत्रियों के बीच ''2+2 वार्ता'' को लेकर भी सहमति बनी। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों के अलावा क्षेत्रीय व वैश्विक मसलों के साथ ही हिंद-प्रशांत क्षेत्र के मौजूदा हालात पर भी चर्चा हुई।

पृष्ठभूमि

भारत और जापान के बीच मैत्री संबंधों का एक लंबा इतिहास रहा है जो आध्यात्मिक सोच में समानता तथा मजबूत सांस्कृतिक एवं सभ्यतागत रिश्तों पर आधारित है। दोनों आधुनिक देशों ने पुराने संबंधों की सकारात्मक विरासत को जारी रखा है जो लोकतंत्र, व्यक्तिगत आजादी तथा कानून के शासन में विश्वास के साझे मूल्यों से सुदृढ़ हुआ है।

भारतीय संस्कृति का जापान में समावेश का पहला उदाहरण 'नारा का तोडाई मंदिर' है जहाँ भगवान बुद्ध की विशाल मूर्ति का अभिषेक एवं उद्घाटन 752 ईस्वी में एक भारतीय संन्यासी, बोधिसन द्वारा किया गया था। इन दोनों राष्ट्रों ने पुराने एसोसिएशन की सकारात्मक विरासत को सरंक्षण देते हुए लोकतंत्र की गरिमा, विश्वास, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और कानून के शासन के साझा मूल्यों को बल प्रदान किया तथा इस दिशा में सार्थक प्रयास भी किये हैं। आज भारत एशिया का सबसे बड़ा तथा जापान सर्वाधिक समृद्ध लोकतंत्र है।

राजनीतिक संबंध: भारत-जापान राजनीतिक संबंधों के मुख्य पहलू हैं-

- भारत-जापान द्विपक्षीय संबंध किसी प्रकार के विवाद जैसे वैचारिक, सांस्कृतिक या भौगोलिक से मुक्त रहे हैं। आजादी के बाद से दोनों देशों के बीच राजनीतिक यात्राएं प्रारंभ हुईं तथा संबंधों में प्रगाढ़ता आई। राजनयिक संबंधों की स्थापना के बाद 1957 में जापानी प्रधानमंत्री ने भारत की यात्रा संपन्न की तथा इसके बाद 1958 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पं.नेहरू ने जापान की यात्रा संपन्न की। जापानी प्रधानमंत्री की वर्ष 2000 में महत्वपूर्ण भारत यात्रा के दौरान 21वीं शताब्दी में 'भारत-जापान वैश्विक साझेदारी' की शुरूआत हुई।
- 2006 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और शिंजो आबे ने वार्षिक प्रधानमंत्रीय शिखर सम्मेलन के प्रावधान के साथ वैश्विक और सामरिक साझेदारी के स्तर पर संबंधों को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की थी। तब से लेकर आज तक वार्षिक सम्मेलन वैकल्पिक रूप से भारत और जापान में हो रहे हैं। जापान और भारत के बीच एक 'व्यापक आर्थिक साझेदारी करार' (सीईपीए) 2011 में संपन्न हुआ था।
- 2014 में दोनों देशों ने 'विशेष रणनीतिक और वैश्विक भागीदारी' के संबंध में संबंधों को अपग्रेड करने पर सहमति व्यक्त की।
- 2014 में 130 ट्रिलियन जापानी येन की 'जापान-भारत, मेक इन इंडिया स्पेशल

फाइनेंस सुविधा' की स्थापना की गई थी। वार्षिक शिखर सम्मेलन के अलावा दोनों देशों ने कई तरह के संवाद तंत्रों की स्थापना की है जैसे कि अर्थव्यवस्था, वाणिज्यिक, वित्तीय सेवाओं, स्वास्थ्य, सड़क परिवहन, नौवहन, शिक्षा आदि। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नवंबर 2016 को भारत-जापान 11वीं वार्षिक बैठक में भाग लेने के लिए जापान की यात्रा संपन्न की। जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने 12वीं वार्षिक बैठक में भाग लेने के लिए भारत की यात्रा सितंबर 2017 को संपन्न की। इससे यह स्पष्ट होता है कि भारत-जापान राजनीतिक संबंधों कि कितनी मजबूत इमारत है।

आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध: अगस्त 2011 में लागू 'भारत-जापान व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता' (सीईपीए) अभी तक के सभी समझौतों में सबसे अधिक व्यापक है। सीईपीए, भौतिक वस्तुओं के व्यापार की ही नहीं बल्कि सेवाओं, निवेश, बौद्धिक संपदा अधिकार, सीमा शुल्क प्रक्रियाओं और अन्य व्यापार संबंधी मुद्दों को शामिल करता है। इस समझौते में 2021 के अंत तक भारत और जापान के बीच कारोबार के 94% से अधिक वस्तुओं के टैरिफ को समाप्त करने की परिकल्पना की गई है। जापान 1958 से ही 'द्विपक्षीय ऋण' के तहत भारत को सहायता प्रदान कर रहा है।

वर्तमान में जापान की ओडीए (Official Development Assistance) तेजी से आर्थिक विकास के लिए भारत के प्रयासों का समर्थन कर रही है, विशेषकर प्राथमिकता वाले क्षेत्रों जैसे- बिजली, परिवहन, पर्यावरणीय परियोजनाएं और बुनियादी मानव की जरूरतों से संबंधित परियोजनाएं। अहमदाबाद-मुंबई हाई-स्पीड रेल, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रन्ट कॉरिडोर (डीएफसी), बारह नए औद्योगिक टाउनशिप के साथ दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, चेन्नई-बेंगलुरू इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (सीबीआईसी) आदि सभी मेगा परियोजनाओं को जापानी सहायता मिली है।

वित्तीय वर्ष 2016-17 में भारत-जापान 13. 61 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था। भारत का जापान को निर्यात इसी वर्ष में 3.86 बिलियन अमेरिकी डॉलर था तो वहीं आयत 9.76 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो व्यापार घाटे को प्रदर्शित करता है। द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में भारत इस व्यापार घाटे के मुद्दे को लगातार उठाता रहता है।

वर्ष 2016-17 में जापानी एफडीआई 4.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर था जो पिछले वर्ष की तुलना में 80% की वृद्धि को दर्शाता है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2000 से जापान एफडीआई निवेश के मामले में तीसरे स्थान पर बना हुआ है जो अब 25.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर पर पहुँच गया है। (***स्रोतः*** *विदेश मंत्रालय*)

रक्षा और सुरक्षा सहयोगः चतुर्भुज पहल ने, जिसे बाद में 2012 में डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड के रूप में नवीकृत किया गया था, भारत और जापान के रणनीतिक संबंधों में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। भारत और जापान के अलावा इस गठबंधन में संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हैं। 1992 में शुरू हुई इस नौसैनिक अभ्यास में संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत शामिल थे जबकि 2015 से जापान वार्षिक मालाबार नौसेना अभ्यास का स्थायी सदस्य है।

वर्तमान परिदृश्य

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे की 29 अक्टूबर 2018 को हुई शिखर वार्ता के बाद भारत और जापान ने एक हाई स्पीड रेल परियोजना और नौसेना सहयोग सहित 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए जो निम्नलिखित है-

- भारत और जापान ने आपस में 75 अरब डॉलर के बराबर विदेशी मुद्रा की अदला-बदली की व्यवस्था का समझौता किया। भारत और जापान के मध्य हुए इस करेंसी स्वैप समझौते से देश के फॉरेन एक्सचेंज और कैपिटल मार्केट में स्थिरता आएगी। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि इस समझौते के बाद भारत जरूरत पड़ने पर विदेशी पूंजी के इस्तेमाल में सक्षम हो जाएगा और बाजार पर इसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा।
- इसके अलावा आयुष्मान भारत से सम्बंधित स्वास्थ्य सेवाओं, डिजिटल साझेदारी, खाद्य प्रसंकरण तथा नौसैनिक सहयोग को लेकर दोनों देशों के बीच समझौते किये गये।
- भारत के आयुष (आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी) मंत्रालय और कनागावा प्रीफैक्चरल गवर्नमेंट के बीच सहयोग पत्र (एमओसी) पर हस्ताक्षर हुए।
- जापान ने अंतर्राष्ट्रीय सोलर गठबंधन में शामिल होने के लिए भी सहमति प्रदान की है।
- दोनों नेताओं ने अपने औपचारिक शिखर सम्मेलन में आतंकवाद के बढ़ते खतरों और उसकी वैश्विक पहुंच पर गहरी चिंता भी प्रकट की।
- जापान ने परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) की सदस्यता हासिल करने की भारत की कोशिश का समर्थन किया।

भारत-जापान संबंधों की महत्ता

- प्रधानमंत्री मोदी ने जापानी उद्यमियों को भारत में और निवेश करने का निमंत्रण दिया है। दूसरी तरफ रक्षा संबंधी मसौदे, आपसी संपर्क और मेक इन इंडिया भी दोनों प्रधानमंत्रियों की मुलाकात में चर्चा का अहम विषय रहा।
- जापान यात्रा के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया सेमिनार में कहा कि व्यापार करने की सहूलियत उनकी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है, जाहिर है कि इशारा बुलेट ट्रेन को ले कर उठी चिंताओं की ओर ही था। अगर बुलेट ट्रेन को भारत में साकार करना है तो जापानी तकनीकी और निवेश महत्वपूर्ण है।
- जापान, भारत और उसके आस-पड़ोस में परिवहन क्षमता की कमी दूर करने में मदद करने को तैयार है। भारत और जापान मिलकर न सिर्फ एशिया-अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर के विकास में काम कर रहे हैं बल्कि हिंद-प्रशांत चौतरफा सुरक्षा बातचीत (इंडो-पैसिफिक क्वाड्रीलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग) पर भी दोनों देशों की एक समान नीतियाँ हैं। दोनों देश बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका में आधारभूत सुविधाओं के विकास और ऊर्जा क्षेत्र में काम करेंगे।
- भारत के बड़े और बढ़ते बाजार और इसके संसाधनों, विशेष रूप से मानव संसाधन, सहित विभिन्न कारणों की वजह से भारत में जापान की रुचि बढ़ रही है।
- पिछले कुछ समय में अमेरिका की नीतियों में आए परिवर्तनों के मद्देनजर भारत और जापान को 'भारत-जापान प्लस वन की नीति' पर काम करना चाहिए अर्थात सारा ध्यान क्वायड (चतुर्भुज सामरिक समझौतों) पर लगाने के बजाय मिनी-लैटरल्स (छोटी-छोटी समानांतर) की नीति पर आगे बढ़ना चाहिए। अगर सूझूबझ के साथ नीति निर्धारण हो तो दक्षिण-पूर्व एशिया के कई देश इसका हिस्सा भी बन सकते हैं।
- भारत और जापान दोनों ही देशों के समक्ष चीन एक बड़ी तात्कालिक और दूरगामी सामरिक व रणनीतिक चुनौती के तौर पर उभरा है। दोनों देशों को इस चुनौती के लिए खुद को तैयार करना होगा। जहां भारत और

जापान दोनों ही चीन की बढ़ती सैन्य शक्ति, निरंतर मुखर होती विदेश नीति, सीमा विवादों पर आक्रामक रुख और 2013 में शुरू हुई वन बेल्ट वन रोड परियोजना को मुक्त, खुले और उदार अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय व्यवस्था के लिए खतरा मानते हैं, तो वहीं दोनों देशों को यह भी लगता है कि चीन से खुलेआम बैर लेना ठीक नहीं है और संबंधों को वार्ता एवं कूटनीति से चलाया जाना चाहिए।

- लोकतंत्र और मानवाधिकार का मुद्दा लोकतंत्र के मूल्यों को साझा करता है। भारत और जापान न केवल एशिया-प्रशांत क्षेत्र में एक दूसरे के सहयोगी हैं बल्कि वे आम लोकतांत्रिक मूल्यों को भी साझा कर रहे हैं। भारत एशिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र है जबकि जापान तकनीकी में सबसे समृद्ध है।

भारत-जापान संबंधों में चीनी फैक्टर

1. दोनों देशों में चीन के साथ सीमा (भूमि/समुद्री) से जुड़े मुद्दे, दुश्मनी का कारण हैं। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद एक लंबा मुद्दा रहा है। हिमालयी क्षेत्र में डोकलाम पठार पर हाल का विवाद इसका ज्वलंत उदहारण है।दोनों देशों द्वारा मौजूदा सीमा मानदंडों को तोड़ने का अपने समकक्षों पर आरोप लगाया गया है।
2. जापान और चीन के मध्य भी सीमा विवाद है। दोनों देशों के बीच पूर्वी चीन सागर में स्थित दो द्वीपों पर उभरा क्षेत्रीय विवाद है इन्हें जापान में सेनकाकस और चीन में डियाओयू के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में दोनों द्वीप जापान द्वारा संचालित होते हैं लेकिन चीन द्वारा इस पर दावा किया जाता है। पिछले कुछ सालों से यह संघर्ष बढ़ रहा है क्योंकि इस क्षेत्र में चीन की समुद्री शक्ति बढ़ती जा रही है। भारत के 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' (एईपी) ने इस क्षेत्र में चीन के प्रभाव को कम किया। एईपी के माध्यम से भारत ने आसियान के साथ अपने संबंधों को और सुदृढ़ किया है। अब भारत ने आसियान राज्यों के साथ म्यांमार और थाईलैंड के माध्यम से कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने पर अपना ध्यान केंद्रित किया है।
3. दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर तथा प्रशांत क्षेत्र में चीन का प्रभुत्व दोनों देशों के वाणिज्यिक और सामरिक हितों के लिए खतरा है। भारत ने दक्षिण चीन सागर पर अपनी वास्तविक चिंता पहले ही दिखायी है और नेविगेशन की स्वतंत्रता, समुद्री सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार विवाद का शीघ्र समाधान और सागर के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मलेन में एक कोड ऑफ कंडक्ट विकसित करने तथा शांतिपूर्ण वार्ता से इसके समाधान के लिए मजबूती से अपनी नीतिगत स्थिति को स्पष्ट किया है। जीवाश्म संसाधनों के इस्तेमाल के कारण भारत के कुल व्यापार खंड का 40% से अधिक हिस्सा दक्षिण चीन सागर के माध्यम से होता है।
4. 1949 में चीन के जनवादी गणराज्य की स्थापना के बाद से सत्तावादी नियम का देश में बोलबाला रहा है। राजनीतिक विरोधियों और पत्रकारों को जेल भेजने की सजा को चीनी सरकार के एजेंडे के रूप में देखा जा सकता है। इसके साथ ही प्रेस पर प्रतिबन्ध और धार्मिक असहिष्णुता भी इस देश की सामान्य घटनाएं हैं।

आगे की राह

भारत-जापान संबंधों को वैश्विक स्थिति के अनुरूप ढ़ालने की जरुरत है साथ ही दोनों देशों के मध्य संपन्न विभिन्न समझौतों पर अमल करने की आवश्यकता है

- यदि भारत-जापान संबंध को और मजबूत करना हो एवं दोनों देश अफ्रीका में आर्थिक-रणनीतिक लाभांश अर्जित करना चाहते हैं तो उन्हें लघु नहीं बल्कि दीर्घकालीन रणनीति पर काम करने की आवश्यकता हैं।
- जहां तक द्विपक्षीय संबंधों की बात है तो भारत के लिए जापान इस समय काफी अहम दिखाई दे रहा है। इसके कई कारण हैं। एक तो यह कि जापान तकनीक के क्षेत्र में एशिया का सबसे विकसित देश है और भारत को तकनीकी उन्नयन व विकास की जरूरत है। अत: इसके लिए जो भी रणनीतिगत कमियां हैं उसे दूर करने की आवश्यकता है।
- दूसरा यह कि भारत को यदि प्रशांत क्षेत्र में सक्रियता बढ़ानी है तो भारत को अपने पक्ष में संतुलन बनाए रखना होगा, इसके लिए जापान के साथ समग्र एवं अन्योन्याश्रितता की साझेदारी करनी होगी और फिर इसे थाईलैंड, वियतनाम, कम्बोडिया, फिलीपीन्स आदि तक विस्तार देना होगा। कारण यह है कि इस क्षेत्र में अब अनिश्चितता और गैर-सम्भ्रांतता वाली प्रतियोगिता अधिक दिखने लगी है।
- भारत के लिए जरूरी है कि हिंद महासागर में अपनी स्थिति का आकलन कर जापानी सहयोग से सॉफ्ट व स्ट्रैटेजिक पावर का विस्तार करे। अत: भारत को अतिरिक्त सक्रियता दिखाने की आवश्यकता होगी।
- इंडो-पैसिफिक और क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी के संदर्भ में भी भारत और जापान को एक नयी रणनीति के साथ काम करना होगा।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और/अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समझौते।

■

4. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट–2019 और भारत

चर्चा में क्यों?

हाल ही में विश्व बैंक ने अपनी नवीनतम 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट' जारी की। रिपोर्ट में भारत ने 23 स्थानों की जबरदस्त छलांग लगाते हुए 77वां स्थान हासिल किया है। यह ऊंची छलांग भारत के आकार वाले किसी भी विशाल एवं विविधतापूर्ण देश के लिए एक दुर्लभ उपलब्धि है। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष इस सूचकांक में भारत ने अपनी रैंकिंग में 30 पायदानों की जबर्दस्त छलांग लगाई थी।

विदित हो कि विश्व बैंक ने 31 अक्टूबर 2018 को वैश्विक कारोबार सुगमता (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) रिपोर्ट-2019 जारी की। भारत का यह रैंकिंग अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। दस में से 8 मानकों में भारत की स्थिति सुधरी है। पिछले वर्ष 190 देशों की सूची में भारत को पहली बार शीर्ष 100 में जगह मिली थी। पिछले 2 वर्षों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स की रैंकिंग में सुधार करने वाले टॉप 10 देशों में भारत शामिल हुआ है। वहीं, दक्षिण एशियाई देशों में भारत की रैंक प्रथम स्थान पर है।

क्या है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का अर्थ है कि देश में कारोबार करने में कारोबारियों को कितनी आसानी होती है। कारोबार के नियामकों और उनके नियमों के अनुसार 10 मानकों पर कारोबार करने की शर्तों को देखा जाता है कि किसी देश में ये कितना आसान या मुश्किल है। डूईंग बिजनेस रैंकिंग डिस्टेंस टू फ्रंटियर (डीटीएफ) के आधार पर तय किया जाता है और ये स्कोर दिखाता है कि वैश्विक मानकों पर अर्थव्यवस्था कारोबार के मामले में कितना अच्छा प्रदर्शन कर रही है। वर्ष 2018 में भारत का डीटीएफ स्कोर पिछले साल के 60.76 से बढ़कर 67.23 पर आ गया है।

गौरतलब है कि डूइंग बिजनेस-2019 ट्रेनिंग फॉर रिफॉर्म विश्व बैंक समूह का एक महत्त्वपूर्ण प्रकाशन है। यह कारोबार को बढ़ाने और इसमें बाधा उत्पन्न करने वाले नियामकों को मापने वाली वार्षिक गतिविधियों की एक शृंखला का 16वाँ संस्करण भी है।

डूइंग बिजनेस, व्यापार नियमों और संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा पर मात्रात्मक संकेतक प्रस्तुत करता है जिनकी तुलना अफगानिस्तान से जिम्बाब्वे तक 190 अर्थव्यवस्थाओं के बीच की जा सकती है। यह व्यापार के 11 क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले नियमों की समीक्षा करता है। उल्लेखनीय है कि इन क्षेत्रों में से दस को इस साल की व्यापार सुगमता सूचकांक रैंकिंग में शामिल किया गया है। ये दस मानक इस प्रकार है-

1. **बिजनेस की शुरुआत**- नये बिजनेस की शुरुआत में लगने वाले समय, न्यूनतम पैसा व प्रक्रिया को लेकर अध्ययन किये जाते हैं।
2. **गोदाम व भंडारगृह**- वेयरहाउस बनाने में लगने वाला समय, लागत व प्रक्रिया भी कारोबार सुगमता में एक मानदंड है।
3. **बिजली**- इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन में लगने वाला वक्त कारोबार की सुगमता के लिए अहम है। इसलिए इससे जुड़े आंकड़े भी जुटाये जाते हैं।
4. **संपत्ति निबंधन**- व्यवसायिक संपत्तियों के निबंधन में लगने वाला वक्त और खर्च पर भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस निर्भर करता है।
5. **निवेशकों की सुरक्षा**- देश में निवेश करने वाले कारोबारियों के पैसे की सुरक्षा गारंटी कितनी है, इस बात के आंकड़े जुटाये जाते हैं।
6. **टैक्स की भुगतान**- टैक्स की संरचना, कितने तरह के टैक्स लिये जाते हैं और उसे भरने में कारोबारियों को कितना वक्त गुजारना पड़ता है।
7. **देश से बाहर आयात**- निर्यात को लेकर क्या नियम है, इसमें कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है।
8. दो कंपनियों व कारोबार में आमतौर पर होने वाले कॉन्ट्रैक्ट को लेकर क्या नियम है। इन अनुबंधों में होने वाली प्रक्रिया और खर्च होने वाले रकम को भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आधार बनाया जाता है। इन सबके अतिरिक्त क्रेडिट, पारदर्शिता कई ऐसे पैमाने हैं, जिन पर रखकर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की कसौटी की जाती है।
9. अनुबंधों को लागू करना भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक मानक है।
10. दिवालियापन की समस्या को हल करना डूइंग बिजनेस का एक पैमाना है।

उलेखनीय है कि डूइंग बिजनेस में श्रम बाजार विनियमन की भी माप की जाती है लेकिन इस वर्ष की रैंकिंग में इसे शामिल नहीं किया गया है। ठीक इसी तरह संकेतकों का प्रयोग आर्थिक परिणामों का विश्लेषण करने के लिये तथा यह जानने के लिये किया जाता है कि किन नियमों ने कब और कैसे काम किया।

'डूइंग बिजनेस रिपोर्ट' से सम्बन्धित महत्वपूर्ण बातें-

- कारोबार सुगमता रैंकिंग में न्यूजीलैंड शीर्ष पर है। उसके बाद क्रमशः सिंगापुर, डेनमार्क और हांगकांग का नंबर आता है। रिपोर्ट के अनुसार, 2 जून, 2017 से 1 मई, 2018 के बीच रिकॉर्ड 314 नियामक सुधार हुए।
- दुनिया भर में 128 अर्थव्यवस्थाओं ने पर्याप्त विनियामक सुधार प्रकट किये जिससे डूइंग बिजनेस द्वारा मापन में शामिल सभी क्षेत्रों में व्यवसाय करना आसान हो गया है।
- सूची में अमेरिका आठवें, चीन 46वें और पाकिस्तान 136वें स्थान पर है।
- रिपोर्ट में सबसे उल्लेखनीय सुधार करने वाली अर्थव्यवस्थाएँ अफगानिस्तान, जिबूती, चीन, अजरबैजान, भारत, टोगो, केन्या, कोट डी आईवर (आइवरी कोस्ट), तुर्की और रवांडा हैं।
- विश्व बैंक ने इस मामले में सबसे अधिक सुधार करने वाली अर्थव्यवस्थाओं में भारत को दसवें स्थान पर रखा है।
- वही ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाओं के मामले में ब्राजील, रूसी संघ, भारत और चीन में कुल 21 सुधार हुए, जिसमें सुधार के सबसे आम क्षेत्रों में सीमा-पार व्यापार और विद्युत् उत्पादन सुधार है।
- गौरतलब है कि 'डूइंग बिजनेस 2019 द्वारा दर्ज किये गए सभी व्यापार नियामक सुधारों में से एक-तिहाई सुधार उप-सहारा अफ्रीका की अर्थव्यवस्थाओं में हुए। कुल 107 सुधारों के साथ उप-सहारा अफ्रीका में हुए सुधारों की संख्या एक रिकॉर्ड है।

भारत की स्थिति

- गौरतलब है कि विश्व बैंक ने उल्लेखनीय सुधार करने वाले शीर्ष देशों में भारत की गिनती लगातार दूसरे वर्ष भी की गई है।
- वही भारत प्रथम ब्रिक्स और दक्षिण एशियाई देश है जिसे सुधार करने वाले शीर्ष देशों में लगातार दूसरे वर्ष शामिल किया गया है।
- विश्व बैंक द्वारा 'डूइंग बिजनेस रिपोर्ट' के आकलन में 190 देशों को शामिल किया गया। 'कारोबार में सुगमता' सूचकांक में भारत पिछले दो वर्षों में 53 पायदान और पिछले चार वर्षों में 65 पायदान ऊपर चढ़ गया।
- विदित हो कि भारत ने वर्ष 2003 से अब तक 37 बड़े सुधार लागू किए हैं। इस रिपोर्ट में वर्ष 2017 में दिल्ली और मुंबई को शामिल किया गया था। रिपोर्ट में किसी कारोबार को शुरू करना, कंस्ट्रक्शन परमिट, क्रेडिट मिलना, छोटे निवेशकों की सुरक्षा, टैक्स देना, विदेशों में ट्रेड, कॉन्ट्रैक्ट लागू करना और दिवालिया शोधन प्रक्रिया को आधार बनाया जाता है।

एक सर्वेक्षण के अनुसार, लगातार दूसरे वर्ष आंध्र प्रदेश को व्यवसाय करने के लिए सबसे आसान भारतीय राज्य के रूप में घोषित किया गया है। चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाले राज्य ने दिल्ली में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा जारी 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया।

वही तेलंगाना दूसरे स्थान पर रहा, इसके बाद हरियाणा, झारखंड और गुजरात है। उत्तर-पूर्वी राज्य, मेघालय को 36 वें स्थान पर रखा गया है।

भारत के अन्दर राज्यों का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग:		
रैंक	राज्य	अंक
1.	आंध्र प्रदेश	98.4
2.	तेलंगाना	98.3
3.	हरियाणा	98.1
4.	झारखंड	98.0
5.	गुजरात	98.0

रैंकिंग में सुधार की सबसे बड़ी वजह जीएसटी

- वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सबसे बड़ा बदलाव जीएसटी के जरिए आया है। पिछले साल की रैंकिंग में जीएसटी को शामिल नहीं किया गया था। जीएसटी के साथ-साथ इन्सॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड के जरिए भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है।
- जीएसटी ने कारोबार की शुरुआत करना आसान बना दिया है, क्योंकि इसमें कई सारे एप्लीकेशन फॉर्म को इंटिग्रेट कर एक सिंगल जनरल इनकॉर्पोरेशन फॉर्म लाया गया है। इससे रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया तेज हुई है।
- भारत में टैक्स देना न सिर्फ आसान हुआ है, बल्कि कॉर्पोरेट इनकम टैक्स की दरों में भी कमी आई है।
- रिपोर्ट में कहा गया कि भारत ने कस्टम के अफसरों और निजी क्षेत्र के लोगों को लगातार ट्रेनिंग देकर रिफॉर्म का एजेंडा सेट कर दिया है।
- उल्लेखनीय है कि भारत ने कस्टम क्लीयरेंस फेसिलिटेशन कमेटियाँ बनाईं हैं। इस वजह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कारोबार आसान हो गया है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य कारण भी रहे हैं जो मुख्यत: छह मामलों में सुधार से संबंधित हैं।

इन छह मामलों में अच्छे प्रदर्शन से भारत की रैंकिंग सुधरी:		
छह मामलों में अच्छे प्रदर्शन	2018-19 में रैंक	2017-18 में रैंक
बिजनेस की शुरुआत	137	156
कंस्ट्रक्शन परमिट	52	181
बिजली की उपलब्धता	24	29
कर्ज की उपलब्धता	22	29
सीमा पार कारोबार	80	146
कॉन्ट्रैक्ट में आसानी	163	164

यहा ध्यान देने वाली बात है कि भारत 10 संकेतकों में से 6 संकेतकों से जुड़ी अपनी रैंकिंग को बेहतर करने में कामयाब रहा है और इसके साथ ही वह 10 संकेतकों में से 7 संकेतकों पर वैश्विक सर्वोत्तम कारोबारी तौर-तरीकों के और करीब पहुँच गया है।

- सबसे उल्लेखनीय सुधार 'निर्माण परमिट' और 'सीमा पार व्यापार' से जुड़े संकेतकों के मामले में देखा गया है। निर्माण परमिट की स्वीकृति देने के मामले में भारत की रैंकिंग वर्ष 2017 की 181वीं से बेहतर होकर वर्ष 2018 में 52वीं हो गई है जो एक ही वर्ष में 129 रैंकिंग के अभूतपूर्व सुधार को दर्शाता है।
- इसी तरह 'सीमा पार व्यापार' से जुड़े संकेतकों के मामले में भारत की रैंकिंग वर्ष 2017 की 146वीं से बेहतर होकर वर्ष 2018 में 80वीं हो गई है जो एक ही वर्ष में 66 रैंकिंग के उल्लेखनीय सुधार को दर्शाता है।

पिछले कुछ सालों में भारत की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग:	
वर्ष	रैंकिंग
साल 2018	77वां रैंक
साल 2017	100वां रैंक
साल 2016	130वां रैंक
साल 2015	130वां रैंक
साल 2014	142वां रैंक

डूइंग बिजनेस रिपोर्ट का महत्त्व

अब सवाल ये है कि भारत की रैंकिंग में सुधार से क्या फायदा होगा? इन लाभों को निम्न बिन्दुओ के अंतर्गत समझा जा सकता है -

- ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग में सुधार आने से देश में विदेशी निवेश को आकर्षित करने में मदद प्राप्त होगी। ज्ञातव्य है कि विदेशी निवेशक उन्हीं देशों में निवेश को प्राथमिकता देते हैं जहाँ कारोबारी सुगमता की स्थिति बेहतर होती है।
- कंपनियाँ भारत में तेजी से निवेश करेंगी जिससे देश में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इसके साथ ही भारत को इससे और अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अपनी ओर आकर्षित करने में मदद मिलेगी।
- इसका असर शेयर बाजार पर पड़ेगा और बाजार में तेजी आएगी।
- विदेश निवेश के बढ़ने से आर्थिक व्यवस्था पर सीधा असर पड़ेगा जिससे निश्चित ही देश की आर्थिक व्यवस्था और मजबूत होगी। इससे देश में महंगाई पर काबू पाने में सरकार को आसानी होगी।यही नहीं इससे छोटे कारोबारियों को अपना कारोबार बढ़ाने में मदद मिलेगी।
- सबसे बढ़कर इससे 'मेक इन इंडिया' मिशन को भी मजबूती प्राप्त होगी क्योंकि कारोबारी सुगमता की स्थिति में सुधार से विदेशी निवेशकों के साथ-साथ देश के निवेशकों को भी प्रोत्साहन प्राप्त होगा।

भारत के 'ईज ऑफ डूइंग' बिजनेस के समक्ष चुनौतियाँ-

- कॉर्पोपेशन (IFC) के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (कारोबार के लिए आसान जगह) रैंकिंग में भारत एक पायदान ही ऊपर चढ़ पाया है जबकि सरकार का दावा है कि उसके सुधारों के प्रयास के फलस्वरूप बिजनेस के लिए बेहतर माहौल बना है। इस प्रकार IFC की रिपोर्ट पर सरकार ने निराशा जताई है।
- कंस्ट्रक्शन परमिट, साख और अन्य मापदंड पर देश की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। भारत के ओवरऑल स्कोर में मामूली सुधार हुआ और उसे 55.27 अंक हासिल हुए हैं। स्मरणीय हो कि रिपोर्ट में आसान बिजली कनेक्शन, सीमा के आर-पार बिजनस के आसान नियम आदि का एक बॉक्स के तहत जिक्र हुआ है।
- बिजनेस के लिए सबसे आसान जगह के मामले में न्यूजीलैंड ने सिंगापुर को रिप्लेस किया है। हालांकि सरकार ने भारत की रैंकिंग को सुधारने के लिए कंपनी एक्ट में भी बदलाव किया और कई अन्य अहम प्रयास किए। IFC ने भारत की इन कोशिशों को ध्यान में तो रखा है लेकिन रैंकिंग में कोई खास सुधार नहीं हो सका।
- रिपोर्ट में रूस, भूटान, दक्षिण अफ्रीका, चीन, नेपाल, श्रीलंका और ब्राजील भारत से ऊपर के पायदान पर हैं।
- पड़ोसी देश पाकिस्तान का स्थान 144वां है। सहज कारोबार को लेकर दुनिया के शीर्ष 50 देशों में भारत को शामिल करने की कोशिश में जुटी सरकार ने इस रिपोर्ट पर हताशा जताई है।
- सरकार का कहना है कि विभिन्न क्षेत्रों में किए गए 12 अहम सुधारों को रिपोर्ट में अहमियत नहीं दी गई है। हालांकि इस रिपोर्ट

में भारत ही एक ऐसा देश है जिसके लिए एक अलग बॉक्स है, जिसमें भारत में चल रहे आर्थिक सुधारों का जिक्र है।

आगे की राह

उपरोक्त अध्ययन से यह स्पष्ट है कि रैंकिंग में सुधार से भारत को कई प्रकार के लाभ होंगे। इससे विदेशी एवं स्वदेशी निवेशकों दोनों को आकर्षित करने में भी मदद मिलेगी लेकिन आवश्यकता इसमे और सुधार कि है ताकि विश्व में भारत की छवि साफ्ट राष्ट्र के रूप में उभर सके यह स्थिति भारत को न सिर्फ आर्थिक रूप से सशक्त करेगी बल्कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय, राजनीतिक, तकनीकी व अन्य मामलों में भी लाभ पहुँचायेगी। दरअसल वर्तमान विश्व में वर्चस्व की लड़ाई आर्थिक क्षेत्र में बलवती हुआ है ऐसे में जो देश आर्थिक रूप से जितना सशक्त है उसका महत्व उतना ही बढ़ रहा है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबधित मुद्दे।
- उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, औद्योगिकी नीति में परिवर्तन तथा औद्योगिक विकास पर इनका प्रभाव।

■

5. अंतर्देशीय जलमार्गः भारत के नये राजमार्ग

चर्चा का कारण

भारत में पहली बार किसी अतर्देशीय जलमार्ग के जरिए माल से भरे कंटेनर की ढुलाई करने वाले पोत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 12 नवंबर को वाराणसी में उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर वाराणसी में बने नवनिर्मित मल्टी मॉडल टर्मिनल देश को सर्मिपत किया जहां परिवहन के विभिन्न प्रकार के साधनों से माल लाने, ले जाने की सुविधा है। ज्ञातव्य हो कि मालवाहक जहाज एमवी आरएन टैगोर 16 कंटेनरों की खेप लेकर कोलकाता से वाराणसी के लिए रवाना हुआ था जिस पर लदा माल खाद्य प्रसंस्करण और शीतल पेय कंपनी पेप्सिको का था। देश के अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन क्षेत्र के इतिहास में इस तरह एक नया अध्याय जुड़ा है। ज्ञातव्य हो कि गंगा नदी पर वाराणसी से हल्दिया के बीच शुरू होने वाली जल परिवहन योजना में वाराणसी को कार्गो हब के तौर पर विकसित किया जा रहा है। इस टर्मिनल में कार्गो के अलावा कोल्ड स्टोरेज, बेवरेज हाउस और पैकिंग की सुविधा होगी।

जलमार्गों के विकास की आवश्यकता

- भारत के पास 7500 किलोमीटर लंबा तटीय क्षेत्र है जबकि 14,500 कि.मी. नदी मार्ग है और इस विशाल नदी मार्ग पर हमेशा बहती रहने वाली नदियों, झीलों और बैकवाटर्स का उपहार भी मिला हुआ है इसलिए जलमार्गों का विकास आवश्यक है। स्पष्ट है कि जल परिवहन दुनियाभर में माल ढुलाई के लिए वरीयता वाला माध्यम है खासतौर पर विशाल और विचित्र आकार वाली वस्तुओं के लिए। यह पर्यावरण मित्र और किफायती है। यदि लागत के हिसाब से देखा जाए तो एक हॉर्स पावर शक्ति की ऊर्जा से पानी में चार टन माल ढोया जा सकता है जबकि इससे सड़क पर 150 किलो और रेल से 500 किलो माल ही ढोया जा सकता है। यही कारण है कि यूरोप, अमेरिका, चीन तथा पड़ोसी देश बांग्लादेश में काफी मात्रा में माल की ढुलाई अंतर्देशीय जल परिवहन तंत्र से हो रही है। कई यूरोपीय देश अपने कुल माल और यात्री परिवहन का 40 प्रतिशत पानी के जरिए ढोते हैं।
- निःसंदेह हमारे देश के विशाल जलमार्ग और विशाल नदियों के कारण जल परिवहन के तहत माल ढुलाई संबंधी जरूरतों की पूर्ति के लिए बहुत संभावनाएं हैं। देश के अधिकांश बिजलीघर कोयले की कमी से जूझ रहे हैं। सड़क और रेल परिवहन से समय पर कोयला नहीं पहुंच पाता, ऐसे में अंतर्देशीय जलमार्गों द्वारा कोयला ढुलाई की नियमित व किफायती संभावनाएं हैं। हमारी कई बड़ी विकास परियोजनाएं राष्ट्रीय जलमार्गों के नजदीक साकार होने जा रही हैं। बहुत से नए कारखाने और पनबिजली इकाइयां इन इलाकों में खुली हैं। इनके निर्माण में भारी भरकम मशीनरी की सड़क से ढुलाई आसान काम नहीं है इसलिए इसमें जल परिवहन की अहम भूमिका हो सकती है। अनाज और उर्वरकों की बड़ी मात्रा में ढुलाई जल परिवहन से संभव है।
- अकेले गंगा नदी का राष्ट्रीय जलमार्ग ही भविष्य में लाखों टन कोयले की ढुलाई में सक्षम है। नई विकसित हो रही कोयलरियों में से तालेचर अन्तरदेशीय जलमार्ग के नजदीक है, ब्राह्मणी नदी और धामरा तथा पारादीप बन्दरगाह के माध्यम से तटीय जहाजरानी की भी मदद लेकर यह कोयला पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश तथा पूर्वोत्तर भारत तक पहुँच सकता है।

  बिजली इकाइयों में ब्वाइलर, ट्रांसफार्मर, स्टेटर्स आदि या तो आयातित होते हैं या बीएचईएल के कारखानों में बनते हैं। कई ओवर डाइमेंशनल कार्गो तो 100 टन से अधिक वजनी होते हैं। इनकी ढुलाई के काम में रेलवे या सड़क की तुलना में जलमार्ग सबसे अधिक प्रभावी हैं। सड़कों पर ऐसे सामानों की ढुलाई बेहद कठिन है। रेलवे में भी खासतौर पर ऐसे खण्डों में जहाँ सुरंगे और संकरे पुल हैं वहाँ से इनको लादकर ले जाना असम्भव होता है। अनाज और उर्वरकों की बड़ी मात्रा में ढुलाई जल परिवहन से सम्भव है। वर्तमान में पंजाब एवं हरियाणा से हर माह 2.5 लाख टन अनाज पश्चिम बंगाल भेजा जाता है। इसका एक बड़ा हिस्सा अन्तरदेशीय जल परिवहन के माध्यम से भेजना सम्भव है, ऐसा होता है तो सड़कों से काफी बोझ कम होगा।

  उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा पूर्वोत्तर भारत में अगर इस तंत्र की मदद ली जाये तो पीक मौसम में उर्वरकों की कमी नहीं होगी। इस नाते अगर समयबद्ध योजना बनाई जाये तो सस्ते में प्रभावी तरीके से उर्वरकों की ढुलाई क्यों नही हो सकती है। उर्वरक क्षेत्र की अग्रणी कम्पनियों खासतौर पर इफको, कृभको, सीएफएल, पीपीएल, एनएफएल आदि ने अन्तरदेशीय जल परिवहन तंत्र के द्वारा उर्वरक ढुलाई में दिलचस्पी दिखाई है।
- इस समय देश में विभिन्न माध्यमों से होने वाली कुल माल ढुलाई में तटीय नौवहन और जलमार्ग की हिस्सेदारी 6 फीसदी है जबकि

करीब 54 फीसदी ढुलाई सड़क मार्ग से, 33 फीसदी रेल से और 7 फीसदी ढुलाई पाइप लाइन से होती है।

- **पर्यटन विकास की सम्भावनाएँ:** विभिन्न राज्यों में बड़ी नदियों और उनकी कई सहायक नदियों के किनारे बहुत कुछ देखने लायक है। नदियों के किनारे तमाम अनूठी सांस्कृतिक गतिविधियाँ तथा मेले और पर्व आयोजित होते हैं। गंगा से लेकर ब्रह्मपुत्र और देश के दूसरे हिस्सों की प्रमुख नदियों के किनारे जाने कितने तीर्थ, प्राचीन मन्दिर, धरोहरें, प्राकृतिक स्थल तथा सुन्दर जगहें हैं। अत: पर्यटन विकास की व्यापक सम्भावनाएँ भी अन्तरदेशीय जल परिवहन क्षेत्र में छिपी हुई है।
- **तटीय जहाजरानी से जुड़ाव:** अन्तरदेशीय जल परिवहन के विकास से जुड़ा एक अहम सवाल बन्दरगाहों और तटीय जहाजरानी से जोड़ने का भी है। इससे हमारी कई नदी प्रणालियों को लाभ होगा। पहले से ही गंगा-ब्रह्मपुत्र-सुन्दरवन नदी प्रणाली को कोलकाता-हल्दिया बन्दरगाह, ब्राह्मणी-महानदी प्रणाली को पारादीप बन्दरगाह, कृष्णा-गोदावरी-बकिंघम नहर को चौन्नई बन्दरगाह, पश्चिम तटीय नहर की कोचीन बन्दरगाह और मांडवी-जुआरी नदी तथा कम्बर्जुआ के जलमार्गों को मरमुगाँव बन्दरगाह से जोड़ा जा चुका है। जलमार्गों के विकास के साथ इसे और प्रभावी बनाया जा सकता है और इसके कई लाभ होंगे।
- पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में अन्तरदेशीय जल परिवहन बहुत प्रभावी है। वहाँ कई छोटी-बड़ी नदियाँ हैं और विशाल ब्रह्मपुत्र तो अंग्रेजी राज से ही रेलों के विकास के बाद भी परिवहन का सबसे महत्त्वपूर्ण साधन रहा है।
- आज असम में ही सालाना 54 लाख लोग फेरी सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं, जबकि 2020 तक यह आँकड़ा बढ़कर एक करोड़ होने वाला है। इसके अलावा पंचायत और जिला परिषद तथा निजी क्षेत्र में दूसरी नदियों में फेरी सेवाएँ संचालित हो रही हैं।
- असम में ब्रह्मपुत्र और बराक पर वाणिज्यिक आधार पर जल परिवहन सेवाएँ संचालित होती हैं। इन सेवाओं का उपयोग यात्री और माल यातायात में होता है। यहाँ से कोयला, उर्वरक, वनोत्पाद, कृषि उत्पादों और मशीनरी आदि की बड़ी मात्रा में आवाजाही होती है। यहाँ से चिटगाँव बन्दरगाह (बांग्लादेश) तथा कोलकाता और हल्दिया बन्दरगाह के मध्य भी सीधा सम्पर्क है इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा।
- पूर्वोत्तर में खासतौर पर लम्बी दूरी के माल परिवहन को लेकर काफी सम्भावनाएँ हैं। अनुमान है कि इसके द्वारा 2020 तक करीब 60 लाख टन सालाना माल ढुलाई सम्भव हो सकेगी।
- मार्गों के विकास से रोजगार के नये अवसर सृजित होंगे। साथ ही धन की व्यापक बचत होगी और पर्यावरण प्रदूषण कम होगा।

सरकारी प्रयास

- सरकार जल परिवहन को भारत के परिवहन की जीवन रेखा बनाने की दिशा में आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जहाजरानी मंत्रालय ने सागरमाला परियोजना के तहत कुल घरेलू माल ढुलाई में जल परिवहन का हिस्सा जो वर्तमान में महज 6 फीसदी है, इसे वर्ष 2025 तक बढ़ाकर 12 फीसदी करने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को पाने के लिए राष्ट्रीय जलमार्ग कानून के तहत 111 नए नदी मार्गों को राष्ट्रीय जलमार्गों के रूप में विकसित किए जाने की योजना बनाई गई है। यह सरकार की उस बड़ी योजना का हिस्सा है, जिसके तहत जल मार्ग आगे चलकर एक पूरक, कम लागत वाला और पर्यावरण के अनुकूल माल एवं यात्री परिवहन का माध्यम बन सकते हैं।
- गौरतलब है कि जनवरी 2018 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने व्यापक जलमार्ग विकास परियोजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत एनडब्ल्यू-1 में नौवहन की क्षमता बढ़ाई जानी है। यह परियोजना मार्च 2023 तक पूरी होने की संभावना है। इस जलमार्ग परियोजना को गतिशील करने के लिए हाल ही में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) ने संकेत दिया है कि जिस तरह 30 साल के लिए टोल के परिचालन के सड़क मुद्रीकरण ठेकों के टीओटी मॉडल को जोरदार सफलता मिली है, उसी तरह जलमार्ग परियोजनाओं के परिचालन व रखरखाव का काम निजी क्षेत्र को देने के लिए शीघ्र ही बोली आमंत्रित किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। इसके तहत 30 साल के ठेके पर दिए जाने और गोदाम व लॉजिस्टिक सुविधाएं आदि बनाए जाने की भी योजना है।
- इस परिप्रेक्ष्य में पहला ऑपरेट मेंटेन ट्रांसफर (ओएमटी) ठेका वाराणसी की मल्टी मॉडल परियोजना के लिए होगा जो राष्ट्रीय जलमार्ग एनडब्ल्यू-1 पर स्थित है। इस तरह के ठेके हासिल करने की इच्छुक निजी कंपनी को 2.5 अरब रुपये के ठेकों के तहत गोदाम और लॉजिस्टिक सुविधाओं के लिए सरकार जमीन का अधिग्रहण करेगी और मल्टी मॉडल परियोजना के लिए शुरुआती बुनियादी ढांचा तैयार करेगी। शेष काम ठेका प्राप्त करने वाली निजी क्षेत्र की इकाई को करना होगा।
- केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग तथा जल संसाधन एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा नदी परिवहन को प्रोत्साहन देने के लिए 13 मानकीकृत अत्याधुनिक जहाज डिजाइन तैयार किये गये हैं। इससे गंगा नदी मार्ग में चलने वाले जहाजों के आकार को लेकर किसी अस्पष्ट स्थिति को समाप्त किया जा सकेगा। एक अध्ययन के अनुसार 2021 तक राष्ट्रीय जलमार्ग एक पर माल यातायात 2.18 करोड़ टन पर पहुंच जाएगा।'' राष्ट्रीय जलमार्ग एक पर 2017-18 में माल परिवहन 55 लाख टन रहा था।
- सरकार राष्ट्रीय जलमार्ग एक (वाराणसी हल्दिया मार्ग) पर नौवहन के विस्तार के लिए जल मार्ग विकास परियोजना (जेएमवीपी) का क्रियान्वयन कर रही है। इस पर 5,369. 18 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इसके लिए विश्व बैंक से तकनीकी सहायता और निवेश सहयोग मिला है। नए डिजाइनों से जहाज बनाने पर 30 से 50 लाख रुपये की बचत होगी।
- पिछले कई वर्षों से संसदीय समितियाँ जल परिवहन के विकास पर काफी समर्थन देती रही है। आजादी के बाद पहली बार संसद की परिवहन, पर्यटन और संस्कृति सम्बन्धी संसदीय स्थायी समिति ने इस विषय को लेकर 2013 में एक विशेष अध्ययन भी किया था और देश के कई हिस्सों का दौरा भी किया। वरिष्ठ सांसद सीताराम येचुरी की अध्यक्षता वाली इस समिति ने कई अहम सिफारिशें की थीं। समिति ने जलमार्गों की क्षमता के इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिये टर्मिनलों पर जलयानों के लंगर डालने के लिये जेट्टी, माल लदाई और उतराई के लिये स्थान, भण्डारण क्षेत्र और दूसरी जरूरी सुविधाओं के उचित विकास की सिफारिश की थी।

भारतीय अन्तरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण

अन्तरदेशीय जल परिवहन के विकास के लिये दुनिया के कई देशों में विशेषज्ञ संगठन हैं। भारत सरकार ने भी अक्टूबर 1986 में भारतीय अन्तरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना की। इस प्राधिकरण का गठन राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति, 1980 की सिफारिशों के आधार पर भारतीय अन्तरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1985 के तहत किया गया। अन्तरदेशीय जलमार्गों का विकास और नियमन करने वाला देश का यही सर्वोच्च निकाय है। केन्द्र सरकार को अन्तरदेशीय जल परिवहन के मामले में सलाह देने के साथ राज्यों का मार्गदर्शन करने का काम भी प्राधिकरण करता है और राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने सम्बन्धी प्रस्ताव भी यही तैयार करता है।

अब तक घोषित हो चुके राष्ट्रीय जलमार्ग

जलमार्ग	क्षेत्र	लम्बाई	वर्ष
राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या-1	इलाहाबाद से हल्दिया (गंगा-भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली)	1620 किमी	1986
राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या-2	सादिया से धुबरी (ब्रह्मपुत्र)	891 किमी	1988
राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या-3	कोल्लम से कोट्टापुरम (केरल)	205 किमी	1993
राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या-4	काकीनाडा से मरक्कानम (आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु एवं पुडुचेरी)	1078 किमी	2008
राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या-5	तल्चर-धमरा (ओड़िशा तथा पश्चिम बंगाल)	588 किमी	2008
राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या-6	लखिपुर से भंगा (बराक)	121 किमी निर्माणाधीन	

चुनौतियाँ

- **नदी को छोटी धारा में समेटना:** अक्सर गहराई बनाने के लिए नदी के फैले हुए पानी को एक छोटे चैनल के अन्दर एकत्रित कर दिया जाता है जिससे कि उस चैनल के अन्दर पानी की गहराई ज्यादा हो जाए और जहाज चल सकें। नदी के फैलाव क्षेत्र में जलीय जीव आसानी से अपने अण्डों का संरक्षण करते हैं जिन्हें जैवमंडल का हिस्सा माना जाता है। अत: नदी को एक धारा में समेटने से जैवमंडल पर सीधे असर पड़ता है।
- **घाटों और नदी बंदरगाहों का निर्माण:** अंतर्देशीय जलमार्ग निर्माण हेतु नदियों, क्रिक्स और खाड़ियों के तटों पर जगह-जगह बंदरगाह और हब बनाने होंगे। इन निर्माण कार्यों से आस-पास के पेड़ों और मैन्ग्रोव जंगलों की बड़े पैमाने पर कटाई होगी। महाराष्ट्र के धरमतर सीपोर्ट के लिए राष्ट्रीय जलमार्ग-10 के रास्ते में स्थित एक जेटी के निर्माण के लिए यहाँ तट पर स्थित मैनग्रोव वन पट्टी को साफ कर दिया गया है। इससे पर्यावरण प्रदूषण की समस्या बढ़ जाएगी।
- **बैराजों का निर्माण:** नदी के पानी में आवश्यक गहराई बनाये रखने के लिए ड्रेजिंग के अलावा जगह-जगह बैराज भी बनाने होंगे। बैराजों के निर्माण से नदी का किनारा डूबने लगता है, उसमे होने वाली खेती नष्ट हो जाती है, नदी का प्रवाह बदल जाता है, नदी के आसपास के पर्यावरण में बदलाव आते हैं। बैराज बनाने से नदी में गाद का बहाव भी रुक जाता है। उदाहरण के लिए 2016 में गंगा नदी में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गयी थी।
- **डीजल, तेल के रिसने से प्रदूषण:** जलमार्गों में चलने वाले जहाजों से डीजल, तेल और लुब्रिकेंट रिसते रहते हैं। गंगा जलमार्ग (NW-1) में एलपीजी को जहाजों के ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करने का प्रस्ताव रखा गया है। यह एक स्वागत योग्य कदम है मगर इससे भी नौकाओं से निकलने वाले लुब्रिकेंट की समस्या खत्म नहीं होगी।
- भारत की नदियों में अधिकतर पानी मानसून के चार महीनो में बहता है जबकि यूरोप और अमेरिका की नदियों में पानी जल श्रोतों से आता है और पूरे वर्ष बहता है। भारत में पानी के स्तर का उतार चढाव ज्यादा होने के कारण वर्ष में आठ महीने नदी में पानी कम रहता है जिसको गहरा करने के लिए हमें ड्रेजिंग की आवश्यकता होगी।
- परिवहन के दूसरे साधनों की तुलना में जलमार्गों का अनुरक्षण सस्ता है लेकिन इनमें कुछ दिक्कतें भी हैं। जैसे अगर किसी जलमार्ग का एक छोटा टुकड़ा भी खराब या नौवहन योग्य नहीं है तो पूरा खण्ड ही बड़े जलयानों के लिये अनुपयोगी सा हो जाता है।
- देश में नहरों की चौड़ाई 9 से 20 मीटर तक है। इसके खास तौर पर संकरे खण्डों में करीब 9 मीटर चौड़े माल वाहक जलयानों का संचालन कठिन हो जाता है। वहीं कम ऊँचाई वाले पुलों से भी जलयानों के संचालन में बाधा पहुँचती है।
- अभी खासतौर पर उपेक्षित इलाकों में निजी निवेश का मसला टेढ़ी खीर बना हुआ है। वहीं सेवाओं की दक्षता और गुणवत्ता में सुधार करने के लिये इस क्षेत्र को काफी संसाधन चाहिए साथ ही विशेषज्ञता की कमी।
- सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा किये जाने वाला माल परिवहन है इसका एक तय हिस्सा जल परिवहन के माध्यम से करने के बाबत कोई ठोस नीति नही है। साथ ही कच्चे माल, रसायनों, कंटेनरों और तैयार उत्पादों को जल परिवहन से प्रोत्साहित करने की दिशा में भी नई पहल करनी होगी। अभी अधिकतर एजेंसियाँ सड़क और रेल पर ही निर्भर हैं।

आगे की राह

- जल परिवहन क्षेत्र के विशेषज्ञों का मानना है कि जलमार्गों के विकास के लिये कुछ ठोस उपाय करने होंगे। जैसे इस बात की वैधानिक व्यवस्था हो कि विभिन्न नदी तटीय इलाकों के कारखाने तथा अन्य उपक्रम अपनी माल ढुलाई में एक खास हिस्सा जलमार्गों को दें। इससे अन्तरदेशीय जल परिवहन और तटीय जहाजरानी दोनों को बढ़ावा मिलेगा, सस्ते में परिवहन होगा और इन संगठनों का आधार मजबूत होगा।
- अभी हमारे जलमार्गों पर सीमित संख्या में जलयान चल रहे हैं। हमें अपनी जलयान निर्माण क्षमता का विस्तार करने की भी जरूरत है और इस क्षेत्र में व्यापक अनुसंधान एवं विकास के लिये भी संसाधन उपलब्ध कराने होंगे लेकिन यह तभी सम्भव होगा जब इस क्षेत्र में गारंटीशुदा माल आने लगेगा।
- जलयानों की डिजाइन में भी हमें परिवर्तन करना होगा ताकि वे कम गहराई में भी ज्यादा क्षमता से चल सके। राष्ट्रीय जलमार्गों और तटीय जहाजरानी में माल ढुलाई के क्षेत्र में कुछ सब्सिडी भी दी जानी चाहिए ताकि थोक माल वाले लोग सड़क से इधर आ सकें। साथ ही खतरनाक सामग्री और गैस, पेट्रोल या रसायनों का एक हिस्सा जल परिवहन को शिफ्ट किया जा सके।
- भारतीय खाद्य निगम जैसी विशाल एजेंसी इस काम में पहल कर सकती है क्योंकि उनके यहाँ वर्ष भर अनाज की ढुलाई होती रहती है। साथ ही जल परिवहन तंत्र की विश्वसनीयता के लिये भी काफी कुछ करने की जरूरत है।
- यूरोप और कुछ दूसरे देशों में तो तीस फीसदी तक घरेलू माल परिवहन अन्तरदेशीय जलमार्गों से होता है। भारत में भी कुछ क्षेत्रों

पर खास ध्यान देने की जरूरत है इसमें ड्रेजिंग क्षमता का विकास सबसे प्रमुख है। ऐसा करके हम अपना पुराना गौरव लौटा सकते हैं।

- इस क्षेत्र में नीचे से ऊपर तक एक शृंखला बनाने की जरूरत है साथ ही राज्य सरकारों को भी अहम भूमिका निभाते हुए जल परिवहन के क्षेत्र के लिये हितैषी नीतियाँ बनानी होंगी।
- यह प्रमाणित तथ्य है कि अन्तरदेशीय जल परिवहन पर्यावरण मैत्री है और सड़क और रेल की तुलना में काफी किफायती भी है। इसमें प्रदूषण न्यूनतम होता है और अगर हम डीजल इंजनों की जगह सीएनजी इंजन स्थापित कर दें तो और भी लाभकारी हो सकता है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- बुनियादी ढांचा: ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे आदि।

■

6. शैक्षणिक संस्थान और पेटेंट: एक-दूसरे के लिए लाभदायी

चर्चा का कारण

यूजीसी (यूनिवर्सिटी अनुदान आयोग) ने भारत के सभी विश्वविद्यालयों को 'बौद्धिक संपदा केन्द्र' (IPC-Intellectual Property Centre) स्थापित करने के लिए कहा है ताकि वो एक 'उद्यमी विश्वविद्यालय' (Entrepreneurial Universities) में तब्दील हो सकें।

पेटेंट से यूनिवर्सिटी को फायदा होता है और यूनिवर्सिटी से पेटेंट को फायदा होता है अर्थात् दोनों एक-दूसरे से लाभान्वित होते हैं। पेटेंट से यूनिवर्सिटी को निम्नलिखित फायदे होते हैं-

- भारत सरकार अपने 'Nation Institutional Ranking framework' (NIRF) में पेटेंट को वरीयता देती है अर्थात् यदि कोई शैक्षणिक संस्थान द्वारा अधिक पेटेंट कराया जाता है तो 'NIRF' की रैंकिंग में उसे उच्चतर स्थान प्राप्त होगा।
- ये यूनिवर्सिटी को राजस्व (Revenue) भी उपलब्ध कराते हैं।
- पेटेंट से 'आर एण्ड डी' को बढ़ावा मिलता है और कैंपस में एक 'उद्यमी पारितंत्र' का निर्माण होता है।

इसी प्रकार जब यूनिवर्सिटी पेटेंट को बढ़ावा देने के लिए 'आर एण्ड डी' का एक बेहतर प्लेटफार्म उपलब्ध कराती है, तो ऐसे वातावरण में पेटेंट खूब फलता-फूलता है।

पेटेंट के विभिन्न आयाम

वर्तमान में संपूर्ण दुनिया में WTO की 'ट्रिप्स व्यवस्था' (TRIPS-Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) आईपीआर से जुड़ी सबसे बड़ी और प्रभावशाली व्यवस्था है, जिसका भारत भी सदस्य है (भारत द्वारा ट्रिप्स से जुड़े समझौते पर 1994 में हस्ताक्षर किये गए)। इस ट्रिप्स व्यवस्था में अलग-अलग क्षेत्रों के नवाचार को निम्न 7 विधियों के माध्यम से सुरक्षित किया गया है-

i) **ट्रेड मार्क (Trade Mark)-** यह व्यावसायिक पहचान को प्रदर्शित करने वाले नाम (Names), फीगर्स (Figures), प्रतीक/चिह्न (Symbols), लोगो (Logo) आदि होते हैं। इन्हें 10 वर्ष के लिए दिया जाता है, हाँलाकि इनका नवीनीकरण हो सकता है।

ii) **डिजाइनें (Designs)-** ये औद्योगिक वस्तुओं की नई डिजाइनें होती हैं, इन्हें 10 वर्ष के लिए सुरक्षित किया जाता है।

iii) **आईसी (Integrated Circuit)-** ये सिलिकॉन जैसे अर्द्धचालकों (Semi Conductors) से बने हुए चिप होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को छोटा कर देते हैं। ये नैनोटेक्नोलॉजी के परिचायक हैं। मैपिंग (Mapping) को लेकर एक आईसी, दूसरी आईसी से अलग होती है। इन्हें 10 वर्षों के लिए सुरक्षित किया जाता है।

iv) **कॉपीराइट (Copyright)-** इनके माध्यम से साहित्यिक, कलात्मक, संगीतात्मक आदि नवाचारों को सुरक्षित किया जाता है। इसके अलावा, कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर और वेब डिजाइनिंग को भी 'कॉपीराइट' के द्वारा सुरक्षित किया जाता है।

v) **जीआई (Geographical Indicators):** ये भौगोलिक नाम या किसी विशेष भूगोल की ओर इशारा करने वाले नाम होते हैं, जो वस्तुओं के विशिष्ट गुणों को भी प्रदर्शित करते हैं। जीआई के अंतर्गत, इस प्रकार के नामों का प्रयोग उन लोगों के लिए सुरक्षित किया जाता है, जो उस भूगोल से जुड़े हुए होते हैं। उदाहरण के लिए, हाल ही में 'जीआई ऑफिस' द्वारा 'रसगुल्ला' के लिए पश्चिम बंगाल को 'जीआई' दिया गया।

यह ध्यान देने योग्य है कि 'WTO' स्तर पर जीआई का संरक्षण केवल 'वाइन और स्पिरिट' (Wine & Spirit) तक ही सीमित है। भारत " W-52 Sponsors" नामक समूह के माध्यम से डब्ल्यूटीओ स्तर पर जीआई में अन्य वस्तुओं को सम्मिलित करने का दबाव बना रहा है।

vi) **ट्रेड सीक्रेट (Trade Secret)-** इनके माध्यम से वाणिज्यिक महत्त्व वाली सूचनाओं को सुरक्षित किया जाता है। इन सूचनाओं का संबंध किसी सूत्र (Formula), रासायनिक यौगिक, ग्राहकों की सूची आदि से हो सकता है।

vii) **पेटेंट (Patent)-** इनके माध्यम से 'औद्योगिक और भौतिक' इस्तेमाल से जुड़ी हुई नई वस्तुओं को सुरक्षित किया जाता है। 'महत्त्वपूर्ण परिवर्तन' (Significant Change) के अपवाद को छोड़कर, इनका नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है। ये 20 वर्ष के लिए दिए जा सकते हैं।

Note- 'ट्रिप्स समझौते' पर हस्ताक्षर करते समय आईपीआर (IPRs) से जुड़े हुए भारत के घरेलू नियम केवल पेटेंट को छोड़कर अन्य सभी मामलों में ट्रिप्स (Trips) की आवश्यकताओं के अनुसार थे। बाद में भारत ने वर्ष 2005 तक धीरे-धीरे पेटेंट से संबंधित अपने नियम व कानूनों को 'ट्रिप्स व्यवस्था' के अनुरूप बना दिया। वर्तमान में विकसित देशों की कम्पनियों द्वारा पेटेंट को 'एवरग्रीन (Evergreen) कराने की भरसक प्रयत्न किये जाते हैं, जिसका खामियाजा गरीब व विकासशील देश भुगतते हैं।

आईपीआर (IPRs) जैसी नई फील्ड का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव-

भारत द्वारा ट्रिप्स को लागू करते समय लोगों द्वारा इसके प्रभाव को लेकर विभिन्न प्रकार के अलग-अलग विचार अभिव्यक्त किये गए। इस संदर्भ में निम्न बिन्दु महत्वपूर्ण हैं-

- यह कहा गया कि नई व्यवस्था के लागू होने से विदेशी दवा कम्पनियों को अधिक लाभ

होगा, क्योंकि उनके द्वारा भारतीय कम्पनियों की तुलना में 'रिसर्च एण्ड डवलपमेंट' पर अधिक खर्च किया जाता है। एक अनुमान के अनुसार, विदेशी दवा कम्पनियाँ अपने कुल कारोबार (टर्नओवर) का लगभग 15 प्रतिशत 'आर एण्ड डी' पर खर्च करती हैं जबकि भारतीय कम्पनियाँ अपने कारोबार का केवल 2 प्रतिशत ही 'आर एण्ड डी' पर खर्च करती हैं।

भारत में समग्र रूप से भी 'आर एण्ड डी' पर कम खर्च किया जाता है। भारत में निजी और सरकारी दोनों क्षेत्र मिलकर जीडीपी का 0.81% भाग ही 'आर एण्ड डी' पर खर्च करते हैं। जबकि दक्षिण कोरिया जीडीपी का 4.04 प्रतिशत 'आर एण्ड डी' पर खर्च करता है। यूएसए के लिए यह अनुपात 2.76 प्रतिशत है।

2018 की रिपोर्ट में 'ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स' को लेकर 2017 के लिए भारत की रैंक 130 राष्ट्रों में 57वीं पाई गयी। जबकि भारत जीडीपी की दृष्टि से पीपीपी मानक पर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।

- यह कहा गया कि दवा कम्पनियाँ पेटेंट की आड़ में 'एकाधिकारी शक्ति' का प्रयोग कर सकती हैं तथा दवाओं की कीमतें आवश्यक्ता से अधिक ऊँची कर सकती हैं।

  उपर्युक्त संदर्भ में ''भारतीय पेटेंट अधिकार नियम, 1970'' की 'धारा 92' महत्वपूर्ण है, जो 'सीएल' (Compulsory Licensing) का प्रावधान करती है। यह प्रावधान ट्रिप्स के अनुरुप है। इस प्रावधान के अनुसार यदि कोई दवा कम्पनी किसी दवा की कीमत को आवश्यकता से अधिक ऊँचा करती है तो भारत सरकार उस दवा को बनाने का अधिकार किसी अन्य कम्पनी को दे सकती है। भारत सरकार द्वारा इसका पहली बार प्रयोग जर्मनी की एक दवा कम्पनी 'बायर' (Bayer) की 'कैंसर प्रतिरोधी दवा' (NEXAVAR) के लिए किया गया था। इसमें भारत सरकार द्वारा 'नैटको' (Natco) नामक भारतीय कम्पनी को इस दवा को बनाने का अधिकार दिया गया।
- यह कहा गया कि दवा कम्पनियां एक ही दवा पर मामूली परिवर्तन करके बार-बार पेटेंट की माँग कर सकती हैं, अर्थात् उनके द्वारा "Evergreening of Patents" की प्रक्रिया को लागू किया जा सकता है।

  उपर्युक्त संदर्भ में ''भारतीय पेटेंट अधिनियम, 1970'' की 'धारा 3(d)' महत्वपूर्ण है, जो इस बात का प्रावधान करती है कि 'महत्वपूर्ण परिवर्तन' (Significant Change) की स्थिति में ही किसी दवा या अन्य उत्पाद पर पुनः पेटेंट लिया जा सकता है अर्थात् यदि 'महत्वपूर्ण परिवर्तन' नहीं हुआ तो पुनः पेटेंट नहीं लिया जा सकता है।

  यह ध्यान देने योग्य है कि अप्रैल, 2013 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसी धारा को आधार बनाते हुए स्विट्जरलैण्ड की दवा कम्पनी (Novartis- नोवार्टिस) की 'कैंसर प्रतिरोधी दवा' (Glivec- ग्लीवेक) के लिए पुनः पेटेंट की माँग को खारिज कर दिया गया।
- यह कहा गया है कि नई व्यवस्था के लागू होने से भारत में फार्मा क्षेत्र में एफडीआई (FDI) का स्तर बड़ेगा।

  उपर्युक्त संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि भारत में फार्मा क्षेत्र में अधिक एफडीआई नहीं आया है तथा उसका एक बड़ा भाग 'ब्रॉउनफील्ड एफडीआई' (Brownfield FDI) के रूप में है। इसका निहितार्थ यह है कि एफडीआई का प्रयोग भारतीय कम्पनियों के अधिग्रहण में अधिक किया गया है।

भारत में आईपीआर से संबंधित चुनौतियाँ

- भारत में पेटेंट फाइल करने की संख्या बढ़ने के बजाय घटती हुयी प्रतीत होती है। उदाहरणस्वरूप, भारतीय पेटेंट ऑफिस के मुताबिक, उसके पास 2015-16 की अपेक्षाकृत 2016-17 में 3.2 प्रतिशत कम पेटेंट अप्लीकेशन आयीं। इसका कारण यह है कि भारत में 'आईपी पेशेवर' (Intellectual Property Professionals) कम हैं। ये पेशेवर आईपी क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं, जो खोजकर्त्ताओं को उनके नवाचार को पेटेंट में तब्दील कराने की प्रक्रिया से अवगत कराते हैं।
- एक तरफ आईपीआर से संबंधित रोज नई-नई अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ, ट्रेड एग्रीमेंट्स आदि हो रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ भारत में आईपीआर की इन जटिल प्रक्रियाओं को समझने हेतु ढाँचागत संसाधनों का भारी अभाव है। अभी यहाँ कुछ गिने-चुने 'लॉ इन्स्टीट्यूट्स' (Law Institutes) में ही आईपीआर से संबंधित विषय पढ़ाये जाते हैं, जो वर्तमान की माँग के अनुसार नाकाफी है।
- अभी केन्द्र सरकार ने 'पेटेंट एजेंट' (Patent Agent) बनाने हेतु टेस्ट (Test) संचालित (Conduct) किया था किन्तु इसमें दाखिल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या बहुत कम रही, जिसका प्रमुख कारण था कि इस टेस्ट व आईपीआर से संबंधित क्षेत्र की जानकारी का लोगों में भारी अभाव था।

उल्लेखनीय है कि पेटेंट ऐजेंट, लोगों को उनके नवाचारों को पेटेंट में तब्दील कराने हेतु मदद करते हैं।

नेशनल आईपीआर पॉलिसी

भारत के द्वारा पहली बार मई, 2016 में 'आईपीआर नीति' (IPR Policy) को लागू किया गया इसे 'राष्ट्रीय आईपीआर नीति' (National IPR Policy) के नाम से संबोधित किया गया है। यह नीति देश के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास में नवाचारों की भूमिका को उजागर करते हुए इनके प्रति लोगों की जागरूकता पर जोर देती है।

इस नीति के मुख्य उद्देश्य-

- **आईपीआर के प्रति जागरूकता (IPR Awareness)-** लोगों को बौद्धिक संपदा अधिकारों (IPRs) के लाभों के संदर्भ में जागरूक बनाना।
- **आईपीआर की संतति/ जनन (Generation of IPRs)-** नवाचारियों और अनुसंधान कर्त्ताओं को नवाचार के लिए प्रोत्साहित करना।
- **कानूनी और विधायी ढाँचा (Legal and Legislative framework)-** नवाचारियों तथा सामान्य जनता के हितों के बीच में संतुलन लाने वाले आईपीआर से जुड़े बेहतर कानून लाना।
- **प्रशासन और प्रबंधन (Administration and Management)-** आईपीआर से जुड़े प्रशासनिक संस्थानों को कुशल और प्रभावी बनाना।
- **आईपीआर का व्यवसायीकरण (Commercialisation of IPRs)-** नवाचारियों (Innovators) और निवेशकों (Investors) को आपस में जोड़ना।
- **प्रवर्तन और अधिनिर्णयन (Inforcement and Adjudication)-** आईपीआर से जुड़े हुए कानूनों को बेहतर ढंग से लागू करना और उनके उल्लंघन को रोकना।
- **मानव पूँजी विकास (Human Capital Development)-** आईपीआर को बड़ावा देने

के लिए उपयुक्त मानव शक्ति के निर्माण को सुनिश्चित करना।

आईपीआर क्षेत्र में उन्नयन हेतु कुछ मौलिक सुझाव

- 'भारतीय पेटेंट ऑफिस' ने वर्ष 2017-18 में 2016-17 के अपेक्षाकृत 32 प्रतिशत अधिक पेटेंट ग्राण्ट (Grant) किये। यह उपलब्धि इस वजह से हासिल हुयी क्योंकि सरकार ने पेटेंट ग्राण्ट की टाइमलाइन (समयसीमा) को कम कर दिया है। अत: सरकार को 'पेटेंट प्रक्रिया' के ऐसे ही 'लूप होल्स' (Loop Hols) की पहचान करके, उनका निरस्तीकरण करना होगा।
- आईपी से संबंधित कोर्स लगभग सभी उच्च शिक्षण संस्थाओं में उपलब्ध होना चाहिए।
- पेटेंट एजेंट बनने के लिए निश्चित समय पर हर साल सरकार को परीक्षा आयोजित करनी चाहिए ताकि लोगों को इसके बारे में समय रहते जानकारी हासिल हो सके।
- पेटेंट एजेंट बनने का पाठ्यक्रम (Syllabus) भी सरकार को सुस्पष्ट करना चाहिए ताकि इस क्षेत्र में कैरियर देखने वालों के मन में संशय की स्थिति उत्पन्न न हो।
- 'नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इन्हैंस्ड लर्निंग प्लेटफार्म' (National Programme on Technology Enhanced Learning Plateform) पर आईपीआर से संबंधित ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध हैं, लेकिन इससे अभी तक कुछ खास फायदा नहीं हुआ है। इस प्लेटफार्म पर हर साल हजारों विद्यार्थी पंजीकरण (Registration) तो करते हैं किन्तु वो आईपीआर से संबंधित प्रवीणता (Proficiency) हासिल नहीं करते हैं। हमें कोर्सेस (Courses) पर फोकस करने की बजाय कैरियर पर फोकस करना होगा ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी आईपीआर क्षेत्र में अपना भविष्य सुनिश्चित करें।
- अभी भारत में लगभग 2000 रजिस्टर्ड पेटेंट एजेंट हैं जबकि भारत जैसे विशाल देश में इनकी संख्या काफी अधिक होनी चाहिए।
- अभी भारत में पेटेंट एजेंट बनने से संबंधित सिर्फ एक ही परीक्षा सरकार द्वारा कभी-कभी आयोजित की जाती है, जिसका विवधीकरण अति आवश्यक है। इसके अलावा, इस क्षेत्र में आगे बढ़ने वालों के लिए सरकार को आईपीआर क्षेत्र से संबंधित 'Post Qualification Courses' भी उपलब्ध कराना होगा।

निष्कर्ष:

विकास का आधार नवाचार होता है लेकिन नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए यह जरुरी है कि नवाचारियों के नवाचार से जुड़े वाणिज्यिक अधिकारों को पर्याप्त रूप से सुरक्षित किया जाये। यदि ऐसा नहीं होता है तो लोग नवाचार के लिए प्रेरित नहीं होंगे। सरकार को अपनी आईपीआर पॉलिसी में उपर्युक्त दर्शन और गरीब जनता के हितों के बीच संतुलन (Balance) बनाना होगा।

यह नीति भारत में एक गतिशील (dynamic), मजबूत और संतुलित आईपीआर व्यवस्था को सुनिश्चित करने पर जोर देती है। यह 'Compulsory' तथा 'महत्वपूर्ण परिवर्तन' (Significant Change) के प्रावधानों के साथ कोई समझौता नहीं करती है। इसके बावजूद इस नीति में 'आर एण्ड डी' को किस प्रकार आगे बढ़ाया जायेगा, यह नहीं बताया गया है। इसी प्रकार, ज्ञान का अति-वाणिज्यिकरण समाज के लिए उचित नहीं होता है। हर ज्ञान को 'आईपी संपत्ति' (IP Assets) का रूप नहीं दिया जाना चाहिए।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कम्प्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो-टैक्नोलॉजी, बायो-टैक्नोलॉजी और बौद्धिक सम्पदा अधिकारों से संबंधित विषयों के संबंध में जागरूकता।

■

7. मानव-पशु टकराव: बेहतर प्रबंधन की आवश्यकता

चर्चा का कारण

पशुओं की सुरक्षा के लिए काम करने वाले संगठन वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन (WAP) ने कहा है कि मानव-पशु टकराव की स्थिति से 'मानवीय और पेशेवर' तरीके से निपटने की आवश्यकता है। इसके साथ ही निकाय ने कहा कि महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश में एक एक बाघ की हत्या की घटनाओं से पता लगता है कि मानव-पशु टकराव से निपटने के लिए तैयारियाँ पर्याप्त नहीं हैं। कहा जाता है कि महाराष्ट्र में बाघिन अवनी ने पिछले दो साल में 13 लोगों की जान ले ली थी। एक अन्य घटना में, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में ट्रैक्टर से एक बाघ को कुचल देने के आरोप में छह लोगों और कुछ अज्ञात ग्रामीणों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी।

उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में मानव पशु टकराव को अब राज्य आपदा घोषित किया है। ऐसा निर्णय करने वाला देश का पहला राज्य 'उत्तर प्रदेश' बन गया है। सरकार द्वारा जारी किये गये आदेश में कहा गया है कि, ऐसे मामलों में मृत्यु होने पर मृतक के परिजनों को पांच लाख रुपये की राहत राशि दी जाएगी और घायल होने पर भी मदद की राशि मिलेगी।

क्या है मानव-वन्यजीव संघर्ष?

मानव और वन्य जीवों के बीच होने वाले किसी भी तरह के संपर्क के कारण इंसान, वन्यजीव, समाज, आर्थिक क्षेत्र, सांस्कृतिक जीवन, वन्यजीव संरक्षण या पर्यावरण पर पड़ने वाला नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, मानव-वन्यजीव संघर्ष कहलाता है। इस संघर्ष के चार आयाम हैं-

- वन्यजीवों के कारण आर्थिक क्षति।
- वन्यजीवों के हमले से पशुधन का नुकसान।
- वन्यजीवों के हमले से मानवीय जीवन का नुकसान।
- इंसानी प्रतिशोध में वन्यजीवों का नुकसान आदि।

वर्तमान स्थिति

वन्य प्राणियों के गांवों एवं शहरों में प्रवेश, खेती-पालतू पशुओं को नुकसान पहुंचाने और मनुष्यों पर घातक हमला करने की घटनाएं देश भर में बढ़ रही हैं। वन क्षेत्रों के निकट के गांवों एवं कस्बों में ऐसी घटनाएं आए दिन हो रही हैं। वनों में रहने वाले बंदर जब-तब गांव और शहर में झुंड बनाकर हमले करने लगे हैं। इसी तरह बाघ, रीछ, नीलगाय, सियार, लकड़बग्गे और हिरण आदि पशु भी फसलों और मानव को नुकसान पहुँचाने लगे हैं। अगर पिछले एक दशक की स्थिति को देखें तो जंगली जानवरों के हमलों में घायल और मृत लोगों एवं मवेशियों का

आंकड़ा हजारों में होगा, वहीं इंसान और जानवर के टकराव से फसल, प्राकृतिक संसाधनों और दूसरे नुकसान का हिसाब-किताब करोड़ों में होगा।

वाईल्ड लाईफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया और उत्तर प्रदेश सरकार के ''लिविंग विद द वाईल्ड मिटिगेशन कन्फलिक्ट बिटवीन हूयूमन एंड बीग कैट्स'' रिपोर्ट के अनुसार केवल भालू, हाथी और मगरमच्छ तथा मानव के बीच संघर्ष में मार्च 2018 तक 6 लोगों की मौत हुई। अकेले 2017 में उत्तर प्रदेश में बाघ के हमले से 17 लोग मारे गये।

इस रिपोर्ट के अनुसार 50% तेन्दुओं का निशाना बच्चे और छोटे पशु (जैसे- भेड़, बकरी आदि) हैं। बाघों के 87% हमले जंगल के सीमावर्ती इलाकों में और आस-पास के गन्ने के खेतों में हुए। 13% मामलों में घटना स्थल मानव बस्तियों में बने घर हैं। तेन्दुओं के 92.1% हमले गांव व उसके आस-पास के क्षेत्र हैं।

अगले करीब 30 सालों में दुनिया के 1/4 स्तनधारी जीवों के खत्म होने की आशंका है। कई अध्ययन बताते हैं कि रोजाना एक दांत वाले तीन गैंडे दुनिया से खत्म हो जाते हैं। हर साल करीब 20,000 डॉल्फिन शिकार में मारी जाती हैं, दुनिया में 800 से भी कम पहाड़ी गोरिल्ला बचे हैं, पक्षियों की बात करें तो प्रत्येक आठ में से एक प्रजाति पर खतरा मंडारा रहा है।

उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र का जंगल हो अथवा उत्तरांचल का वनक्षेत्र हो, उसमें से बाहर निकले बाघ चारों तरफ अपना आतंक फैलाए हैं और बेकसूर ग्रामीण उनका निवाला बन रहे हैं। जंगली जानवरों और मानव के बीच संघर्ष क्यो बढ़ रहा है? और जंगली जानवर जंगल के बाहर निकलने के लिए क्यों बिवश हैं? इस विकट समस्या का समय रहते समाधान किया जाना आवश्यक है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड की भांति छत्तीसगढ़, झारखण्ड, असम, राजस्थान और देश के दूसरे राज्यों में वनक्षेत्र के समीप बसे क्षेत्रों से जंगली जानवरों की घुसपैठ और हमले की खबरें आती रहती हैं।

जंगली जानवरों के हमले में मारे गए एंव घायल होने वालों का आंकड़ा समस्या की गंभीरता को प्रदर्शित करता है। झारखंड के वन बहुल इलाकों से लगी बस्तियों में रहने वाले लोग खासतौर पर हाथियों, भेड़ियों, लकड़बघ्घों जैसे वन्यजीवों से ज्यादा परेशान रहते हैं। सिर्फ हाथियों ने ही पिछले दस वर्षों के अंदर 745 लोगों को मौत की नींद सुला दिया। यदि खबरों पर विश्वास किया जाए तो पिछले दो दशकों के दौरान हाथियों ने केवल छत्तीसगढ़ में 150 से ज्यादा मनुष्यों की जान ली है। वर्ष 2001 से 2017 तक उत्तराखण्ड में जंगली जानवरों के हमलों में 500 लोगों की मौत और 780 लोग घायल हुए। 2017 तक हाथियों के हमले से मारे गए लोगों, घायलों, बर्बाद हुई फसलों, मवेशियों, घरों और अनाजों की क्षति पर सरकार ने मुआवजा के तौर पर लगभग 2500. 86 लाख रुपये की अदायगी की थी। पिछले तीन सालों में यूपी के जिला खीरी एवं पीलीभीत के जंगलों से निकले बाघों के द्वारा खीरी, पीलीभीत, शाहजहांपुर, सीतापुर, बाराबंकी, लखनऊ, फैजाबाद तक दो दर्जन के आसपास मानव मारे जा चुके हैं। राजमार्गो के सटे जंगलों में भी जानवरों के स्वभाव में असामान्य बदलाव देखे गए हैं। विशेष तौर पर उत्तराखण्ड में ऋषिकेश-देहरादून रोड पर हाथी कई लोगों को शिकार बना चुके हैं। यहां या तो जानवरों ने मनुष्य को नुकसान पहुंचाया है या हाथी, गुलदार, बाघ, भालू जैसे जानवर लोगों का निशाना बने हैं। इस टकराहट ने वन विभाग समेत वन्यजीव विशेषज्ञों की चिंता को बढ़ा दिया है।

ट्रेनों के साथ टकराव के परिणामस्वरूप मृत्यु दर से पता चला कि 2011 और 2015 के बीच सैकड़ो बाघ, बिसन, हाथी, नीलगाय और गिद्धों की मौत हो गई। सूची में शीर्ष पर हाथी थे, 2013 में 39 और 2015 में 29 हाथियों क मौत हुई क्योंकि हाथी धीरे-धीरे झुंड के रूप में आगे बढ़ते हैं, इसलिए ट्रेनों द्वारा मारे जाने की संभावना अधिक होती है।

मानव-पशु टकराव के कारण

मानव और वन्य प्राणियों के बीच इस तरह का टकराव नया नहीं है, पर इन घटनाओं से पता चलता है कि यह समस्या अब बदतर स्थिति में पहुंच चुकी है। इन घटनाओं से जुड़ी खबरों में जानवरों की ओर से होने वाले खतरों को तो अहमियत मिली है लेकिन पर्यावरण को नुकसान जैसी समस्या की असल वजहों को नजरअंदाज कर दिया गया है। जैसे-जैसे शहर फैलते हुए जंगलों की सीमा छूते हैं, जानवरों के आवास स्थल और आहार के क्षेत्रों आदि जैसे कई मामलों में बदलाव आता है।

बदले परिवेश से तालमेल बिठाने की कोशिश में जानवर भोजन की तलाश में भटकते हुए आदम बस्तियों में आ जाते हैं। साथ ही जानवर खेतों की ओर बढ़ने को मजबूर हो जाते हैं और फसलों के नुकसान के अंदेशे के चलते किसान उन्हें मार देते हैं। स्वाभाविक रूप से घटते जंगलों के चलते जानवर लोगों के रास्ते में आएंगे। ओडीसा में पिछले साल एक ट्रेन ने छह हाथियों को रौंद दिया था। कोई राष्ट्रीय नीति न होने से ऐसे मामलों में राज्य अपने-अपने ढंग से निबटते हैं। कर्नाटक में वन संरक्षित क्षेत्रों के चारों ओर बिजली की बाड़ लगाई गई है।

वन विशेषज्ञों के अनुसार मानवजनित अथवा प्राकृतिक परिस्थितियां मानव पर हमला करने को विवश करती हैं। जब कभी बाहुल्य क्षेत्रफल में जंगल थे तब मानव और वन्यजीव दोनों अपनी-अपनी सीमाओं में सुरक्षित रहे, समय बदला और आबादी बढ़ी फिर किया जाने लगा वनों का अंधाधुन्ध विनाश। जिसका परिणाम यह निकला कि जंगलों का दायरा सिमटने लगा, वन्यजीव बाहर भागे और उसके बाद शुरू हुआ न खत्म होने वाला मानव और वन्यपशुओं के बीच का संघर्ष। बाघ अथवा वन्यजीव जंगल से क्यों निकलते हैं इसके लिए प्राकृतिक एवं मानवजनित कई कारण हैं। इनमें छोटे-मोटे स्वार्थो के कारण न केवल जंगल काटे गए बल्कि जंगली जानवरों का भरपूर शिकार किया गया। आज भी नेशनल पार्क का आरक्षित वनक्षेत्र हो या संरक्षित जंगल हो उनमें लगातार अवैध शिकार जारी है। यही कारण है कि वन्यजीवों की तमाम प्रजातियां संकटापन्न होकर विलुप्त होने की कगार पर हैं। इस बात का अभी अंदेशा भर जताया जा सकता है कि इस इलाके में बाघों की संख्या बढ़ने पर उनके लिए भोजन का संकट आया हो। असामान्य व्यवहार आसपास के लोगों के लिए खतरे की घंटी हो सकता है। मगर इससे भी बड़ा खतरा इस बात का है कि कहीं मनुष्यों और जंगली जानवर के बीच अपने को जिन्दा रखने के लिए खाने की जद्दोजेहाद नए सिरे से किसी परिस्थितिकीय असंतुलन को न पैदा कर दे।

इधर प्राकृतिक कारणों से जंगल के भीतर चारागाह भी सिमट गए अथवा वन विभाग के कर्मचारियों की निजस्वार्थपरता से हुए कुप्रबंधन के कारण चारागाह ऊंची घास के मैदानों में बदल गए। परिणाम स्वरूप वनस्पति आहारी वन्यजीव चारा की तलाश में जंगल के बाहर आते हैं तो अपनी भूख शांत करने के लिए वनराज बाघ भी उनके साथ पीछे-पीछे बाहर आकर आसान शिकार की प्रत्याशा में गन्ने के खेतों को अस्थाई शरणगाह बना लेते हैं। परिणाम सह अस्तित्व के बीच मानव तथा वन्यजीवों के बीच संघर्ष बढ़ जाता है।

दरअसल विकास के नाम पर जंगलों के कटने और अपने ठिकानों पर कब्जा होते देखकर

जानवर शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन कर रहे हैं। इसी आपाधापी में वे हिंसक भी होते जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कोरबा क्षेत्र में कोयला उत्खनन और बिजली परियोजनाओं के कारण वन क्षेत्र उजाड़ हो चुके हैं। इन्हीं क्षेत्रों में हाथियों का निवास है। इसके अलावा उड़ीसा और झारखंड में भी वन उजड़ रहे हैं। वहां भी हाथियों के प्राकृतिक निवास संकट में हैं। इसलिए साल में कई बार इन प्रांतों से सुरक्षित निवास और भरपेट भोजन की तलाश में बड़ी संख्या में निकले हाथी छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों पर धावा बोल देते हैं

बढ़ते मानव-पशु संघर्षों का एक प्रमुख कारण अधिसूचित संरक्षित क्षेत्रों के बाहर बड़ी संख्या में जानवरों और पक्षियों की उपस्थिति है। वन्यजीव विशेषज्ञों का अनुमान है कि भारत में 35 प्रतिशत बाघ संरक्षित क्षेत्रों के बाहर हैं।

प्रभाव

मानव पशु टकराव के प्रभाव को निम्नलिखित बिन्दुओं के तहत देखा जा सकता है-

1. प्राचीन काल से ही भारत में पशुओं एवं जानवरों को मानव का मित्र माना जाता रहा है। यद्यपि मानव-पशु संघर्श कोई नयी बात नहीं है तथापि वर्तमान में बढ़ते मानवीय हस्तक्षेप के कारण इनके बीच टकराव की स्थिति गंभीर हो गई है।
2. भारत के सभी क्षेत्रों चाहे वह गाँव हो या शहर सभी जगह इनके बढ़ते टकराव से मानव और जानवर/पशु दोनों में असुरक्षा की भावना बढ़ती जा रही है।
3. सर्वेक्षण के आधार पर देखा जाय तो वैसे ही जानवरों की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। इनके मध्य टकराव से संख्या और तेज गति से कम होगी।
4. पृथ्वी का एक मूलभूत सिद्धांत है कि वह सभी प्राणियों का भरणपोषण करती है और संतुलन बनाए रखती है। यदि इनमें से किसी की भी संख्या में अत्यधिक कमी होती है तो पृथ्वी का पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ सकता है।
5. जानवरों की कमी या खत्म होने से मानव का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा।

आगे की राह

समस्या लगातार गंभीर रूप धारण कर रही है और राज्य सरकारें केवल मुआवजा वितरित कर अपने कर्तव्य की इतिश्री मान लेती हैं, जबकि समस्या का हल केवल पर्यावरण एवं वन संरक्षण के जरिए ही संभव है। इसको रोकने के लिए अब जरूरी हो गया है कि वन्यजीवों के अवैध शिकार पर सख्ती से रोक लगाई जाये तथा चारागाहों को पुराना स्वरूप दिया जाए ताकि वन्यजीव चारे के लिए जंगल के बाहर न आयें।

इसके अतिरिक्त वन्य प्राणियों को प्राकृतिक वासस्थलों में मानव की बढ़ती घुसपैठ को रोका जाये साथ ही ऐसे भी कारगर प्रयास किये जायें जिससे मानव एवं वन्यजीव एक दूसरे को प्रभावित किये बिना रह सकें। वन विभाग के पास साधनों एवं संसाधनों की भारी कमी है। लाल फीताशाही और कर्मचारियों की उदासनीता ने भी समस्या में इजाफा किया है। हालात यह है कि हमने जानवरों का घर उजाड़ा है। उसकी सजा मानव बस्तियों पर जानवरों के हमले के रूप में मिल रही है। मानव को अब भी सावधान होकर जंगल में हस्तक्षेप से बाज आना चाहिए।

वन्य पशुओं के कारण हुई मानवीय मौतों को रोकने के लिए उनके आगमन की या स्थिति की सही जानकारी देने वाले तंत्र के विकास की आवश्यकता है। जैसे कि हाथी अक्सर झुंड में चलते हैं और उनकी गतिविधियों की दिशा की जानकारी वन विभाग को मिलती रहती है। हाथी-बहुल इलाकों में वन विभाग कुछ सड़कों को रात के समय बंद भी कर देता है, तथा वहाँ हाथियों से सावधान रहने संबधी चेतावनी भी लगा दी जाती है।

आज वन्य जीवन संरक्षणकर्ता अनेक प्रकार के आधुनिक यंत्रों से लैस होते हैं। उनके पास एस एम एस एलर्ट के लिए मोबाइल फोन, वन्यपशु की स्थिति की जानकारी के लिए स्वचालित (Automated) प्रणाली एवं चेतावनी देने वाले तंत्र होते हैं। इनकी मदद से वन्य पशुओं की गतिविधियों को जानकर मानव-जीवन की, फसल की एवं संपत्ति की रक्षा की जा सकती है।

जंगलों के मध्य बसे गांवों में सुरक्षित आवास, बिजली की उपलब्धता, घर में शौचालयों के निर्माण एवं इन क्षेत्रों को अच्छी परिवहन सेवा से जोड़कर मानव-वन्यजीवन संघर्ष को बहुत कम किया जा सकता है। पशुओं के आवास को खनन या मानव बस्तियों के लिए उजाड़ा जा रहा है। पशु किसी भी खेत में तब घुसते हैं, जब वह खेत उनके आवासीय क्षेत्र के आसपास हो, फसल खाने योग्य हो, जल स्त्रोत के पास हो या पशुओं के विचरण क्षेत्र में आते हों। ऐसे खास स्थानों को पहचानकर उनकी बाड़बंदी या बिजलीयुक्त बाड़ लगवाई जा सकती है।

पर्यावरण मंत्रालय ने राष्ट्रीय फसल बीमा योजना में वन्य पशुओं के कारण हुई फसल-क्षति को भी बीमा में शामिल करने की सिफारिश की है। विनाशकारी पशुओं पर आरोप लगाने की बजाय ऐसे समस्याग्रस्त जगहों की पहचान करके वहाँ के लोगों को समय-समय पर सतर्क किया जाना चाहिए।स्थानीय जनता और वन विभाग कर्मचारियों को पशुओं से बचने के लिए प्रशिक्षित एवं सशक्त बनाने की बहुत जरूरत है। वन एवं वन्य जीवन हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग हैं। वन्य पशुओं के वध को रोकना हर हाल में जरूरी है। इससे मानव एवं वन्य जीवन; दोनों को ही लाभ होगा।

वन्यजीवों में माइक्रोचिप या रेडियोकॉलर लगाया जाना चाहिए जिससे वन्यजीवों की गतिविधियों का पता लगाया जा सके। इसके अलावा ड्रोन तकनीकी का उपयोग कर वन्यजीवों पर निगरानी रखी जा सकती है। बड़े पैमाने में पेड़-पौधे लगाकर और नये जंगलों का निर्माण कर उनके प्राकृतिक आवास को संरक्षित किये जाने की आवश्यकता है। इसके साथ-साथ लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। जैसे जब जंगली जानवर रिहायशी इलाकों में आये तो उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाए।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन।

■

सात विषयनिष्ठ प्रश्न और उनके मॉडल उत्तर

प्राचीन विरासतों के संरक्षण की चुनौतीः एक संस्थागत समस्या

प्र. पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति विनियमन, निर्यात और आयात विधेयक से भारत में पुरातनता (Antiquity) के संरक्षण की आशा है। उसके प्रभावी कार्यान्वयन में विभिन्न आशंकाओं का समालोचनात्मक विवेचना कीजिए।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- प्राचीन वस्तु या अवशेष
- प्राचीन अवशेषों का संरक्षण आवश्यक क्यों?
- प्राचीन विरासतों के सरंक्षण हेतु प्रयास
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- हाल ही में तमिलनाडु सरकार की दो संस्थाओं (Organisations) के बीच प्राचीन वस्तुओं/अवशेषों/कलाकृतियों (Antiquities) के संरक्षण को लेकर विवाद पैदा हो गया। तमिलनाडु पुलिस की 'आइडल विंग' (Idol wing) ने 'एचआरसीई विभाग' पर आरोप लगाया है कि उसने पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृतियों का सही तरीके से सर्वेक्षण करके कम्प्यूटराइजेशन नहीं किया है जिससे इनके चोरी होने पर 'जाँच-पड़ताल' (Investigation) में समस्या आ रही है।
- उल्लेखनीय है कि इसके पहले मद्रास हाईकोर्ट ने एचआरसीई विभाग को आदेश दिया था कि वह मंदिरों में उपस्थित बहुमूल्य कलाकृतियों के रिकार्ड्स (Records) को कम्प्यूटराइज्ड करे और उनकी उचित निगरानी सुनिश्चित करे।

प्राचीन वस्तु या अवशेष

- 'पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972' के अनुसार, प्राचीन अवशेष वो होते हैं जो कम से कम 100 वर्ष पुराने हों। ये प्राचीन अवशेष विज्ञान, कला, शिल्प, रीति-रिवाज, धर्म, साहित्य एवं समय आदि से संबंधित ऐतिहासिक मुद्दों को जानने व समझने की दृष्टि से अत्यंत महत्त्वपूर्ण होते हैं।

प्राचीन अवशेषों का संरक्षण आवश्यक क्यों?

- प्राचीन लेखों, वस्तुओं या अवशेषों के संरक्षण से हमारी 'कला व संस्कृति' (Art and Culture) का संरक्षण होता है और किसी देश या समाज के गौरवशाली इतिहास का बयान बिना उसके 'कला व संस्कृति' के व्याख्यान के बिना नहीं किया जा सकता है। सही अर्थों में कला और संस्कृति ही मानव जाति को संतुलन और दृढ़ता प्रदान करती है। इसलिए इस विषय पर विचार करने का अर्थ और मंतव्य यह है कि 'कला व संस्कृति' को जीवित रखने वाले मूल्यों, आदर्शों, विश्वासों, लेखों, वस्तुओं या अवशेषों के संरक्षण हेतु ठोस परिणाम प्राप्त किए जाएँ।

प्राचीन विरासतों के सरंक्षण हेतु प्रयास

- यूनेस्को द्वारा 1970 में आयोजित इस सम्मेलन के तहत सांस्कृतिक संपत्तियों की तस्करी को रोकने हेतु एक 'अंतर्राष्ट्रीय संधि' अस्तित्व में आई। वर्तमान में इस संधि पर 137 सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किए हैं।
- इटली के शहर में 1995 में यूनीड्रॉयट (UNIDROIT- The International Institute for the Unification of Private Law या Institue International Pour L' Unification Du Drot Prive) द्वारा आयोजित इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य यूनेस्को के 1970 के सम्मेलन के कमजोर पहलुओं को पहचानकर एक सशक्त अंतर्राष्ट्रीय संधि का निर्माण किया जाना था।
- संवैधानिक प्रावधान- भारत के संविधान के 'अनुच्छेद 49' में राष्ट्रीय महत्त्व के संस्मारकों (Monuments), स्थानों (Places) और वस्तुओं (Objects) के संरक्षण की बात कही गयी है। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य (State) की यह बाध्यता होगी कि वह संसद द्वारा बनाई गई विधि के अंतर्गत घोषित कलात्मक या ऐतिहासिक महत्त्व वाले प्रत्येक संस्मारक, स्थान और वस्तुओं का संरक्षण करे।

आगे की राह

- प्राचीन लेखों, वस्तुओं और स्मारकों आदि के कुप्रबंधन और तस्करी ने 'पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972' की समीक्षा की आवश्यकता को उजागर किया है, जिस पर सरकार को तत्काल ध्यान देना होगा।
- भारत की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए सरकार को आम जनता का सहयोग भी प्राप्त करना होगा। ■

दिव्यांगों का सशक्तिकरणः वर्तमान समय की आवश्यकता

प्र. हाल ही दिव्यांगजनों के लिए आयोजित वैश्विक आईटी प्रतिस्पर्धा-2018 का उद्देश्य दिव्यांगजनों में सूचना और कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस तरह के आयोजन दिव्यांगो के सशक्तिकरण में कहां तक सहायक है? मूल्यांकन कीजिए।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- दिव्यांगता से तात्पर्य
- दिव्यांगों की वर्तमान स्थिति
- सरकारी प्रयास
- चुनौतियाँ
- आगे की राह
- निष्कर्ष

चर्चा का कारण

- हाल ही में केन्द्रीय सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा 9-11 अक्टूबर, 2018 तक दिव्यांग युवाओं के लिए वैश्विक आईटी प्रतिस्पर्धा आयोजित किया गया।
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य दिव्यांग युवाओं में आईटी कौशल का विकास करना तथा दिव्यांगजनों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए सूचना और कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।

दिव्यांगता से तात्पर्य

- निशक्त या दिव्यांग व्यक्ति से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो किसी चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा यथा प्रमाणित किसी विकलांगता से न्यूनतम 40 प्रतिशत पीड़ित है विकलांग या दिव्यांग व्यक्ति कहलाता है।

दिव्यांगों की वर्तमान स्थिति

- विश्व बैंक के अनुसार 1 बिलियन लोग या विश्व की जनसंख्या का 15 प्रतिशत लोग दिव्यांगता से ग्रसित हैं।
- भारतीय सामाजिक विकास रिपोर्ट तथा जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 26.8 मिलियन व्यक्ति दिव्यांग है जो भारत की कुल जनसंख्या का 2.21 प्रतिशत है।

सरकारी प्रयास

- दिव्यांगता से निपटने के लिए सरकार ने अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाएं है- नि:शक्त व्यक्ति अधिकार समान अवसर (अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम)-1995, सुगम्य भारत अभियान, छात्रवृत्ति योजना, स्वाबलंबन योजना, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 आदि की चर्चा करें।

चुनौतियाँ

- शारीरिक व मानसिक विकलांगता के कारण भावनात्मक असंतुलन अभाव ग्रस्तता व अज्ञानता, अंधविश्वास व रूढ़िवादी सोच, शिक्षा शिक्षा से संबंधित बुनियादी सुविधाओं का अभाव, सामाजिक सोच तथा कलंग सरकार कार्यक्रमों का लाभ उन तक न पहुँच पाना, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, भ्रष्टाचार आदि।

आगे की राह

- सकारात्मक परिणाम के लिए दीर्घकालीन उपायों पर जोर देने की जरूरत है साथ ही विकलांग व्यक्तियों को शिक्षा, रोजगार और व्यवसाय के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
- उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के अनुसार दिव्यांग लोगों के प्रति अपनी सोच और मानसिकता को बदलने की जरूरत है इसके लिए व्यापक जागरूकता अभियान की जरूरत हैं।

निष्कर्ष:

- समय के साथ दिव्यांगजनों के प्रति लोगों की सोच बदली है। साथ ही दुनिया इनका लोहा भी माना है। उदाहरण के तौर पर सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिन्स, पर्वतारोही अरुणिमा सिन्हा, शारीरिक रूप से विकलांग तथा UPSC टॉपर इरा सिंघल अदि। ■

भारत-जापान: सामरिक साझेदार

प्र. हाल ही में संपन्न 13वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में दोनों देशों के बीच हाईस्पीड, ट्रेन, नौसेना सहयोग सहित 2+2 वार्ता को लेकर सहमति बनी है। इस संदर्भ भारत-जापान संबंधों की समीक्षा कीजिए।

उत्तर:

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- पृष्ठभूमि
- वर्तमान परिदृश्य
- भारत-जापान संबंधों की महत्ता
- भारत-जापान संबंधों में चीनी फैक्टर
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने द्वीपपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए आयोजित 13वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जापान की आधारिक यात्रा संपन्न की।
- दोनों नेताओं के बीच विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों के अलावा क्षेत्रीय व वैश्विक मसलों के साथ ही हिंद प्रशांत क्षेत्र के मौजूदा हालात पर भी चर्चा हुई।

पृष्ठभूमि

- भारत और जापान के बीच मैत्री संबंधों का एक लंबा इतिहास रहा है जो आध्यात्मिक सोच में समानता तथा मजबूत सांस्कृतिक एवं सभ्यतागत रिश्तों पर आधारित है।
- जापान और भारत के बीच एक व्यापक आर्थिक साझेदारी करार (CEPA) 2011 में संपन्न हुआ था, वर्ष 2014 में दोनों देशों ने 'विशेष रणनीतिक और वैश्विक भागीदारी' के संबंध में संबंधों को बढ़ाने की सहमति व्यक्त की।

वर्तमान परिदृश्य

- 29 अक्टूबर, 2018 को हुई शिखर वार्ता के बाद भारत और जापान ने आपस में 75 अरब डॉलर के बराबर विदेशी मुद्रा की अदला-बदली की व्यवस्था का समझौता किया।
- जापान ने परमाणु आपूर्तिकर्त्ता समूह (एनएसजी) की सदस्यता हासिल करने की भारत की कोशिश का समर्थन किया।

भारत-जापान संबंधों की महत्ता

- भारत के मेक इन इंडिया कार्यक्रम में भी जापान ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा

लिया है। 15 अरब अमेरिकी डॉलर की मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना इस संदर्भ में बड़ा कदम है।

- भारत और जापान दोनों ही देशों के समक्ष चीन एक बड़ी और दूरगामी सामरिक व रणनीतिक चुनौती के तौर पर उभरा है।

भारत-जापान संबंधों में चीनी फैक्टर

- दोनों देशों के बीच पूर्वी चीन-सागर में द्विपों पर उभरा क्षेत्रीय विवाद है जिसे जापान में सेनकाक और चीन में डिओयू के नाम से जाना जाता है।
- दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर तथा प्रशांत क्षेत्र में चीन का प्रभुत्व दोनों देशों के वाणिज्यिक और सामरिक हितों के लिए खतरा है।

आगे की राह

- यदि भारत-जापान संबंध और मजबूत होता है और दोनों देश अफ्रीका में आर्थिक-रणनीतिक लाभांश अर्जित करना चाहते हैं तो उन्हें छेटे समय की नहीं बल्कि बड़े समय की रणनीति पर काम करना होगा।
- भारत के लिए जरूरी है कि हिंद महासागर में अपनी स्थिति का आकलन कर जापानी सहयोग से सॉफ्ट स्ट्रैटेजिक शक्ति का विस्तार करें। ■

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट–2019 और भारत

प्र. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट से आप क्या समझते है? भारत के रैंकिग में होने वाले सुधार के कारणों का जिक्र करते हुए भारत के लिए इस सुधार के महत्व को बताइए।

उत्तर:

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- भारत कि स्थिति
- भारत के लिए अच्छी रैंकिग का महत्व
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- हाल ही में विश्व बैंक ने अपनी नवीनतम 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट' जारी की। रिपोर्ट में भारत ने 23 स्थानों की जबरदस्त छलांग लगाते हुए 77वां स्थान हासिल किया है। यह ऊंची छलांग भारत के आकार वाले किसी भी विशाल एवं विविधतापूर्ण देश के लिए एक दुर्लभ उपलब्धि है। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष इस सूचकांक में भारत ने अपनी रैंकिंग में 30 पायदानों की जबर्दस्त छलांग लगाई थी।

क्या है ईज ऑफ डूइंग?

- ईज ऑफ डूईंग बिजनेस का अर्थ है कि देश में कारोबार करने में कारोबारियों को कितनी आसानी होती है। कारोबार के नियामकों और उनके नियमों के अनुसार 10 मानकों पर कारोबार करने की शर्तों को देखा जाता है कि किसी देश में ये कितना आसान या मुश्किल है।

भारत की स्थिति

- भारत ने दो वर्षों में अपनी रैंकिंग में 53 पायदानों की ऊंची छलांग लगाई है जो डूइंग बिजनेस आकलन में वर्ष 2011 के बाद किसी भी बड़े देश द्वारा दो वर्षों में किये गये सर्वाधिक बेहतरी को दर्शाता है। जो भारत के आकार वाले किसी भी विशाल एवं विविधतापूर्ण देश के लिये एक बड़ी उपलब्धि है।
- विदित हो कि भारत ने वर्ष 2003 से अब तक 37 बड़े सुधार लागू किए हैं। इस रिपोर्ट में वर्ष 2017 में दिल्ली और मुंबई को शामिल किया गया था। रिपोर्ट में किसी कारोबार को शुरू करना, कंस्ट्रक्शन परमिट, क्रेडिट मिलना, छोटे निवेशकों की सुरक्षा, टैक्स देना, विदेशों में ट्रेड, कॉन्ट्रैक्ट लागू करना और दिवालिया शोधन प्रक्रिया को आधार बनाया जाता है।

रैंकिंग में सुधार की सबसे बड़ी वजह जीएसटी

- वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सबसे बड़ा बदलाव जीएसटी के जरिए आया है। पिछले साल की रैंकिंग में जीएसटी को शामिल नहीं किया गया था। जीएसटी के साथ-साथ इन्सॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड के जरिए भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है।
- जीएसटी ने कारोबार की शुरुआत करना आसान बना दिया है, क्योंकि इसमें कई सारे एप्लीकेशन फॉर्म को इंटिग्रेट कर एक सिंगल जनरल इनकॉर्पोरेशन फॉर्म लाया गया है। इससे रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया तेज हुई है।
- भारत में टैक्स देना न सिर्फ आसान हुआ है, बल्कि कॉर्पोरेट इनकम टैक्स की दरों में भी कमी आई है।
- रिपोर्ट में कहा गया कि भारत ने कस्टम के अफसरों और निजी क्षेत्र के लोगों को लगातार ट्रेनिंग देकर रिफॉर्म का एजेंडा सेट कर दिया है।
- भारत ने कस्टम क्लीयरेंस फेसिलिटेशन कमेटियां बनाईं हैं। इस वजह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कारोबार आसान हो गया है। इसके अतरिक्त कुछ अन्य करण भी है यह करण मुख्यता छह मामलों से संबंधित है।

इन छह मामलों में अच्छे प्रदर्शन से भारत की रैंकिंग सुधरी

छह मामलों में अच्छे प्रदर्शन	2018-19 में रैंक	2017-18 में रैंक
बिजनेस की शुरुआत	137	156
कंस्ट्रक्शन परमिट	52	181
बिजली की उपलब्धता	24	29
कर्ज की उपलब्धता	22	29
सीमा पार कारोबार	80	146
कॉन्ट्रैक्ट में आसानी	163	164

डूइंग बिजनेस रिपोर्ट का भारत के लिए महत्त्व

- ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग में सुधार आने से देश में विदेशी निवेश को आकर्षित करने में मदद प्राप्त होगी।
- कंपनियां भारत में तेजी से निवेश करेंगी जिससे देश में रोजगार के अवसर पैदा होंगे इसके साथ ही भारत को इससे और अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अपनी ओर आकर्षित करने में मदद मिलेगी।
- विदेश निवेश के बढ़ने से आर्थिक व्यवस्था पर सीधा असर पड़ेगा जिससे निश्चित ही देश की आर्थिक व्यवस्था और मजबूत होगी।
- इससे देश में महंगाई पर काबू पाने में सरकार को आसानी होगी।यही नहीं इससे छोटे कारोबारियों को अपना कारोबार बढ़ाने में मदद मिलेगी।
- 'विदेशी निवेश के आगमन से देश की आधारभूत संरचना को मजबूत बनाने तथा औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने में मदद मिलेगी।

- सबसे बढ़कर इससे 'मेक इन इंडिया' मिशन को भी मजबूती प्राप्त होगी क्योंकि कारोबारी सुगमता की स्थिति में सुधार से विदेशी निवेशकों के साथ-साथ देश के निवेशकों को भी प्रोत्साहन प्राप्त होगा।

आगे की राह

- निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' रिपोर्ट में रैंकिंग में सुधार से भारत को कई प्रकार के लाभ होंगे। इससे विदेशी एवं स्वदेशी निवेशकों दोनों को आकर्षित करने में मदद मिलेगी जिससे देश के विकास को गति मिलेगी। ■

अंतर्देशीय जलमार्ग: भारत के नये राजमार्ग

प्र. हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा जलमार्गों के आधुनिकीकरण तथा विकास पर बल दिया है। इस संदर्भ में भारत में जलमार्गों की बढ़ती महत्ता का मुल्यांकन कीजिए।

उत्तर:

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- जलमार्गों के विकास की आवश्यकता
- सरकारी प्रयास
- चुनौतियाँ
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- भारत में पहली बार किसी अंतर्देशीय जलमार्ग के जरिए माल से भरे कंटेनर की ढुलाई करने वाले पोत का प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 12 नवम्बर को वाराणसी में उद्घाटन किया गया।
- ज्ञातव्य हो कि मालवाहक जहाज एमवीआरएन टैगोर 16 कंटेनरों की खेप लेकर कोलकाता से वाराणसी के लिए रवाना हुआ था जिस पर लदा माल खाद्य प्रसंस्करण और शीतल पेय कंपनी पेप्सिको का था।

जलमार्गों के विकास की आवश्यकता

- भारत के पास 7500 किमी. लंबा तटीय क्षेत्र है जबकि 14,500 किमी. नदी मार्ग है और इस विशाल नदी मार्ग पर हमेशा बहती रहने वाली नदियों, झीलों और बैकवाटर्स का उपहार भी मिला हुआ है।
- देश के अधिकांश बिजलीघर कोयले की कमी से जूझ रहे हैं क्योंकि सड़क व रेल परिवहन से समय पर कोयला नहीं पहुँच पाता ऐसे में अंतर्देशीय जलमार्गों द्वारा कोयला ढुलाई की नियमित व किफायती संभावनाएं हैं।

सरकारी प्रयास

- जहाजरानी मंत्रालय ने 'सागरमाला परियोजना के तहत कुल घरेलु माल ढुलाई में जल परिवहन का जो हिस्सा वर्तमान में महज 6 फीसदी है, इसे वर्ष 2025 तक बढ़ाकर 12 फीसदी करने का लख्य रखा है।
- इस सयम देश में विभिन्न माध्यमों से होने वाली कुल माल ढुलाई में तटीय नौवहन और जलमार्ग की हिस्सेदारी 6 फीसदी है।

चुनौतियाँ

- भारत की नदियों में अधिकतर पानी मानसून के चार महीनों में बहता है जबकि यूरोप और अमेरिका की नदियों में पानी जल स्रोतों से आता है और पूरे वर्ष पानी बहता है।
- देश में नहरों की चौड़ाई 9 से 20 मीटर तक है इसके खास तौर पर संकरे खण्डों में करीब 9 मीटर चौड़े माल वाहक जलयानों का संचालन कठिन हो जाता है।

आगे की राह

- जल परिवहन के क्षेत्र में विशेषज्ञों का मानना है कि जलमार्गों के विकास के लिए ठोस उपाय करने होंगे। जैसे- इस बात की वैधानिक व्यवस्था हो कि विभिन्न नदी तटीय इलाकों के कारखानें तथा अन्य उपक्रम अपनी माल ढुलाई में एक खास हिस्सा जलमार्गों को दें।
- इस क्षेत्र में नीचे से ऊपर तक एक शृंखला बनाने की जरूरत है साथ ही राज्य सरकारों को भी अहम भूमिका निभाते हुए जल परिवहन के क्षेत्र के लिए हितैषी नीतियाँ बनानी होंगी। ■

शैक्षणिक संस्थान और पेटेंट: एक-दूसरे के लिए लाभदायी

प्र. भारत में आईपीआर से संबंधित संसाधनों का अभाव है ऐसे में यूजीसी द्वारा विश्वविद्यालयों में 'बौद्धिक संपदा केन्द्रों' (IPCs) की स्थापना का प्रस्ताव किस प्रकार मददगार साबित हो सकता है? इन केन्द्रों द्वारा 'उद्यमी परितंत्र' (Entrepreneurial Ecosystem) के निर्माण में आने वाली व्यावहारिक चुनौतियों की समीक्षा कीजिए।

उत्तर:

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- पेटेंट के विभिन्न आयाम
- भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव
- चुनौतियाँ
- सुझाव
- निष्कर्ष

चर्चा का कारण

- यूजीसी (यूनिवर्सिटी अनुदान आयोग) ने भारत के सभी विश्वविद्यालयों को 'बौद्धिक संपदा केन्द्र' (IPC-Intellectual Property Centre) स्थापित करने के लिए कहा है ताकि वो एक 'उद्यमी विश्वविद्यालय' (Entrepreneurial Universities) में तब्दील हो सकें।

पेटेंट के विभिन्न आयाम

- वर्तमान में संपूर्ण दुनिया में WTO की 'ट्रिप्स व्यवस्था' (TRIPS-Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) आईपीआर से जुड़ी सबसे बड़ी और प्रभावशाली व्यवस्था है, जिसका भारत भी सदस्य है (भारत द्वारा ट्रिप्स से जुड़े समझौते पर 1994 में हस्ताक्षर किये गए)।

इस ट्रिप्स व्यवस्था में अलग-अलग क्षेत्रों के नवाचार को 7 विधियों के माध्यम से सुरक्षित किया गया है।

भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

- नई व्यवस्था के लागू होने से विदेशी दवा कम्पनियों को अधिक लाभ होगा, क्योंकि उनके द्वारा भारतीय कम्पनियों की तुलना में 'रिसर्च एण्ड डवलपमेंट' पर अधिक खर्च किया जाता है। एक अनुमान के अनुसार, विदेशी दवा कम्पनियाँ अपने कुल कारोबार (टर्नओवर) का लगभग 15 प्रतिशत 'आर एण्ड डी' पर खर्च करती हैं जबकि भारतीय कम्पनियाँ अपने कारोबार का केवल 2 प्रतिशत ही 'आर एण्ड डी' पर खर्च करती हैं।
- यह कहा गया कि दवा कम्पनियाँ पेटेंट की आड़ में 'एकाधिकारी शक्ति' का प्रयोग कर सकती हैं तथा दवाओं की कीमतें आवश्यक्ता से अधिक ऊँची कर सकती हैं।

चुनौतियाँ

- भारत में पेटेंट फाइल करने की संख्या बढ़ने के बजाय घटती हुयी प्रतीत होती है। उदाहरणस्वरूप, भारतीय पेटेंट ऑफिस के मुताबिक, उसके पास 2015-16 की अपेक्षाकृत 2016-17 में 3.2 प्रतिशत कम पेटेंट अप्लीकेशन आये। इसका कारण यह है कि भारत में 'आईपी पेशेवर' (Intellectual Property Professionals) कम हैं। ये पेशेवर आईपी क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं, जो खोजकर्त्ताओं को उनके नवाचार को पेटेंट में तब्दील कराने की प्रक्रिया से अवगत कराते हैं।
- एक तरफ आईपीआर से संबंधित रोज नई-नई अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ, ट्रेड एग्रीमेंट्स आदि हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत में आईपीआर की इन जटिल प्रक्रियाओं को समझने हेतु ढाँचागत संसाधनों का भारी अभाव है। अभी यहाँ कुछ गिने-चुने 'लॉ इन्स्टीट्यूट्स' (Law Institutes) में ही आईपीआर से संबंधित विषय पढ़ाये जाते हैं, जो वर्तमान की माँग के अनुसार नाकाफी है।

सुझाव

- 'भारतीय पेटेंट ऑफिस' ने वर्ष 2017-18 में 2016-17 के अपेक्षाकृत 32 प्रतिशत अधिक पेटेंट ग्राण्ट (Grant) किये। यह उपलब्धि इस वजह से हासिल हुयी क्योंकि सरकार ने पेटेंट ग्राण्ट की टाइमलाइन (समयसीमा) को कम कर दिया है। अतः सरकार को 'पेटेंट प्रक्रिया' के ऐसे ही 'लूप होल्स' (Loop Hols) की पहचान करके, उनका निरस्तीकरण करना होगा।
- आईपी से संबंधित कोर्स लगभग सभी उच्च शिक्षण संस्थाओं में उपलब्ध होना चाहिए।
- पेटेंट एजेंट बनने के लिए निश्चित समय पर हर साल सरकार को परीक्षा आयोजित करनी चाहिए ताकि लोगों को इसके बारे में समय रहते जानकारी हासिल हो सके।

निष्कर्ष

- विकास का आधार नवाचार होता है लेकिन नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए यह जरुरी है कि नवाचारियों के नवाचार से जुड़े वाणिज्यिक अधिकारों को पर्याप्त रूप से सुरक्षित किया जाये। यदि ऐसा नहीं होता है तो लोग नवाचार के लिए प्रेरित नहीं होंगे। सरकार को अपनी आईपीआर पॉलिसी में उपर्युक्त दर्शन और गरीब जनता के हितों के बीच संतुलन (Balance) बनाना होगा। ■

मानव-पशु टकरावः बेहतर प्रबंधन की आवश्यकता

प्र. हाल ही में 'वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन' ने अपने रिपोर्ट में मानव-पशु के बीच बढ़ते टकराव को लेकर चिंता जाहिर की है। मानव-पशु टकराव के कारणों की चर्चा करते हुए इसके समाधान के लिए उपाय सुझायें।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- क्या है मानव-वन्यजीव संघर्ष?
- वर्तमान स्थिति
- मानव-पशु टकराव के कारण
- प्रभाव
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- पशुओं की सुरक्षा के लिए काम करने वाले संगठन वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन (WAP) ने कहा है कि मानव-पशु टकराव की स्थिति से 'मानवीय और पेशेवर' तरीके से निपटने की आवश्यकता है। इसके साथ ही निकाय ने कहा कि महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश में एक-एक बाघ की हत्या की घटनाओं से पता लगता है कि मानव-पशु टकराव से निपटने के लिए तैयारियाँ पर्याप्त नहीं हैं।
- कहा जाता है कि महाराष्ट्र में बाघिन अवनी ने पिछले दो साल में 13 लोगों की जान ले ली थी। एक अन्य घटना में, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में ट्रैक्टर से एक बाघ को कुचल देने के आरोप में छह लोगों और कुछ अज्ञात ग्रामीणों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी।

क्या है मानव-वन्यजीव संघर्ष?

- मानव और वन्य जीवों के बीच होने वाले किसी भी तरह के संपर्क के कारण इंसान, वन्यजीव, समाज, आर्थिक क्षेत्र, सांस्कृतिक जीवन, वन्यजीव संरक्षण या पर्यावरण पर पड़ने वाला नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, मानव-वन्यजीव संघर्ष कहलाता है।

वर्तमान स्थिति

- वाईल्ड लाईफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया और उत्तर प्रदेश सरकार के ''लिविंग विद द वाईल्ड मिटिगेशन कन्फलिक्ट बिटवीन हूयूमन एंड बीग कैट्स'' रिपोर्ट के अनुसार केवल भालू, हाथी और मगरमच्छ तथा मानव के बीच संघर्ष में मार्च 2018 तक 6 लोगों की मौत हुई। अकेले 2017 में उत्तर प्रदेश में बाघ के हमले से 17 लोग मारे गये।

मानव-पशु टकराव के कारण

- मानव और वन्य प्राणियों के बीच इस तरह का टकराव नया नहीं है, पर इन घटनाओं से पता चलता है कि यह समस्या अब बदतर स्थिति में पहुंच चुकी है।
- इन घटनाओं से जुड़ी खबरों में जानवरों की ओर से होने वाले खतरों को तो अहमियत मिली है लेकिन पर्यावरण को नुकसान जैसी समस्या की

असल वजहों को नजरअंदाज कर दिया गया है। जैसे-जैसे शहर फैलते हुए जंगलों की सीमा छूते हैं, जानवरों के आवास स्थल और आहार क्षेत्रों आदि जैसे कई मामलों में बदलाव आता है।

- बढ़ते मानव-पशु संघर्षों का एक प्रमुख कारण अधिसूचित संरक्षित क्षेत्रों के बाहर बड़ी संख्या में जानवरों और पक्षियों की उपस्थिति है। वन्यजीव विशेषज्ञों का अनुमान है कि भारत में 35 प्रतिशत बाघ संरक्षित क्षेत्रों के बाहर हैं।

प्रभाव

- प्राचीन काल से ही भारत में पशुओं एवं जानवरों को मानव का मित्र माना जाता रहा है। यद्यपि मानव-पशु संघर्श कोई नयी बात नहीं है तथापि वर्तमान में बढ़ते मानवीय हस्तक्षेप के कारण इनके बीच टकराव की स्थिति गंभीर हो गई है।
- भारत के सभी क्षेत्रों चाहे वह गाँव हो या शहर सभी जगह इनके बढ़ते टकराव से मानव और जानवर/पशु दोनों में असुरक्षा की भावना बढ़ती जा रही है।
- सर्वेक्षण के आधार पर देखा जाय तो वैसे ही जानवरों की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। इनके मध्य टकराव से संख्या और तेज गति से कम होगी।

आगे की राह

- समस्या लगातार गंभीर रूप धारण कर रही है और राज्य सरकारें केवल मुआवजा वितरित कर अपने कर्तव्य की इतिश्री मान लेती हैं, जबकि समस्या का हल केवल पर्यावरण एवं वन संरक्षण के जरिए ही संभव है। इसको रोकने के लिए अब जरूरी हो गया है कि वन्यजीवों के अवैध शिकार पर सख्ती से रोक लगाई जाये तथा चारागाहों को पुराना स्वरूप दिया जाए ताकि वन्यजीव चारे के लिए जंगल के बाहर न आयें।
- इसके अतिरिक्त वन्य प्राणियों को प्राकृतिक वासस्थलों में मानव की बढ़ती घुसपैठ को रोका जाये साथ ही ऐसे भी कारगर प्रयास किये जायें जिससे मानव एवं वन्यजीव एक दूसरे को प्रभावित किये बिना रह सकें। वन विभाग के पास साधनों एवं संसाधनों की भारी कमी है। लाल फीताशाही और कर्मचारियों की उदासनीता ने भी समस्या में इजाफा किया है। हालात यह है कि हमने जानवरों का घर को उजाड़ा है। उसकी सजा मानव बस्तियों पर जानवरों के हमले के रूप में मिल रही है। मानव को अब भी सावधान होकर जंगल में हस्तक्षेप से बाज आना चाहिए।

■

सात महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें

राष्ट्रीय

1. भारत का पहला स्वदेशी माइक्रोप्रोसेसर 'शक्ति'

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास ने भारत का पहला स्वदेशी माइक्रोप्रोसेसर विकसित और डिजाईन किया है। इस माइक्रोप्रोसेसर को 'शक्ति' नाम दिया गया है। यह स्वदेशी माइक्रोप्रोसेसर जल्द मोबाइल फोन, सर्विलांस कैमरा और स्मार्ट मीटर्स को ताकत देने में सहायता करेगा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइजेशन, चंडीगढ़ की सेमी कंडक्टर लैब में माइक्रोचिप के साथ इसे बनाया गया है।

आईआईटीएम की राइज लैब के लीड रिसर्चर प्रफेसर कामकोटी वीजीनाथन का कहना है कि वर्तमान डिजिटल इंडिया में बहुत सारी एप्स को कस्टमाइज्ड प्रोसेसर कोर की आवश्यकता रहती है। हमारे नए डिजाइन के साथ ये सभी चीजें काफी आसान हो जाएंगी। इससे आयात की गई माइक्रो चिप पर निर्भरता कम होगी। साथ ही इन माइक्रो चिप की वजह से होने वाले साइबर अटैक का खतरा भी कम होगा। सभी कंप्यूटिंग और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का मस्तिष्क ऐसे कई माइक्रोप्रोसेसरों से जुड़ा है, जो उच्च गति प्रणालियों और सुपर कंप्यूटरों को संचालित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। जुलाई में आईआईटी मद्रास के शुरुआती बैच ने 300 चिप डिजाइन की थी, जिन्हें अमेरिका के ऑरेगन में इंटेल की फैसिलिटी में जोड़ा गया था लेकिन अब यह देश में ही तैयार किया गया है। भारत में बना माइक्रोप्रोसेसर 180 एनएम का है, जबकि अमेरिका में बना प्रोसेसर 20 एनएम का है।

माइक्रोप्रोसेसर क्या होता है?

माइक्रोप्रोसेसर एक ऐसी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जिसमें लाखों ट्रांजिस्टरों को एकीकृत परिपथ (इंटीग्रेटेड सर्किट या आईसी) के रूप में प्रयोग कर तैयार किया जाता है। इससे कंप्यूटर के केन्द्रीय प्रक्रमण इकाई (सीपीयू) की तरह भी काम लिया जाता है। इंटीग्रेटेड सर्किट के आविष्कार से ही आगे चलकर माइक्रोप्रोसेसर के निर्माण का रास्ता खुला था। माइक्रोप्रोसेसर के अस्तित्व में आने के पूर्व सीपीयू अलग-अलग इलेक्ट्रॉनिक अवयवों को जोड़कर बनाए जाते थे या फिर लघुस्तरीय एकीकरण वाले परिपथों से। सबसे पहला माइक्रोप्रोसेसर 1970 में बना था। ■

2. 'सौर जलनिधि' योजना का शुभारंभ

ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 30 अक्टूबर 2018 को 'सौर जलनिधि' योजना का शुभारंभ किया। इस योजना का उद्देश्य किसानों द्वारा सिंचाई में सौर उर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना है। राज्य सरकार ने उन क्षेत्रों में सोलर फोटोवोल्टिक पंप सेट्स का प्रयोग बढ़ाने का फैसला किया है, ताकि जहां बिजली व्यवस्था बदहाल है वहां सिंचाई की सुविधा मुहैया कराई जा सके।

इस योजना के तहत किसानों को 90 फीसदी सब्सिडी पर 5,000 सोलर पंप दिए जाएंगे। इससे राज्य के 2,500 एकड़ क्षेत्र में सिंचाई का लाभ मिलेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने योजना का वेब पोर्टल भी लांच किया। इस इवेंट में 30 जिलों के किसानों ने विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये भाग लिया। पहले चरण में यह योजना उन क्षेत्रों में उपलब्ध होगी जहाँ पंप सेट को चलाने के लिए विद्युत् उपलब्ध नहीं है। सरकार ने इस योजना के लिए वित्तवर्ष 2017-18 में 27.18 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया है। इस योजना से सालाना 1.52 लाख मानव दिवस रोजगार का सृजन होगा, तथा 5,000 परिवारों की आजीविका में मदद मिलेगी, एवं कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी। इस योजना का लाभ उन किसानों को होगा जिनके पास वैध किसान पहचान पत्र होंगे तथा जिनके पास न्यूनतम 0.5 एकड़ कृषि भूमि होगी।

सभी छोटे और सीमांत किसान जिनके पास वैध किसान आईडी है। किसानों के पास न्यूनतम 0.5 एकड़ खेती योग्य भूमि होनी चाहिए। ऑनलाइन आवेदन के आधार पर ओआरडीडीए की परिचालन पद्धतियों के अनुसार निष्पादन किया जाएगा।

योजना की विशेषताएं:

यह योजना किसानों के लागत के बोझ को कम करेगी और कृषि आय में भी वृद्धि करेगी। सौर जलनिधि योजना के तहत किसानों की खेती के लिए पर्याप्त बिजली मिले यह निश्चित किया जाएगा। सौर जलनिधि योजना हरित ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देगी और प्रदूषण को कम करेगी। सौर जलनिधि, अभिसरण मोड में एक अच्छी तरह से आधारित सौर पंप सिंचाई प्रणाली है। इसके अलावा, इस सरकारी योजना के अंतर्गत, बिजली आपूर्ति क्षेत्रों द्वारा संरक्षित या कम से कम सेवा के किसानों को सौर पंप सेट प्रदान किए जाएंगे। ताकि वह सभी किसान बिना किसी परेशानी के अपनी कृषि कर सके। ■

3. होप आइलैंड में ग्रेटर फ्लेमिंगो की वापसी

एक लंबे अंतराल के बाद कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य (Coringa Wildlife Sanctuary) के होप आइलैंड में ग्रेटर फ्लेमिंगो पक्षी दिखाई दिया है। शीतकाल की शुरुआत होते ही देश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रवासी पक्षियों का आगमन शुरू हो जाता है। यह एक अनवरत प्रक्रिया है, जो सदियों से चली आ रही है। लेकिन इधर हाल ही में देश में प्रदूषण और इनकी राह असुरक्षित होने के कारण इनकी संख्या में कमी आई है।

विश्व में लगभग 13 हजार से अधिक प्रजातियों के पक्षी पाए जाते हैं, जिनमें से लगभग 1300 प्रजातियाँ हमारे देश में पाई जाती हैं। इन पक्षियों के जीवन का एक महत्त्वपूर्ण पक्ष है स्थनांतरण अर्थात् प्रवासन, लेकिन इस विषय में लोगों को पर्याप्त जानकारी नहीं है। लाखों विदेशी पक्षी लंबी उड़ान भरकर प्रतिवर्ष शीतकाल में हमारे देश के विभिन्न भागों में आते हैं और मार्च के अंत में गर्मी का मौसम शुरू होने पर वापस अपने देश चले जाते हैं।

पक्षी बदलते मौसम की पहचान आकाश में सूर्य से आने वाले प्रकाश की मात्रा और दैनिक प्रकाश की राशि के आधार पर करते हैं। ऐसे में जब वे महसूस करते हैं कि प्रवास का समय आ गया है तो वे अपनी लंबी यात्रा प्रारंभ कर देते हैं। प्रवास का सही समय निर्धारित करने में उपलब्ध भोजन की आपूर्ति, खराब मौसम या तूफान, हवा का तापमान और उसका पैटर्न जैसे कारकों की भूमिका अहम् होती है। प्रवास की यात्रा के दौरान पक्षी अपनी यात्रा को सुरक्षित बनाने के अपने व्यवहार में भी परिवर्तन करते हैं।

क्यों करते हैं प्रवासन?

तापमान और खाद्यान्न की उपलब्धता पक्षी प्रवास के प्रमुख कारणों में से हैं। सर्दियों में पूर्वी यूरोप तथा यूरेशिया के देशों में भयंकर ठंड पड़ती है और बर्फीले क्षेत्रों में खाद्यान्न की उपलब्धता भी कम हो जाती है। ऐसे में उस क्षेत्र से लाखों-करोड़ों पक्षी प्रतिवर्ष अपेक्षाकृत कम ठंडे देशों (अधिकांशत: अफ्रीकी देश) की ओर उड़ चलते हैं। वैसे तो यह प्रवास अधिकांशत: शीतकाल में होता है, लेकिन कमोबेश इसे गर्मियों तथा मानसून के समय भी देखा जा सकता है।उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर रहने वाले लगभग 50% पक्षी शीतकाल में अपना ठिकाना छोड़कर सुरक्षित ठिकाने की तलाश में उड़ जाते हैं और सर्दियाँ समाप्त होते ही ये अपने मूल स्थानों की ओर लौट जाते हैं।

ग्रेटर फ्लेमिंगो

यह गुजरात का राज्य पक्षी है। ग्रेटर फ्लेमिंगो सभी प्रकार के फ्लेमिंगो में आकार में सबसे बड़ा होता है। ग्रेटर फ्लेमिंगो अफ्रीका के विभिन्न क्षेत्रों, एशिया के दक्षिण-पूर्वी हिस्सों के साथ-साथ दक्षिणी यूरोप में भी पाए जाते हैं। एशियाई क्षेत्र में यह भारत और पाकिस्तान के तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। ये क्षारीय और नमकीन झीलों में वास करते हैं। यह प्रजाति मॉलस्क (mollusks), क्रस्टेसियन (crustaceans), कीड़े, केकड़ों और छोटी मछलियों का सेवन करती है। इनके आहार में विभिन्न पौधे जैसे-शैवाल आदि भी शामिल है। ये तटीय आर्द्रभूमि में पाई जाने वाली ब्राइन श्रिंप और शैवाल के सेवन से विशेष गुलाबी रंग प्राप्त करते हैं। फ्लेमिंगो एक स्वस्थ तटीय पर्यावरण के संकेतक है।

कोरिंग वन्य जीवन अभ्यारण्य भारत में पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। यह आंध्रप्रदेश में अवस्थित है। यहाँ मैंग्रोव की कुल 24 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इन प्रजातियों में 94 प्रवासी पक्षियों सहित पक्षियों की कुल 266 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ■

4. एमएसएमई सेक्टर हेतु सहयोग एवं संपर्क कार्यक्रम

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 02 नवंबर 2018 को सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम (एमएसएमई) सेक्टर के लिए एक ऐतिहासिक सहयोग एवं संपर्क कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री ने 12 महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं, जिनसे देश भर में एमएसएमई के विकास और विस्तार के साथ-साथ उन्हें सहूलियतें देने में मदद मिलेगी।

प्रधानमंत्री द्वारा 12 महत्वपूर्ण घोषणाएं:

प्रधानमंत्री ने एमएसएमई को आसानी से ऋण उपलब्ध कराने के लिए 59 मिनट के लोन पोर्टल का शुभारंभ करने का घोषणा किया। इस पोर्टल के जरिए सिर्फ 59 मिनट में एक करोड़ रुपये तक के ऋणों को सैद्धांतिक मंजूरी दी जा सकती है। जीएसटी पोर्टल के जरिए इस पोर्टल का एक लिंक उपलब्ध कराया जाएगा। प्रधानमंत्री ने सभी जीएसटी पंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए दो प्रतिशत ब्याज सब्सिडी देने की घोषणा की। शिपमेंट से पूर्व और शिपमेंट के बाद की अवधि में ऋण लेने वाले निर्यातकों के लिए प्रधानमंत्री ने ब्याज की छूट तीन प्रतिशत से बढ़ाकर पांच प्रतिशत करने की घोषणा की।

पांच सौ करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर वाली सभी कंपनियों को अब आवश्यक रूप से व्यापार प्राप्तियां ई-डिस्काउंटिंग प्रणाली (टीआरईडीएस) पोर्टल में शामिल किया जायेगा। इस घोषणा में शामिल होने से उद्यमी अपनी आगामी प्राप्तियों के आधार पर बैंकों से ऋण ले सकेंगे। इससे उनके नकदी चक्र की समस्याएं हल हो जाएंगी। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को अब 20 प्रतिशत की बजाय अपनी कुल खरीदारी की 25 प्रतिशत खरीदारी एमएसएमई से करने के लिए कहा गया है। पांचवी घोषणा महिला उद्यमियों से संबंधित हैं। एमएसएमई से की गई आवश्यक 25 प्रतिशत खरीदारी में से 3 प्रतिशत खरीदारी

अब महिला उद्यमियों के लिए आरक्षित की गई हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि डेढ़ लाख से अधिक आपूर्तिकर्ता अब जीईएम के साथ पंजीकृत हैं इनमें से 40 हजार एमएसएमई हैं।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई):

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई) वे उद्योग हैं जिनमें काम करने वालों की संख्या एक सीमा से कम होती है तथा उनका वार्षिक उत्पादन भी एक सीमा के अन्दर रहता है। किसी भी देश के विकास में इनका महत्वपूर्ण स्थान है।

केंद्र सरकार के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अब आवश्यक रूप से जीईएम का हिस्सा होना चाहिए। सभी विक्रेताओं को जीईएम से पंजीकृत कराना चाहिए। पूरे देश में 22 केंद्र बनाए जाएंगे और टूल रूम के रूप में 100 स्पोक्स स्थापित किए जाएंगे। फार्मा क्षेत्र के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) के लिए क्लस्टर बनाये जायेंगे। इन क्लस्टर के निर्माण की लागत का 70 प्रतिशत केन्द्र सरकार वहन करेगी। आठ श्रम कानूनों और 10 केन्द्रीय नियमों के तहत रिटर्न अब साल में एक ही बार फाइल किये जायेंगे।

वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण नियमों के तहत इन दोनों क्लीयरेंस को एकल अनुमति में समाविष्ट कर दिया गया है। रिटर्न, स्व-प्रमाणीकरण के जरिये स्वीकार किया जायेगा। 12वीं घोषणा के रूप में एक अध्यादेश लाया गया है, जिसके तहत कंपनी अधिनियम के संबंध में मामूली उल्लंघनों के लिए उद्यमी को अदालतों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। उन्हें आसान प्रक्रियाओं के तहत दुरुस्त कर लिया जायेगा।

प्रधानमंत्री ने एमएसएमई के सेक्टर के कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा का भी उल्लेख किया है। यह सुनिश्चित करने के लिए एक मिशन शुरू किया जायेगा कि उन्हें जन-धन खाता, भविष्य निधि और बीमा उपलब्ध हो। अगले 100 दिनों के दौरान इस आउटरीच कार्यक्रम के कार्यान्वयन की गहन निगरानी की जायेगी। ■

5. क्षेत्रीय सम्पर्क योजना

क्षेत्रीय सम्पर्क योजना (Regional connectivity scheme – RCS) के तीसरे चरण का सूत्रपात करते हुए नगर विमानन मंत्रालय (Ministry of Civil Aviation) ने पर्यटन स्थलों को शामिल करने वाले हवाई मार्गों के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किये हैं। इसके लिए आवेदन देने की अंतिम तिथि नवम्बर 20 रखी गई है। इस योजना के अंतर्गत सरकार जल विमानों (seaplanes) को व्यवसायिक यात्री उड़ान के संचालन की अनुमति देती है। इस योजना के लिए जिन दस पर्यटन स्थलों का चुनाव किया गया है, वे हैं- सरदार सरवोर बाँध पर स्थित स्टेचू ऑफ यूनिटी अर्थात् एकता प्रतिमा, अहमदाबाद का साबरमती रिवर फ्रंट, उत्तराखंड-स्थित टेहरी बाँध और तेलंगाना का नागार्जुन सागर।

RCS का प्रधान उद्देश्य क्षेत्रीय हवाई सम्पर्क को सस्ता और सुलभ बनाते हुए क्षेत्रीय सम्पर्क व्यवस्था को सुदृढ़ करना। क्षेत्रीय हवाई सम्पर्क को सुलभ बनाने के लिए इस योजना के अंतर्गत विमान संचालकों को छूट और वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव है। क्षेत्रीय सम्पर्क योजना (Regional connectivity scheme – RCS) से भारत में पहली बार विमान सेवा का संचालन करने वाले छोटे-छोटे प्रतिष्ठानों को हवाई यात्रियों के आवागमन में तीव्र विकास में सहभागी होने का अवसर मिलेगा। साथ ही भारत के विमानन क्षेत्र को बढ़ावा भी मिलेगा। ■

6. भारतीय सेना में 30 वर्ष बाद दो नये तोप शामिल

हाल ही में भारतीय सेना के बेड़े में अमेरिका के M-777 अल्ट्रालाइट होवित्जर तोप और दक्षिण कोरियाई K-9 वज्र तोप को आधिकारिक तौर पर शामिल किया गया। इसके अतिरिक्त एक गन टावर को भी सेना में शामिल किया गया। सेना द्वारा आखिरी बार 1980 के दशक की शुरुआत में एक तोपखाना प्रणाली- बोफोर्स तोप स्वीडन से खरीदी गई थी। उसके बाद से नई तोपों को खरीदने के प्रयासों में कोई प्रगति नहीं हुई। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण और सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत की उपस्थिति में दोनों प्रकार की तीन तोपें सेना में शामिल की गईं। कुल मिलाकर सेना को इस वर्ष 10 K-9 तोपें मिलेंगी।

इसके अतिरिक्त सेना में शामिल किया जाने वाला तीसरा उपकरण है- आम गन टावर जो कि क्रॉस-कंट्री क्षमता वाला 6×6 वाहन है। भारतीय कंपनी अशोक लिलैंड द्वारा निर्मित यह वाहन मध्यम रेंज की तोपों को ढ़ोने के अनुकूल है। अप्रैल 2017 में, भारतीय इंजीनियरिंग समूह लार्सन एंड टुब्रो (एलएंडटी) और दक्षिण कोरिया के हनवा टेकविन ने K-9 वज्र-टी तोप बनाने के लिये एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया था।

व्यापक परीक्षणों के बाद सेना द्वारा हाल ही में इस तोप को शामिल किया गया। यह सौदा 100 तोपों के लिये 4,500 करोड़ रुपये मूल्य का है। K-9 वज्र-टी 155 मिमी, 52-कैलिबर की स्व-चालित तोपें हैं जिनकी मारक क्षमता अधिकतम 40 किमी है। इसकी अग्नि नियंत्रण प्रणाली को रेगिस्तानी स्थितियों के लिये अनुकूलित किया गया है। इस समझौते के तहत, पहली 10 तोपें दक्षिण कोरिया से आयात की जाएंगी और शेष भारत में एलएंडटी द्वारा निर्मित की जाएंगी। पहली रेजिमेंट की तैनाती जुलाई 2019 तक होगी और सभी 100 तोपें 2020 तक प्राप्त की जाएंगी।

अमेरिका के साथ होवित्जर सौदा

भारत ने 145 M-777 अल्ट्रालाइट होवित्जर तोपों के लिये विदेशी सैन्य बिक्री कार्यक्रम के तहत नवंबर 2016 में अमेरिका के साथ 737 मिलियन डॉलर के सौदे पर हस्ताक्षर किये थे। इस समझौते के तहत पच्चीस तोपें आयात की जाएंगी और बाकी को महिंद्रा ग्रुप के साथ साझेदारी में भारत में तैयार किया जाएगा। इनका वितरण 2020 के मध्य तक पूरा हो जाएगा। M-777 एक 155 मिमी, 39 कैलिबर की ढोए जाने वाली तोप है। महज चार टन वजनी होने के कारण इसका वहन हेलीकॉप्टर द्वारा भी किया जा सकता है। सेना के फील्ड आर्टिलरी रेशनलाइजेशन योजना 1999 के अनुसार, 220 तोपखाना रेजिमेंट्स के लिये विभिन्न प्रकार की 3,000 तोपों को शामिल करने की परिकल्पना की गई है। ■

7. एनजीटी द्वारा न्यूट्रिनो प्रयोगशाला को मंजूरी

राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने भारत स्थित न्यूट्रीनो वेधशाला को दी जाने वाली पर्यावरण संबंधी मंजूरी का सशर्त समर्थन किया है। कुछ समय पूर्व पर्यावरण और वन मंत्रालय की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने इस परियोजना को मंजूरी दी थी लेकिन विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा दी गई मंजूरी को चुनौती दी गई थी।

चुनौती में कहा गया है कि इस परियोजना का आकलन तमिलनाडु के राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा किया जाना चाहिये था जबकि इसका आकलन पर्यावरण और वन मंत्रालय की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा किया गया है।

न्यूट्रिनो वेधशाला (आईएनओ) क्या है?

- भारत में स्थित न्यूट्रिनो वेधशाला (आईएनओ) एक बड़ी विज्ञान परियोजना है। इसका उद्देश्य न्यूट्रिनो नामक कणों का अध्ययन करना है।
- न्यूट्रिनो वह मूल कण होते हैं जिनका सूर्य, तारों एवं वायुमंडल में प्राकृतिक रुप से निर्माण होता है।
- न्यूट्रिनो के बारे में पहले माना गया कि ये द्रव्यमान रहित कण हैं किंतु हाल ही में न्यूट्रिनो दोलन परिघटना के निरीक्षण द्वारा किए गए प्रयोगों से यह सिद्ध नहीं होता है।
- अशून्य न्यूट्रिनो द्रव्यमानों के अस्तित्व के विभिन्न क्षेत्रों में गहन अर्थ हैं जो कि कण भौतिकी के प्रति मूलभूत रुचि होने के अतिरिक्त नाभिकीय भौतिकी, भूभौतिकी, खगोलभौतिकी व कॉस्मोलॉजी की तरह अलग-अलग हैं।
- आईएनओ परियोजना में अन्य न्यूट्रिनो प्रयोग जैसे न्यूट्रिनो-हीन दोहरे बीटा क्षय (एनडीबीडी) भी शामिल होंगे। एनडीबीडी प्रयोगों से न्यूट्रिनो की प्रकृति (मैजारोना या डिरैक) का पता चलेगा। इस प्रयोग को नियंत्रण कक्ष केवर्न में स्थापित किया जाएगा।

■

अंतर्राष्ट्रीय

1. उन्नत मोटर ईंधन तकनीक सहयोग कार्यक्रम

भारत अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (International Energy Agency – IEA) के अंतर्गत उन्नत मोटर ईंधन तकनीक सहयोग कार्यक्रम (Advanced Motor Fuels Technology Collaboration Programme – AMF TCP) का एक सदस्य बन गया है। इसका मुख्य उद्देश्य उत्सर्जन में कमी लाना और परिवहन क्षेत्र में अधिक कारगर ईंधन के प्रयोग को बढ़ावा देना है।

AMF TCP क्या है?

उन्नत मोटर ईंधन तकनीक सहयोग कार्यक्रम (AMF TCP) अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के ढाँचे के अंतर्गत एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है जिसका उद्देश्य अधिक स्वच्छ और अधिक ऊर्जा बचाने वाले ईंधनों तथा परिवहन तकनीकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के विषय में सदस्य देशों के बीच समन्वय स्थापित करना है। यह कार्यक्रम उन्नत मोटर ईंधनों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है और उनके प्रयोग को बढ़ावा देता है। यह परिवहन ईंधनों के विषय में विधिवत विचार करता है और उनके उत्पादन, वितरण एवं प्रयोग के बारे में सारे पहलुओं पर ध्यान देता है। उत्सर्जन में कमी लाने के लिए यह विभिन्न ईंधनों का विश्लेषण करता है। इस मंच पर नए वैकल्पिक ईंधनों की पहचान करते हुए उनके परिवहन क्षेत्र में प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाता है और सम्बन्धित R-D गतिविधियों के सम्पादन में सहयोग किया जाता है। भारत AMF TCP का 16वाँ सदस्य होगा। अन्य सदस्य देश हैं– संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान, कनाडा, चिली, इजराइल, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, स्पेन, कोरिया गणराज्य, स्विट्जरलैंड और थाईलैंड।

भारत को क्या लाभ है?

- भारत के AMF TCP से जुड़ने से वैकल्पिक ईंधनों की पहचान और प्रयोग के इसके प्रयासों को बल मिलेगा और इस प्रकार अधिक कारगर ईंधनों के परिवहन क्षेत्र में प्रयोग को बढ़ावा मिलेगा एवं साथ ही उत्सर्जन में कमी आएगी।
- AMF TCP की सदस्यता के फलस्वरूप सार्वदेशिक तकनीकी संसाधनों और लागतों का भारत को लाभ मिल सकेगा।
- भारत स्वयं अधिक सक्षम ईंधनों पर अनुसंधान करता आया है। AMF TCP का सदस्य बन जाने पर वह जान सकेगा कि इस विषय में अन्य देश क्या अनुसंधान कर रहे हैं। इससे इसके अपने ज्ञान में वृद्धि होगी ही, इसकी R-D क्षमता भी अधिक सुदृढ़ हो जायेगी।
- अब भारत को बेहतर ईंधन के सम्बन्ध में उत्कृष्ट प्रथाओं की जानकारी तो मिलेगी ही, साथ ही अन्य अनुसंधानकर्ताओं के अनुसंधानों और उनके व्यावहारिक प्रयोग के विषय में सूचना भी उपलब्ध हो पाएगी।
- AMF TCP का सदस्य बनने के पश्चात् भारत उन्नत जैव ईंधनों और अन्य मोटर ईंधनों के विषय में R-D शुरू करेगा जिससे जीवाश्म ईंधनों पर देश की निर्भरता में कमी लाई जा सकेगी। ■

2. चीन का "वर्चुअल न्यूज एंकर"

चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने 08 नवम्बर 2018 को दर्शकों के सामने एक वर्चुअल न्यूज एंकर (समाचार-वाचक) पेश किया।

शिन्हुआ ने दावा किया है कि समाचार पढ़ने वाला ये न्यूज रीडर ठीक उसी तरह समाचार पढ़ सकते हैं जिस प्रकार से पेशेवर न्यूज रीडर खबरें पढ़ते हैं। अंग्रेजी बोलने वाला ये न्यूज रीडर अपनी पहली रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बोलता है," हैलो, आप देख रहे हैं इंग्लिश न्यूज कार्यक्रम।

समाचार एजेंसी शिन्हुआ के लिए इस तकनीक को विकसित करने के लिए चीनी सर्च इंजन सोगो ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

वर्चुअल न्यूज एंकर की विशेषताएं एवं लाभ

- वर्चुअल न्यूज एंकर अपने पहले वीडियो में कहता है, "मैं आपको सूचनाएं देने के लिए लगातार काम करूंगा क्योंकि मेरे सामने लगातार टेक्स्ट टाइप होते रहेंगे।
- मैं आपके सामने सूचनाओं को एक नए ढंग से प्रस्तुत करने वाला अनुभव लेकर आऊंगा।"
- शिंहुआ न्यूज एजेंसी का यह दावा है कि ये न्यूज प्रेजेंटर ठीक उसी तरह खबरें पढ़ सकते हैं जिस तरह से प्रोफेशनल न्यूज रीडर खबरें पढ़ते हैं।
- इसी का एक दूसरा वर्जन भी है जो चीनी भाषा में है लेकिन उसे एक दूसरा शख्स पेश करता है।
- शिंहुआ न्यूज एजेंसी का कहना है कि इससे प्रोडक्शन की लागत में बचत की जा सकेगा।
- एजेंसी का कहना है कि समय-समय पर ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्ट प्रसारित करने के लिए ये तकनीक विशेष रूप से उपयोगी साबित होगी।
- इस तकनीक को विकसित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। इसमें मौलिक प्रेजेंटर की आवाज, लिप मूवमेंट्स और भाव-भंगिमाओं को कॉपी किया गया है।

यह विश्व में पहली बार किया गया प्रयोग है तथा परंपरागत तरीकों से बिलकुल अलग है। टीवी न्यूज चौनल की पहचान लोगों के दिलों में एंकर के माध्यम से जुड़ी होती है ऐसे में शिन्हुआ के लिए लोगों के बीच अपनी पहचान बनाए रखना एक चौलेंज होगा। इस पहले प्रयास की सराहना की जानी चाहिए तथा इसमें समय के साथ अन्य सुधार किए जा सकते हैं। ■

3. पृथ्वी के महासागरों के जल की उत्पत्ति का रहस्य

हाल के अध्ययन से पता चला है कि पृथ्वी के महासागरों के जल की उत्पत्ति क्षुद्रग्रहों के पदार्थों के साथ-साथ सूर्य के बनने के समय बची हुई गैस से हुई है। इस अध्ययन में कहा गया है कि धूमकेतुओं में ढ़ेर सारी बर्फ होती है जिससे हमारे महासागरों से कुछ जल प्राप्त हुआ होगा। दूसरी ओर क्षुद्रग्रहों में उतना पानी नहीं होता फिर भी उनमें जो कुछ भी जल की मात्रा होती है, वह हमारे महासागरों के जल का एक स्रोत अवश्य होगी।

वैज्ञानिकों का कथन है कि मंगल ग्रह में 4 मिलियन वर्ष पहले एक महासागर हुआ करता था जिसे अरेबिया नाम दिया गया है। इसी ग्रह पर स्थित Deuteronilus महासागर की उत्पत्ति 3.6 billion वर्ष पहले हुई थी। ये दोनों महासागर ग्रह के विशाल ज्वालामुखीय क्षेत्र- थार्सिस (Tharsis)- में एक साथ अस्तित्व में थे। यह क्षेत्र मंगल के उस भाग में पड़ता है जिसे हम लोग देख नहीं पाते हैं इसलिए वहाँ तरल जल का अस्तित्व संभव हो सका। अब वह जल समाप्त हो गया है। संभवत: वह भूतल के नीचे जम गया। यह भी हो सकता है कुछ जल अन्तरिक्ष में विलीन हो गया हो। इन विलुप्त समुद्रों की तलहटी को उत्तरी मैदान कहा जाता है। यह अध्ययन पृथ्वी में स्थित जल के विषय में हाइड्रोजन के विषय में सर्वमान्य सिद्धांतों का खंडन करता है और यह सुझाता है कि वहाँ जल अंशत: उन धूली के बादलों और गैस से उत्पन्न हुआ जो सूर्य के बनने के पश्चात् अवशेष के रूप में रह गए थे।

यह नई खोज उन सिद्धांतों के सर्वथा अनुरूप है जो सूर्य और ग्रहों के उत्पत्ति की व्याख्या करते हैं। विदित हो कि खगोलवेत्ताओं ने 38,000 से अधिक ग्रहों की खोज की है जो अपने-अपने तारे की परिक्रमा करते हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो चट्टानों से बने हैं और उनकी बनावट हमारी पृथ्वी से कोई अधिक अलग नहीं है। ■

4. धूलि चन्द्रमाओं के बारे मे नयी खोज

वैज्ञानिक 50 वर्षों से ये अनुमान लगाते रहे हैं कि दो धूलियों से भरे चाँद (dust moons) पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। अब इस बात की पुष्टि हो गई है कि सचमुच दो धुलियों से भरे चाँद पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं, जो हमारी धरती से 9 गुना चौड़ाई में फैले हुए हैं। ये चाँद पृथ्वी से 250,000 मील की दूरी पर हैं। स्मरण रहे कि चाँद की पृथ्वी से दूरी लगभग इतनी ही है। धूलियों वाले इन चाँदों को सबसे पहले 1961 में पौलेंड के खगोलवेत्ता Kordylewski ने देखा था। तब से इन चाँदों को काडर्लीलेवस्की बादल (Kordylewski clouds) भी कहते हैं।

धूलि चन्द्रमाओं से सम्बंधित मुख्य तथ्य

नई खोजों से पता चलता है कि प्रत्येक Kordylewski बादल 15×10 डिग्री चौड़ा है जो 30×20 चन्द्र गोलक (lunar disks) के बराबर है। दोनों धूली चन्द्रमा अन्तरिक्ष में 65,000 × 45,000 मील

के अन्तरिक्षीय क्षेत्र में फैले हुए हैं जो पृथ्वी की चौड़ाई से लगभग 9 गुना बड़ा है। धूलि चन्द्रमा विशाल तो हैं पर वे सूक्ष्म धूल कणों के बने हुए हैं। ये कण मुश्किल से 1 माइक्रोमीटर के हैं। जब सूरज का प्रकाश इन धूलि कणों पर पड़ता है तो ये फीका-फीका चमकते हैं, लगभग उसी प्रकार जैसे ग्रहों की कक्षाओं के बीच बिखरी हुई धूलियों से चमकने वाले नक्षत्रीय प्रकास (zodiacal light)। क्योंकि धूलि के इन बादलों से अत्यंत ही फीका प्रकाश निकलता है इसलिए इनको तारों के प्रकाश, आकाश की चमक, अंतरिक्ष गंगा के प्रकाश और नक्षत्रीय प्रकाश के बीच में ढूँढना अतिशय कठिन होता है यद्यपि वे पृथ्वी से उतनी ही दूर हैं जितना कि चंद्रमा।

Kordylewski clouds सदैव बदलते रहते हैं। यह सच है कि वे अपनी कक्षा में बने रहते हैं और वे वहाँ पर करोड़ों वर्षों से विद्यमान हैं, परन्तु इन बादलों का एक बादल से दूसरे बादल में आना-जाना लगा रहता है। इसके अतिरिक्त कुछ धूलिकण पृथ्वी अथवा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से खिंच कर दूर चले जाते हैं। इन बादलों के कुछ कण अंतर्ग्रहीय अन्तरिक्ष तथा उल्का वृष्टि से उत्पन्न होते हैं। ■

5. अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ

भारत अगले चार वर्ष की अवधि (2019-22) के लिए फिर से अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (International Telecommunications Union – ITU) परिषद् का सदस्य चुन लिया गया है। इस परिषद् के लिए चुनाव संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में इस वर्ष चल रहे ITU Plenipotentiary Conference में हुए थे। इस चुनाव में भारत को कुल मिलाकर 165 मत मिले। इस प्रकार उसका स्थान ऑस्ट्रेलेशिया क्षेत्र से चुने 13 देशों में तीसरा तथा वैश्विक स्तर पर चुने 48 देशों में 8वाँ रहा। विदित हो कि ITU में 193 सदस्य होते हैं जो परिषद् के सदस्यों का चुनाव करते हैं।

ITU क्या है?

अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है जिसका उद्देश्य विश्व-भर में दूरसंचार के संचालन और सेवा का तालमेल करना है। जब इसकी स्थापना 1865 में हुई तो इसका नाम उस समय अंतर्राष्ट्रीय बेतार संघ (International Telegraph Union) था। इस प्रकार यह विश्व का सबसे पुराना अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ITU का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम का आदर्श, न्यायपूर्ण एवं तार्किक उपयोग सुनिश्चित करना एवं विश्व-भर में संचालित दूरसंचार के लिए मानक तैयार करना तथा देशों को आंतरिक संचार गतिविधियों को विकसित तथा संधारित करने में सहयोग करना है।

ITU की अनुसंशाएँ बाध्यकारी नहीं होती हैं, किन्तु अधिकांश देश उनका अनुपालन करते हैं क्योंकि ऐसा करने से अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक संचार का वातावरण प्रभावकारी बना रहता है।

ITU में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश (पलाऊ गणराज्य को छोड़कर) शामिल हैं तथा साथ ही वेटिकन सिटी भी इसका सदस्य है। संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों के अतिरिक्त ITU की सदस्यता जिनके लिए खुली हुई है, वे हैं– मालवाहक, उपकरण निर्माता, वित्त प्रदाता निकाय, शोध एवं विकास संगठन तथा अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दूरसंचार से जुड़े हुए निजी संगठन परन्तु इन सभी निजी क्षेत्र के सदस्यों को मत का अधिकार नहीं होता है।

ITI के तीन प्रक्षेत्र हैं– रेडियो संचार (Radiocommunication– ITU-R)– ITU रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम के आदर्श, न्यायपूर्ण एवं तर्कपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करता है। दूरसंचार मानकीकरण (Telecommunication Standardization– ITU-T)– विश्व–भर में संचालित दूरसंचार के मानकीकरण के लिए ITU अनुसंशाएँ तैयार करता है। दूरसंचार विकास (Telecommunication Development – ITU-D) – ITU विभिन्न देशों को अपने आंतरिक संचार को विकसित एवं संधारित करने में सहायता करता है। ■

6. विश्व खाद्य कार्यक्रम

2030 तक विश्व से भूख को मिटाने के लिए किये जा रहे प्रयासों को समर्थन देने के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम (World Food Programme – WFP) एवं चीन के ई–कॉमर्स की अग्रणी कम्पनी अलीबाबा समूह (Alibaba Group) ने एक रणनीतिक भागीदारी तैयार की है। इस विषय में किये गये समझौते के अनुसार अलीबाबा विश्व खाद्य कार्यक्रम की गतिविधियों के डिजिटल रूपांतरण हेतु अपनी आधुनिकतम तकनीक और संसाधन मुहैया करेगा।

अलीबाबा क्लाउड विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) के साथ काम करेगा और एक डिजिटल विश्व खाद्य मानचित्र (World Hunger Map) का निर्माण करेगा। इस मानचित्र से 2030 तक पृथ्वी के नक्शे से भूख को मिटाने के कार्यक्रमों की निगरानी में सहायता मिलेगी। विदित हो कि भूख मिटाना संयुक्त राष्ट्र के मुख्य सतत विकास लक्ष्यों में से एक है।

WFP क्या है?

संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत आने वाला विश्व खाद्य कार्यक्रम विश्व का सबसे बड़ा मानवीय संगठन है जिसका काम भूख का निवारण और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देना है। विश्व खाद्य कार्यक्रम भूख और कुपोषण को मिटाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र विकास समूह (United Nations Development Group) और उसकी कार्यकारिणी समिति का सदस्य भी है। विश्व खाद्य कार्यक्रम 1961 में हुआ था।

इसका प्रशासन एक कार्यकारी बोर्ड करता है जिसमें सदस्य–देशों के प्रतिनिधि होते हैं। विश्व खाद्य कार्यक्रम की गतिविधियों के लिए धनराशि विश्व की सरकारों, निगमों और निजी दाताओं से आती है।

विश्व खाद्य कार्यक्रम के अन्य आनुषंगिक कार्य हैं– सूक्ष्म पोषक तत्त्वों की कमी को दूर करना, बाल मृत्यु दर को घटाना, मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाना तथा HIV और AIDS समेत रोगों से लड़ना। ■

7. चाबहार बंदरगाह पर अमेरिका भारत के साथ

अमेरिका ने ईरान के चाबहार बंदरगाह में भारत द्वारा किये जा रहे निर्माण कार्य तथा साथ ही उस बंदरगाह को अफगानिस्तान से रेलवे मार्ग से जोड़ने के काम को लगाये गए अपने प्रतिबंधों से छूट देने की घोषणा की है। इस निर्णय से स्पष्ट होता है कि ट्रम्प प्रशासन ओमान की खाड़ी में स्थित सामरिक महत्त्व की इस बन्दरगाह के निर्माण में भारत की भूमिका को मान्यता देता है। विदित हो कि चाबहार योजना के कार्यान्वयन और वहाँ से अफगानिस्तान तक रेल–लाइन बिछने से अमेरिका को युद्ध से आक्रांत अफगानिस्तान में रसद पहुँचाने में आसानी होगी।

अमेरिका ने ईरान पर अब तक के सबसे कड़े प्रतिबन्ध लगाये हैं क्योंकि उसका मानना है कि ईरान परमाणविक प्रतिबंधों का पालन नहीं कर रहा है। ये प्रतिबन्ध नवम्बर 5, 2018 से लागू हो गए हैं। ये कड़े प्रतिबन्ध ईरान के बैंकिंग और ऊर्जा प्रक्षेत्रों पर भी लागू हैं। अमेरिका ने सभी देशों को यह चेतावनी दी है कि वे ईरान से तेल मँगाना बंद कर दें और यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनपर दंड लगाये जाएँगे।

चाबहार बंदरगाह

- भारत ने ही चाबहार बंदरगाह बनाया है। इसका उद्देश्य है कि चारों तरफ जमीन से घिरे अफगानिस्तान को फारस की खाड़ी (Persian Gulf) तक पहुँचने के लिए एक ऐसा यातायात गलियारा मिले जो पाकिस्तान होकर नहीं गुजरे क्योंकि पाकिस्तान से इसकी अक्सर ठनी रहती है। आशा है कि इस गलियारे के चालू हो जाने से अरबों रुपयों का व्यापार हो सकता है। ईरान का चाबहार बंदरगाह ओमान की खाड़ी पर स्थित उस देश का एकमात्र बन्दरगाह है। चाबहार के बंदरगाह से भारत को मध्य एशिया में व्यापार करने में सुविधा तो होगी ही, अंतर्राष्ट्रीय उत्तर–दक्षिण गलियारे (International North-South Transport Corridor) तक उसकी पहुँच भी हो जाएगी।
- चाबहार बंदरगाह चालू होने के बाद भारत में लौह अयस्क, चीनी और चावल के आयात में महत्त्वपूर्ण वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त खनिज तेल के आयात की लागत भी बहुत कुछ घट जायेगी। ज्ञातव्य है कि अंतर्राष्ट्रीय उत्तर–दक्षिण गलियारा ईरान से लेकर रूस तक जाता है और इसमें यह एक भूमि मार्ग है जिसमें समुद्र, रेल, सड़क यातायात का सहारा लिया जायेगा। विदित हो कि चीन ने खाड़ी तक अपनी पहुँच बनाने के लिए पाकिस्तान को ग्वादर नामक बंदरगाह बनाने में मदद की है जिससे उसका क्षेत्र में दबदबा हो जाए। चाबहार बंदरगाह भारत को चीन के इस दबदबे का प्रतिकार करने में सक्षम बनाएगा। ■

सात ब्रेन बूस्टर्स

गंगा ग्राम स्वच्छता सम्मेलन

चर्चा का कारण

1.1 बिहार के बक्सर जिले में स्थित चौसा गाँव के च्यवनऋषि आश्रम में हाल ही में गंगा ग्राम स्वच्छता सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में गंगा ग्राम परियोजना के संदर्भ में हुई प्रगति की समीक्षा की गई।

गंगा ग्राम परियोजना

2.1 नमामि गंगे योजना (Namami Ganga Project) के तहत अब एक नयी परियोजना लायी गयी है जिसका नाम गंगा ग्राम परियोजना रखा गया है। इस परियोजना को 23 दिसम्बर, 2017 को केंद्र सरकार ने औपचारिक रूप से आरम्भ किया था। इस परियोजना के लिए खुले शौच से मुक्त हुए 4,470 गाँवों में से 24 गाँवों का चयन किया गया था।

2.2 चुने हुए 24 गाँवों में ऐसे प्रयास किए जायेंगे जिससे कि गाँव सही मायनों में स्वच्छ हो सकें। इसके लिए उनमें ठोस और तरल कचरे के निपटान की व्यवस्था की जाएगी।

2.3 जल संरक्षण के लिए परियोजनाएँ चलाई जायेंगी। तालाबों और अन्य जलाशयों का निर्माण किया जायेगा।

2.4 जैविक खादों और कीटनाशकों के द्वारा खेती की जाएगी। बागबानी (horticulture) पर बल दिया जायेगा।

2.5 औषधीय गुणों (medicinal plants) वाले पौधों को लगाने के लिए बढ़ावा दिया जायेगा। गंगा ग्राम परियोजना (Ganga Gram Project) को चुने हुए 24 गाँवों में 31 दिसम्बर, 2018 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

नमामि गंगे कार्यक्रम क्या है?

3.1 नमामि गंगे भारत सरकार का एक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य गंगा नदी को कारगर ढंग से स्वच्छ बनाना है। इस लक्ष्य को पाने के लिए इसमें सभी हितधारकों को भी संलग्न किया गया है, विशेषकर गंगा घाटी के उन पाँच राज्यों के हितधारकों को जो राज्य गंगा की घाटी में स्थित हैं, यथा- उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल।

3.2 इस कार्यक्रम में जो कार्य किये जाते हैं, वे हैं- नदी की सतह की सफाई, इसमें गिरने वाले नाली प्रवाह का उपचार, रिवर फ्रंटों का विकास, जैव-विविधता का विकास, वनरोपण एवं जन-जागरूकता के कार्य इत्यादि।

कार्यान्वयन

4.1 इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (National Mission for Clean Ganga – NMCG) और राज्यों में स्थित इसके समकक्ष संगठनों, जैसे- राज्य कार्यक्रम प्रबंधन समूह (State Program Management Groups – SPMGs) द्वारा किया जाता है।

4.2 योजना के सही कार्यान्वयन के लिए एक त्रि-स्तरीय प्रणाली गठित करने का प्रस्ताव है। इस प्रणाली के तीन स्तर इस प्रकार होंगे

4.2.1 राष्ट्रीय स्तर पर एक उच्च स्तरीय कार्यदल जिसके अध्यक्ष कैबिनेट सचिव होंगे जिनकी सहायता NMCG करेगी।

4.2.2 राज्य-स्तर पर एक समिति होगी जिसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव करेंगे और जिनकी सहायता SPMG करेगी।

4.2.3 जिला-स्तर पर एक जिला-स्तरीय समिति होगी जिसकी अध्यक्षता जिला मजिस्ट्रेट करेंगे।

4.3 इस कार्यक्रम में केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों/एजेंसियों के मध्य समन्वय के तन्त्र को सुधारने पर बल दिया गया है।

ऑपरेशन ग्रीन्स

चर्चा का कारण

1.1 भारत सरकार के खाद्य संस्करण उद्योग मंत्रालय (Ministry of Food Processing Industries – MoFPI) ने ऑपरेशन ग्रीन्स के लिए संचालन रणनीति को मंजूरी दे दी है।

1.2 देशभर में पूरे वर्ष तक मूल्यों में उतार-चढ़ाव के बिना टमाटर, प्याज और आलू की आपूर्ति और उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार ने 2018-19 के बजट भाषण में 500 करोड़ रुपये की लागत से ऑपरेशन ग्रीन की घोषणा की थी।

संचालन रणनीति कैसी होगी?

2.1 ऑपरेशन ग्रीन्स के लिए संचालन नीति के अंतर्गत जो उपाय किये जाएँगे, वे हैं-

2.1.1 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI) टमाटर, प्याज और आलू के उत्पादन से लेकर भंडारण तक के परिवहन तथा इन फसलों के उचित भंडारण के किराए के लिए 50% सब्सिडी देगा।

2.1.2 मूल्य को स्थिर करने के लिए उपाय लागू करने हेतु NAFED को नोडल एजेंसी बनाया गया है।

दीर्घकालिक समेकित मूल्य शृंखला विकास परियोजनाएँ

3.1 कृषक उत्पादक संगठनों (Farmer Producer Organizations – FPOs) तथा उनके संघ की क्षमता का विकास।

3.2 उच्च कोटि का उत्पादन, फसल टूटने के बाद उसके प्रसंस्करण की सुविधा।

3.3 फसल उत्पादन को यत्र-तत्र ढुलाई की सुविधा, बाजार और खपत केंद्र।

3.4 टमाटर, प्याज और आलू (top Crops) की माँग और आपूर्ति की व्यवस्था के लिए ई-प्लेटफार्म बनाना और उसको चलाना।

ऑपरेशन ग्रीन्स क्या है?

4.1 ऑपरेशन ग्रीन्स एक योजना है जिसकी घोषणा 2018-19 बजट भाषण में की गई थी और इसके लिए बजट में 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था।

4.2 इस योजना का उद्देश्य टमाटर, प्याज और आलू (top crops) की आपूर्ति को बनाए रखना और दामों में उछाल के बिना पूरे देश में पूरे वर्ष इनकी उपलब्धता को सुनिश्चित करना है।

4.3 सभी क्षेत्रों में पात्र परियोजना लागत के 50 प्रतिशत की दर से अनुदान सहायता इस प्रणाली में शामिल होगी, बशर्ते प्रति परियोजना अधिकतम 50 करोड़ रूपये हो।

4.4 पात्र संगठन में राज्य कृषि और अन्य विपणन परिसंघ, किसान उत्पादक संगठन, सहकारी संगठन, कंपनी, स्व-सहायता समूह, खाद्य प्रसंस्ककरणकर्ता, उपस्कार ऑपरेटर, सेवाप्रदाता, आपूर्ति शृंखला ऑपरेटर, खुदरा और थोक शृंखला तथा केंद्रीय और राज्य सरकार तथा उनकी इकाइयां/संगठन शामिल हैं, जो इस कार्यक्रम में भाग लेने के साथ ही वित्तीय सहायता प्राप्ति करने के लिए पात्र होंगे।

लक्ष्य

5.1 टमाटर-प्याज-आलू के उत्पादन संकुलों और उनके कृषक उत्पादक संगठनों को सुदृढ़ करना और उन्हें बाजार से जोड़ना।

5.2 टॉप संकुलों में उत्पादन की उपयुक्त योजना बनाकर मूल्य को स्थिर रखना, खाद्य प्रसंस्करण की क्षमता में वृद्धि करना।

5.3 फसल टूटने के बाद होने वाली क्षति को घटाने के लिए फार्म गेट भवन बनाना, समुचित ढुलाई का प्रबंधन करना और भंडारों को खपत केन्द्रों (consumption centres) से जोड़ना।

5.4 बाजार की जानकारी के विषय में एक ऐसा नेटवर्क तैयार करना जिससे टॉप फसलों की माँग और आपूर्ति के विषय में तत्क्षण आँकड़ें संगृहित किये जा सकें।

ओजोन परत

ओजोन परत क्या होता है?

2.1 ओजोन परत पूरे पृथ्वी के ऊपर एक परत के रूप में छाया रहता है और क्षतिकारक UV किरणों के विकिरण को धरातल पर पहुँचने से रोकता है।

2.2 यह परत मुख्य रूप से समताप मंडल में होती है। इस परत की मोटाई 10-50 किलोमीटर तक होती है। इसे जीवन सहायक इसलिए माना जाता है कि इसमें कम तरंग दैर्ध्य (wave length) का प्रकाश, जो कि 300 नैनोमीटर से कम हो, को अपने में अवशोषित करने की विलक्षण क्षमता है।

2.3 जहाँ पर वातावरण में ओजोन परत उपस्थित नहीं होगी, वहाँ सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणें (UV rays) पृथ्वी पर पहुँचने लगेंगी। ये किरणें मनुष्य के साथ-साथ जीव-जंतुओं और पेड़-पौधों के लिए भी बहुत खतरनाक है। ध्रुवों के ऊपर इसकी परत की मोटाई 8 km है और विषुवत् रेखा (equator line) के ऊपर इसकी मोटाई 17 km है।

ओजोन छिद्र

3.1 ओजोन छिद्र ओजोन परत के उस भाग को कहते हैं जहाँ वह परत झीनी पड़ गई है। यह छिद्र ध्रुवीय प्रदेशों के ऊपर स्थित है। अगर ओजोन की यह चादर और पतली हो गई तो धरती में गर्मी बढ़ेगी और पराबैंगनी किरण (ultraviolet rays-UV) समस्त प्राणियों और वनस्पतियों को मुश्किल में डाल देगी।

3.2 ध्रुवों की बर्फ पिघल जाएगी, जिसके चलते समुद्र के पानी का स्तर ऊपर आएगा और फलतः तटवर्ती क्षेत्र बाढ़ की चपेट में आ जायेंगे। चर्म कैंसर के मामले ओजोन छिद्र के कारण बढ़ें हैं।

CFC क्या है?

4.1 क्लोरोफ्लूरो कार्बन (CFC) एक यौगिक गैस है जिसमें क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन के तत्त्व होते हैं। हमारे द्वारा इस्तेमाल किये जाने वाले एरोसोलों, वातानुकूलन पदार्थों (refrigerants) और प्लास्टिक फोम (foams) में CFC होता है।

4.2 जब यह CFC हवा में प्रवेश करता है तो यह उड़ते-उड़ते ओजोन परत तक पहुँच कर ओजोन कणों को नष्ट करने लगता है। CFC 50 से 100 वर्षों तक सक्रिय रहता है।

मुख्य तथ्य

5.1 अध्ययन में वायुमंडल की रासायनिक बनावट का नक्शा तैयार किया गया था। इससे पता चला कि 2005 से लेकर 2016 तक प्रत्येक वर्ष वायुमंडल में CFC का स्तर 0.8% गिरता रहा है।

5.2 यह संभवतः इसलिए हुआ है कि पूरे विश्व में CFC के उपयोग पर प्रतिबंध लग गया है। पहले भी कुछ शोधों से पता चला था कि ओजोन परत के क्षरण में कमी आई है। वैज्ञानिकों का ऐसा विश्वास है कि 2080 तक ओजोन परत पूरा का पूरा बन जाएगा।

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में NASA के एक अध्ययन से पता चला है कि विभिन्न उपकरणों (विशेषकर शीतलक) से निकलने वाली क्लोरोफ्लोरो कार्बन (CFC) की वायुमंडल में कमी के चलते ओजोन परत का छिद्र फिर से भरने लगे हैं।

मॉंट्रियल प्रोटोकॉल और किगाली सुधार

6.1 मॉंट्रियल प्रोटोकाल 1987 में अस्तित्व में आया जिसमें ओजोन परत को क्षति पहुँचाने वाले पदार्थों जैसे- सीएफसी की कटौती की बाध्यत तय की गई थी।

6.2 2019 में किगाली सुधार के अनुसमर्थन के द्वारा मॉंट्रियल प्रोटोकाल और सशक्त हो जाएगा जिसे अब तब पर्यावरण सुधार के क्षेत्र में सबसे सशक्त समझौता माना जाता है।

6.3 किगाली सुधार के तहत संबंधित देश हाइड्रोफ्लोरो कार्बन (HFCs) की कटौती के लिए प्रतिबद्ध हैं।

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ

चर्चा का कारण

1.1 चीन की एक पुरानी माँग का समर्थन करते हुए पाकिस्तान ने हाल ही में कहा है कि वह इस बात के पक्ष में है कि चीन भी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (SAARC) के मंच पर सक्रीय भागीदारी करे।

भारत की चिंता

2.1 भारत की ये चिंता है कि यदि चीन को सार्क में अधिक भूमिका दी जाती है तो वह अन्य सदस्य देशों के साथ मिलकर भारत के हितों को क्षति पहुँचा सकता है।

2.2 चीन की आर्थिक शक्ति भारत से अधिक है, इसलिए भारत के पड़ोसी देश, जैसे- पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका आदि चीन की तरफ झुक सकते हैं जो भारत के लिए हितकर नहीं होगा।

2.3 हम लोगों ने देखा है कि चीन नेपाल में अपना वर्चस्व बढ़ा रहा है और नेपाल तथा तिब्बत के बीच Kyirong नामक स्थल-बंदरगाह (land-port) खोल रहा है जो भारत की सामरिक स्थिति को कमजोर कर सकता है।

2.4 चीन और पाकिस्तान के बीच बढ़ती हुई मैत्री का उपयोग दक्षिण एशिया क्षेत्र में भारत के वर्चस्व को चुनौती दे रही है। चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) के द्वारा चीन जमीनी सिल्क रोड और समुद्री सिल्क रोड को जोड़ रहा है जो अंततः भारत के लिए हानिकारक होगा।

2.5 यह भी डर है कि यदि चीन को SAARC में अधिक भूमिका दी जाती है तो वह ऐसी परियोजनाओं को अवरुद्ध कर सकता है जो भारत के लिए सामरिक और आर्थिक दृष्टि से महत्त्व के हैं।

SAARC

3.1 यह एक क्षेत्रीय संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 8 दिसम्बर 1985 को SAARC Charter पर हस्ताक्षर के द्वारा हुई थी।

3.2 इसके सचिवालय की स्थापना काठमांडू में 17 जनवरी, 1987 को हुई।

3.3 सार्क की स्थापना का मुख्य उद्देश्य दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को प्रोत्साहित करना, जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना और क्षेत्र में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति एवं सांस्कृतिक विकास को त्वरित करना है। यह सभी व्यक्तियों को गरिमामय जीवन बीताने और अपनी क्षमताओं को पूर्ण रूप से साकार करने के लिए आवश्यक प्रयास करता है।

3.4 इसके साथ ही SAARC दक्षिण एशियाई देशों के बीच सामूहिक स्वालंबन को बढ़ावा देता है और उसे सुदृढ़ करता है।

3.5 इसके सदस्य देश हैं- भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान और भूटान।

3.6 चीन को 2005 से ही SAARC में पर्यवेक्षक (observer state) का दर्जा प्राप्त है। उल्लेखनीय है कि किसी पर्यवेक्षक को संगठन में मताधिकार नहीं होता है।

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 7

पृष्ठभूमि

2.1 इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक वाद की सुनवाई के समय भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 7 के प्रयोग का मामला उभरा। यह वाद भारतीय स्वतंत्र ऊर्जा उत्पादक संघ (Independent Power Producers Association) के द्वारा दायर किया गया था और इसमें 12 फरवरी को RBI द्वारा जारी किये गए एक परिपत्र (circular) को चुनौती दी गई थी।

2.2 सुनवाई के क्रम में अगस्त में उच्च न्यायालय ने एक टिपण्णी की थी की सरकार चाहे तो भारतीय रिजर्व बैंक को आरबीआई अधिनियम की धारा 7 के तहत निर्देश दे सकती है।

2.3 न्यायालय के इस आदेश को देखते हुए सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर को एक पत्र लिखा था जिसमें उनसे 12 फरवरी के परिपत्र के संदर्भ में ऊर्जा कंपनियों को मिलने वाली छूट के विषय में उनका मन्तव्य माँगा गया था।

2.4 इसके अतिरिक्त 10 अक्टूबर को सरकार ने भारतीय रिजर्व के गवर्नर से मुद्रा तरलता (liquidity) लाने के लिए RBI के पूँजी भंडार (capital reserve) का उपयोग करने के विषय में भी मन्तव्य माँगा था।

चर्चा का कारण

1.2 ऐसा कयास भी लगाया जा रहा है कि RBI के गवर्नर उर्जित पटेल इस धारा के अंतर्गत एक विशिष्ट दिशानिर्देश जारी किए जाने के कारण इस्तीफा दे सकते हैं।

1.1 कहा जा रहा है कि भारत सरकार भारतीय रिजर्व बैंक को विशेष निर्देश देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 7 का प्रयोग करने जा रही है।

क्या है?

3.1 आरबीआई अधिनियम की धारा 7 के अनुसार केंद्र सरकार को यह शक्ति है कि वह समय-समय पर आरबीआई गवर्नर से परमर्श करके भारतीय रिजर्व बैंक को ऐसे निर्देश दे सके जो उसकी दृष्टि में लोकहित में आवश्यक है।

3.2 आरबीआई अधिनियम की धारा 7 में एक उपखण्ड भी है जो कहता है कि- "भारत सरकार चाहे तो बैंक के सामान्य पर्यवेक्षण और कारोबार को वह एक केन्द्रीय निदेशक बोर्ड (Central Board of Directors) को सौंप सकती है जो बैंक द्वारा किये जाने वाले सभी कार्य कर सकता है और बैंक की सारी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है।"

3.3 धारा 7 सात लागू होने की स्थिति में आरबीआई का सामान्य अधीक्षण तथा कामकाज व मामलों का संचालन सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सौंप दिया जाएगा, जो उसकी सभी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है और उन सभी गतिविधियों को अंजाम दे सकता है, जिसे आरबीआई व्यवहार में लाती है।

प्रयोग एवं परिणाम

4.2 इस प्रकार के आक्रामक प्रयोग से कुछ अर्थशास्त्रियों एवं विशेषज्ञों को घबराहट हो सकती है। साथ ही RBI की स्वयत्तता को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठाये जा सकते हैं।

4.1 इस धारा का प्रयोग पहले कभी नहीं हुआ है। 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था सबसे खराब अवस्था में थी। 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के समय भी भारतीय अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई थी, फिर भी इस धारा को लागू नहीं किया गया। इसलिए इसका कार्यान्वयन कैसे होगा, यह स्पष्ट नहीं है।

ब्लू बॉण्ड

चर्चा का कारण

1.1 सेशेल्स ने विश्व का पहला ब्लू बॉण्ड (Sovereign Blue Bond) जारी किया है जिसका उद्देश्य सामुद्रिक एवं मत्स्य पालन परियोजनाओं को प्रोत्साहन प्रदान करना है।

1.2 इस बॉण्ड के माध्यम से कोई भी देश सामुद्रिक संसाधनों के सतत् उपयोग के लिये वित्त हेतु किसी भी प्रकार के पूंजी बाजार से धनराशि एकत्र कर सकता है। इसके अंतर्गत, ब्लू ग्रांट्स निधि के जरिये अनुदान भी दिया जाएगा। इस निधि का प्रबंधन सेशेल्स के संरक्षण एवं जलवायु अनुकूलन न्यास द्वारा किया जाएगा।

ब्लू बॉण्ड की विशेषताएं

2.1 इस बॉण्ड द्वारा सरकारी और निजी दोनों स्रोतों से निवेश प्राप्त होगा। इस बॉण्ड के जरिये सेशेल्स को सतत् मत्स्य पालन को सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी।

2.2 इस बॉण्ड के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों द्वारा 15 मिलियन डॉलर की राशि एकत्रित की गई है।

2.3 सेशेल्स द्वारा जारी किये गए ब्लू बॉण्ड को विश्व बैंक द्वारा 5 मिलियन डॉलर की गारंटी प्राप्त है। उपरोक्त के अतिरिक्त इसे वैश्विक पर्यावरण सुविधा की ओर से पाँच मिलियन डॉलर का रियायती ऋण भी उपलब्ध कराया गया है।

2.4 इस बॉण्ड के माध्यम से प्राप्त आय में से कम से कम 12 मिलियन डॉलर स्थानीय मछुआरा समुदायों को कम ब्याज वाले ऋण के रूप में आवंटित किये जाएंगे, जबकि शेष राशि का उपयोग सतत् मतस्य परियोजनाओं के शोध हेतु वित्तपोषण के लिये किया जाएगा। इस निधि का प्रबंधन सेशेल्स विकास बैंक (DBS) करेगा।

2.5 इंडोनेशिया और अन्य द्वीपीय राष्ट्र सतत् मत्स्य पालन और समुद्री परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिये बॉण्ड बाजार को टैप करने में एक मॉडल के रूप में सेशल्स द्वारा जारी ब्लू बॉण्ड संरचना का उपयोग कर सकते हैं।

2.6 आधिकारिक तौर पर इस बॉण्ड की शुरुआत 9 अक्तूबर, 2018 को की गई थी और 10 साल की अवधि वाले इस बॉण्ड को संयुक्त राज्य अमेरिका के तीन सामाजिक प्रभाव वाले निवेशकों - कैलवर्ट इंपैक्ट कैपिटल, नुवेन (nuveen) और प्रुडेंशियल के माध्यम से बेचा गया।

सेशेल्स के बारे में

3.1 सेशेल्स गणराज्य हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपसमूह राष्ट्र है। यह अफ्रीकी मुख्यभूमि से पूर्व दिशा में और मेडागास्कर के, उत्तर-पूर्व में स्थित है।

3.2 सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया है। सेशेल्स का अजंपशन आइलैंड भारत के लिए सामरिक रूप से अति महत्वपूर्ण क्षेत्र है। भारत यहाँ अपना सैन्य बेस बनाने का प्रयास कर रहा है।

नाभिकीय त्रिकोण

चर्चा का कारण

1.1 भारत की सामरिक परमाणु पनडुब्बी अर्थात् न्यूक्लियर पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत ने 05 नवंबर 2018 को अपना पहला गश्ती अभियान सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।

1.2 पनडुब्बी अरिहंत के इस अभ्यास से भारत के नाभिकीय त्रिकोण (Nuclear-triad) की पूर्ण स्थापना हुई।

1.3 यह उपलब्धि भारत को उन गिने-चुने देशों की अग्रिम पंक्ति में खड़ी करती है जो एसएसबीएन को डिजाइन करने, उसे बनाने और उसके संचालन करने की क्षमता रखते हैं।

पृष्ठभूमि

2.1 अरिहंत का जलावतरण पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा 26 जुलाई 2009 को किया गया। यह दिन इसलिए चुना गया क्योंकि यह कारगिल युद्ध में विजय की सालगिरह थी और इस दिन को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है।

2.2 भारत, अमेरिका, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और चीन के बाद छठा ऐसा देश हो गया है, जिसने अपनी परमाणु पनडुब्बी बनाने में कामयाबी हासिल की है।

2.3 अमेरिका 70 से ज्यादा परमाणु पनडुब्बियों के साथ पहले नंबर पर है, जबकि 30 पनडुब्बियों के साथ रूस दूसरे नंबर पर है। इंग्लैंड के पास 12 और फ्रांस के पास 12 पनडुब्बियां हैं।

2.4 परमाणु पनडुब्बी के निर्माण के लिए भारत का प्रयास 1970 में शुरू हुआ था जबकि इस क्षेत्र में भारत को 90 के दशक में सफलता हासिल हुई।

2.5 आईएनएस अरिहंत को पहली बार साल 2009 में विशाखापत्तनम में शिप बिल्डिंग सेंटर में लॉन्च किया गया था। अगस्त 2018 में इसे भारतीय नौसेना में सेवा के लिए सौंप दिया गया।

विशेषताएँ

3.1 छह हजार टन वजनी अरिहंत में 750 किलोमीटर से लेकर 3500 किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाली मिसाइलें तैनात हैं।

3.2 चीन, अमेरिका और रूस की पनडुब्बियां 5000 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली हैं, वहीं आईएनएस अरिहंत की क्षमता 750 से 3500 किलोमीटर तक की है।

3.3 इससे पानी के भीतर और पानी की सतह से परमाणु मिसाइल दागी जा सकती हैं। इससे पानी के अंदर से किसी विमान को भी निशाना बनाया जा सकता है।

3.4 इसे जल्दी डिटेक्ट भी नहीं किया जा सकता। साथ ही परमाणु रिएक्टर से मिली एनर्जी से चलने वाली दूसरी खूबियों के कारण यह लंबे समय तक गहरे पानी के भीतर भी रह सकती है। भारत को आईएएनएस अरिहंत जैसी छह परमाणु पनडुब्बियों की आवश्यकता है जिनपर 90 हजार करोड़ खर्च का अनुमान है।

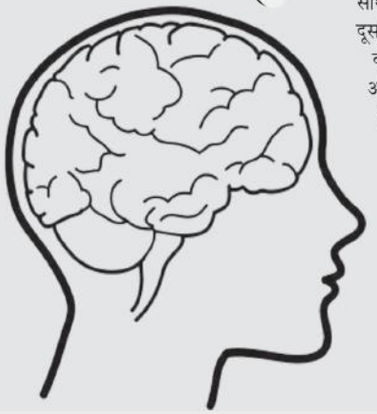

सात वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा उनके व्याख्या सहित उत्तर
(ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित)

1. गंगा ग्राम स्वच्छता सम्मेलन

प्र. गंगा ग्राम स्वच्छता योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

1. नमामि गंगे योजना के तहत अब एक नयी परियोजना लायी गयी है जिसका नाम गंगा ग्राम परियोजना रखा गया है।
2. इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और राज्यों में स्थित इसके समकक्ष संगठनों जैसे-राज्य कार्यक्रम प्रबंधन समूह द्वारा किया जाता है।
3. गंगा ग्राम परियोजना को 12 Nov, 2017 को केन्द्र सरकार ने औपचारिक रूप से आरंभ किया।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से कथन गलत है/हैं?

(a) केवल 1 व 3 (b) केवल 3
(c) केवल 1 व 2 (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर: (b)

व्याख्या: इस परियोजना को 23 Dec 2017 को केन्द्र सरकार ने औपचारिक रूप से आरंभ किया। इस तरह कथन 3 गलत है इसके अलावा दिए गये सभी कथन सही हैं इसलिए उत्तर (b) होगा। ■

2. ऑपरेशन ग्रीन्स

प्र. ऑपरेशन ग्रीन्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

1. देशभर में पूरे वर्ष तक मूल्यों में उतार-चढ़ाव के बिना टमाटर, प्याज और आलू की आपूर्ति और उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा 500 करोड़ रुपये की लागत से ऑपरेशन ग्रीन की घोषणा की गई।
2. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय टमाटर, प्याज और आलू के उत्पादन से लेकर भंडारण तक के परिवहन तथा इन फसलों के उचित भंडारण के किराए के लिए 50% सब्सिडी देगा।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/है?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1, व 2 दोनों (d) न तो 1 न ही 2

उत्तर: (c)

व्याख्या: हाल ही में भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने ऑपरेशन ग्रीन्स के लिए संचालन रणनीति को मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत मूल्य को स्थिर करने के लिए उपाय लागू करने हेतु नाफेड (NAFED) को नोडल एजेन्सी बनाया गया है। उपर्युक्त दोनों कथन सही हैं। इसलिए उत्तर (c) होगा। ■

3. ओजोन परत

प्र. निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें-

1. NASA के एक अध्ययन से पता चला है कि क्लोरोफ्लोरो कार्बन के उत्सर्जन में कमी के कारण ओजोन परत का छिद्र फिर से भरने लगा है।
2. ओजोन गैस पूरे पृथ्वी के ऊपर एक परत में छाया रहता है और UV किरणों के विकिरण को धरातल पर पहुँचने से रोकता है।
3. क्लोरोफ्लोरो कार्बन (CFC) एक मिश्रित गैस है, जिसमें क्लोरीन और कार्बन के तत्व होते हैं।

कूट

(a) केवल 1 व 3 (b) केवल 3
(c) केवल 1 व 2 (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर: (b)

व्याख्या: क्लूरोफ्लूरो कार्बन (CFC) एक यौगिक गैस है जिसमें क्लोरीन फ्लोरीन और कार्बन के तत्व होते हैं। इस तरह कथन 3 गलत है। इसलिए उत्तर (b) होगा। ■

4. दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ

प्र. दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (SAARC) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

1. सार्क के सचिवालय की स्थापना काठमांडू में 17 जनवरी 1987 को हुई।
2. चीन को 2005 में सार्क संगठन में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त हुआ।
3. सार्क में शामिल पर्यवेक्षक देशों को भी मताधिकार प्राप्त होता है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से कथन सही है/ हैं?

(a) केवल 1 व 3 (b) केवल 1 व 2
(c) केवल 3 (d) 1, 2 व 3

उत्तर: (b)

व्याख्या: कथन 1 और 2 सही है लेकिन कथन 3 सही नहीं हैं। चूँकि सार्क पर्यवेक्षकों को मताधिकार प्राप्त नहीं होता है। इसलिए उत्तर (b) होगा। ■

5. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 7

प्र. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 7 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. RBI अधिनियम की धारा 7 यह प्रावधान करती है कि केन्द्र सरकार समय-समय पर RBI गवर्नर से परामर्श करके भारतीय रिजर्व बैंक को लोकहित से संबंधित निर्देश दे सकती है
2. धारा 7 लागू होने की स्थिति में आरबीआई का सामान्य अधीक्षण तथा कामकाज का संचालन सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सौंप दिया जाता है।
3. इस धारा का सर्वप्रथम प्रयोग 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के समय हुआ था।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से कथन गलत है/हैं?

(a) केवल 1 व 2 (b) केवल 2 व 3
(c) केवल 3 (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर: (c)

व्याख्या: कथन 1 तथा 2 सही हैं, लेकिन कथन 3 गलत है। दरअसल RBI अधिनियम का धारा 7 का प्रयोग पहले कभी नहीं हुआ है। इसलिए इसका कार्यान्वयन कैसे होगा, यह स्पष्ट नहीं है। अत: उत्तर (c) होगा। ■

6. ब्लू बॉण्ड

प्र. ब्लू बॉण्ड के संदर्भ में गलत कथन का चयन करें-

(a) विश्व का पहला ब्लू बॉण्ड सेशेल्स द्वारा जारी किया गया।
(b) इस बॉण्ड के माध्यम से कोई भी देश सामुद्रिक संसाधनों के सतत उपयोग के लिये वित्त हेतु किसी भी प्रकार के पूंजी बाजार से धनराशि एकत्र कर सकता है।
(c) इस बॉण्ड में ब्लू ग्रांट्स निधि द्वारा अनुदान देने का भी प्रावधान है जिसका प्रबंधन सेशेल्स के संरक्षण एवं जलवायु अनुकूलन न्यास द्वारा किया जाएगा।
(d) ब्लू बॉण्ड को विश्व बैंक द्वारा 15 मिलियन डॉलर की गारंटी व वैश्विक पर्यावरण सुविधा को ध्यान में रखते हुए पाँच मिलियन डॉलर का रियायती ऋण भी उपलब्ध कराया गया है।

उत्तर: (d)

व्याख्या: सेशेल्स द्वारा जारी किये गए ब्लू बॉण्ड को विश्व बैंक द्वारा 5 मिलियन डॉलर की गारंटी प्राप्त है। इसके अतिरिक्त इसे वैश्विक पर्यावरण सुविधा की ओर से पाँच मिलियन डॉलर का रियायती ऋण भी उपलब्ध कराया गया है। इसलिए कथन (d) गलत है अत: उत्तर (d) होगा।■

7. नाभिकीय त्रिकोण

प्र. परमाणु पनडुब्बी अरिहंत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

1. भारत छठा ऐसा देश है जिसने अपनी परमाणु पनडुब्बी बनाने में कामयाबी हासिल की है।
2. आईएनएस अरिहंत ने 5 नवम्बर 2018 को अपना पहला गश्ती अभियान पूरा किया।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से कथन गलत है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 व 2 दोनों (d) न तो 1 न ही 2

उत्तर: (d)

व्याख्या: हाल ही में भारत सामरिक परमाणु पनडुब्बी अर्थात् न्यूक्लियर पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत ने 5 नवंबर 2018 को अपना पहला गश्ती अभियान सफलतापूर्वक पूरा कर लिया, इसके साथ ही भारत अमेरिका, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और चीन के बाद छठा देश हो गया है जिसने अपनी परमाणु पनडुब्बी बनाने में कामयाबी हासिल की हैं। ■

सात महत्वपूर्ण तथ्य

1. वह देश जिसने हाल ही में 01 दिसंबर से 31 जनवरी के बीच भारत समेत 20 देशों को वीजा ऑन अराइवल के शुल्क में छूट देने की घोषणा की है

- थाईलैंड

2. हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस वॉटर हाईवे के मल्टी मॉडल टर्मिनल का शुभारंभ किया गया

- प्रयागराज-हल्दिया

3. हाल ही में लॉन्च की गई ए. आर. रहमान की बायोग्राफी का नाम है

- नोट्स ऑफ अ ड्रीम

4. वह राज्य जिसने लड़कियों को स्नातक की पढ़ाई पूरी करने पर 25,000 रुपए देने की घोषणा की है

- बिहार

5. वह परियोजना जिसे वर्ष 2018 का यूनेस्को एशिया-प्रशांत पुरस्कार दिया गया

- लद्दाख पुनर्स्थापना परियोजना

6. वह आईआईटी जिसने सौर उर्जा से चलने वाली पोर्टेबल कोल्ड स्टोरेज डिवाइस का अविष्कार किया है

- आईआईटी मद्रास

7. वह स्थान जहां "ग्लोबल कूलिंग इनोवेशन सम्मिट" का आयोजन किया गया

- नई दिल्ली

सात महत्वपूर्ण योजनाएँ/परियोजनाएँ

1. आंतरिक लोकपाल योजना

- सितंबर, 2018 में भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए 'आंतरिक लोकपाल योजना, 2018' की शुरुआत की है।
- योजनांतर्गत भारत में 10 से अधिक बैंकिंग आउटलेट वाले बैंकों को अपने बैंकों में आंतरिक लोकपाल नियुक्त करना होगा।
- आंतरिक लोकपाल बैंकों की सेवा में कमी के फलस्वरूप उत्पन्न उन शिकायतों की जांच करेगा, जिन्हें बैंक द्वारा आंशिक रूप से या पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया गया है।
- शिकायतकर्ता को अंतिम निर्णय सूचित करने से पहले बैंक द्वारा सभी शिकायतों को पूर्णतया निवारण के लिए आंतरिक लोकपाल के पास भेजा जाएगा।
- आंतरिक लोकपाल योजना, 2018 के कार्यान्वयन की निगरानी भारतीय रिजर्व बैंक की विनियामकीय निगरानी के अतिरिक्त बैंक के आंतरिक लेखापरीक्षा तंत्र द्वारा भी की जाएगी।
- भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण के भाग के रूप में इस योजना को आंतरिक लोकपाल तंत्र के कार्य संचालन पर निगरानी प्रणाली को मजबूत बनाने और आंतरिक लोकपाल की स्वतंत्रता बढ़ाने के लिए शुरू किया है।
- यह योजना बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 के तहत शुरू की गई है।
- योजना में आंतरिक लोकपाल की नियुक्ति/कार्यकाल, भूमिका एवं उत्तरदायित्व प्रक्रियात्मक दिशा-निर्देश और निगरानी को शामिल किया गया है।
- ध्यातव्य है कि मई, 2015 में भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और चुनिंदा निजी एवं विदेशी बैंकों को आंशिक या पूर्णतया अस्वीकृत शिकायतों की समीक्षा करने के लिए एक स्वतंत्र प्राधिकारी के रूप में आंतरिक लोकपाल नियुक्त करने का परामर्श दिया था।
- आंतरिक लोकपाल तंत्र की स्थापना बैंकों की आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत करने के लिए की गई थी।
- साथ ही ग्राहकों की शिकायतों को बैंक स्तर पर ही बैंक के शिकायत निवारण तंत्र के उच्चतम स्तर पर स्थापित प्राधिकरण द्वारा निपटाया जा सके।

2. पतरातू सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट

- यह झारखण्ड सरकार और एनटीपीसी (NTPC) की सहायक कम्पनी पतरातू बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड (PVUN) के मध्य एक संयुक्त उद्यम (74:26) है।
- इस परियोजना से "प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य)" के अंतर्गत घरों के लिए 24x7 बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होगी।
- इस परियोजना की मुख्य विशेषताओं में सम्मिलित हैं-
  - ड्राई ऐश (dry ash) निपटान प्रणाली- वर्तमान में इसका NTPC के दादरी ताप बिजली संयंत्र में उपयोग किया जा रहा है।
  - जीरो लिक्विड डिस्चार्ज (ZLD) प्रणाली- इसके अंतगर्त संयंत्र से निकलने वाले अपशिष्ट जल, जिसमें लवण और अन्य अशुद्धियाँ होती हैं, को वाष्पित किया जाता है और स्वच्छ जल एकत्रित किया जाता है। ठोस अवशिष्ट का आगे भूमि-भराव प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाता है।
  - एयर कूल्ड कंडेंसर टेक्नोलॉजी- यह तकनीक जल की कम खपत सुनिश्चित करती है और उत्सर्जित भाप को सीधे स्टीम टरबाइन से संघनित होने देती है।
  - ऐश के परिवहन के लिए रेल लदान सुविधा।
  - यह परियोजना उच्च दक्षतायुक्त इलेक्ट्रोस्टैटिक अपवेक्षक (Electrostatic Precipitator), फ्लू-गैस निर्गंधकीकरण (Flue-Gas desulphurization : FGD) और NOx नियंत्रण उत्सर्जन के साथ नए उत्सर्जन मानदंडों के अनुरूप भी है।

3. पाकल दुल पनबिजली परियोजना

- 19 मई, 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकल दुल पनबिजली परियोजना (जम्मू एवं कश्मीर) का शिलान्यास किया।

- इस परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट होगी।
- यह परियोजना पूरी होने पर जम्मू एवं कश्मीर की सबसे बड़ी पनबिजली परियोजना होगी।
- आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की मंजूरी के अनुसार इस परियोजना की लागत राशि 8112.12 करोड़ रुपए है।
- भारत सरकार और जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा यह परियोजना समर्पित है।
- इसके कार्यान्वयन की समय सीमा परियोजना के आरंभ की तिथि से 66 माह है।
- इसमें डाउनस्ट्रीम परियोजनाओं से 650 एमयू का अतिरिक्त सृजन होगा।
- यह जम्मू एवं कश्मीर की पहली भंडारण परियोजना है।
- परियोजनान्तर्गत निर्माण चरण के दौरान प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के माध्यम से लगभग 3000 व्यक्तियों तथा परिचालन चरण के दौरान 500 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होगा।
- यह परियोजना किश्तवाड़ जिले में 'चिनाब' नदी पर निर्मित की जा रही है।
- इस परियोजना के तहत 4 विद्युत इकाइयां (250×4) मेगावाट स्थापित की जाएंगी।

4. बाड़मेर रिफाइनरी परियोजना

- 9 जनवरी, 2018 को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा प्रकाशित प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, 16 जनवरी, 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पचपदरा, राजस्थान में बाड़मेर रिफाइनरी के परियोजना कार्य का शुभारंभ करेंगे।
- इस परियोजना की लागत राशि 43,129 करोड़ रुपये होगी।
- अभियांत्रिकी समापन का लक्ष्य 4 वर्ष रखा गया है।
- इस रिफाइनरी की क्षमता 9 एमएमटीपीए होगी।
- रिफाइनरी में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) का इक्विटी शेयर 74 प्रतिशत और राजस्थान सरकार का इक्विटी शेयर 26 प्रतिशत होगा।
- 15 वर्षों तक प्रतिवर्ष 1123 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण तथा 16वें वर्ष से आगामी 15 वर्षों तक ऋण अदायगी का लक्ष्य निर्धारित है।
- नई रिफाइनरी अद्यतन बीएस-6 ईंधन का उत्पादन करेगी।
- निर्माण अवधि के दौरान अप्रत्यक्ष रूप से 40,000 नौकरियां और 1000 प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
- इससे सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में कौशल विकास और शिक्षा अर्जित करने की क्षमता में वृद्धि और जीवन स्तर में सुधार होगा।
- आर्थिक विकास के क्षेत्र में इससे पेट्रोकेमिकल पर आधारित अन्य उद्योग तथा अनुषंगी उद्योग स्थापित होंगे।
- सड़क एवं संचार नेटवर्क, स्कूल एवं कॉलेज तथा चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं सेवा उद्योग जैसे अवसंरचना का विकास होगा।
- ज्ञातव्य है कि वर्ष 2013 में भारत सरकार द्वारा यह परियोजना अनुमोदित की गयी थी।
- तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 22 सितंबर, 2013 (27 सितंबर, 2013 से आचार संहिता लागू होने के पूर्व) को बाड़मेर के पचपदरा में इसकी आधारशिला रखी थी।
- पूर्व में परियोजना का आईआरआर 6.32 प्रतिशत था जो अब 12.2 प्रतिशत है।
- इस कारण राज्य सरकार पर वित्तीय भार 56,040 करोड़ रुपये से घटकर 16,845 करोड़ रुपये हो गया है।
- इससे राज्य सरकार को लगभग 40,000 करोड़ रुपये की बचत हुई है।
- 188.80 करोड़ रुपये की भूमि लागत के एवज में भारत सरकार को इस परियोजना में इक्विटी प्रदान की गई है।
- परियोजना कार्य प्रारंभ करने हेतु पर्यावरण व वन मंत्रालय से पर्यावरण अनुमति तथा संशोधित परियोजना के लिए भारत सरकार से सभी आवश्यक अनुमति/अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।
- रिफाइनरी संयंत्र हेतु 4567.32 एकड़ जमीन और पचपदरा (बाड़मेर) में विपणन टर्मिनल हेतु 250 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया है।
- उल्लेखनीय है कि यह देश की पहली बीएस-6 ईंधन रिफाइनरी होगी।

5. जोजिला सुरंग परियोजना

- इस सुरंग पर काम 2026 में पूरा होने की संभावना है। इसके अलावा श्रीनगर-लेह हाईवे पर जेएड-मोड़ पर 6.5 किलोमीटर लंबी सुरंग भी अगले साल तक बन जाएगी।
- जोजिला टनल के लिए पहली बार 1997 में भारतीय सेना की ओर से सर्वे किया गया था। इसके बाद 1999 के करगिल युद्ध

के बाद इसकी योजना को अमलीजामा पहनाने की तैयारी हुई। एक अधिकारी ने कहा कि यह परियोजना लद्दाख के लोगों को हर मौसम में कनेक्टिविटी देने के वादे को पूरा करेगी। जेएड-मोड़ टनल और जोजिला सुरंग 20 किलोमीटर लंबी होंगी और इससे रास्ता बेहद आसान हो सकेगा।

- सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के मुताबिक जोजिला टनल एशिया की सबसे लंबी दो रास्ते की टनल होगी। यह सुरंग मौजूदा हाईवे के नीचे 400 मीटर दूरी तक गुजरेगी। खासतौर पर यह सेना के लिए खासी महत्वपूर्ण होगी, जिसे सर्दियों के मौसम में करगिल पोस्ट पर रसद पहुंचाने में समस्या आती थी। अब हर मौसम में सीमा चौकियों तक सामग्री पहुंचाई जा सकेगी। रणनीतिक लिहाज से भारत के लिए यह बड़ी बढ़त होगी।
- इस टनल के बन जाने के बाद तीन घंटे का सफर महज 15 मिनट में ही पूरा हो सकेगा। इस टनल में 80 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से वाहन गुजर सकेंगे। हाई-टेक कॉम्युनिकेशंस समेत इस टनल पर तमाम जरूरी सेफ्टी फीचर्स भी उपलब्ध होंगे।
- श्रीनगर-करगिल-लेह हाइवे पर 11,578 फुट की ऊंचाई पर स्थित जोजिला दर्रे में बन रही टनल से लद्दाख हर मौसम में कश्मीर घाटी से जुड़ा रह सकेगा। फिलहाल नवंबर से मार्च के दौरान लद्दाख का संपर्क देश के अन्य हिस्सों से कट जाता है। यहां तापमान -45 डिग्री तक नीचे चला जाता है, ऐसे में यह परियोजना इंजिनियरिंग का भी एक बेहतर नमूना होगा।
- इस सुरंग के बन जाने से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के बीच भौगोलिक एकता मजबूत होने के साथ ही सांस्कृतिक एकता भी मजबूत होगी। खासतौर पर पिछड़े जिलों के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण परियोजना साबित हो सकती है।
- इस सुरंग के निर्माण में 4,899 करोड़ रुपये की लागत आएगी, जबकि जमीन अधिग्रहण, विस्थापन और अन्य गतिविधियों को मिलाकर कुल खर्च 6,808 करोड़ रुपये होगा। इसमें 4 साल के लिए टनल की ऑपरेशनल कॉस्ट भी शामिल होगी।
- सरकार का कहना है कि इस टनल के बन जाने पर लद्दाख क्षेत्र में रोजगार के पर्याप्त अवसर तैयार होंगे। लद्दाख की खूबसूरत वादियों में पर्यटकों की आवक में इजाफा होगा। फिलहाल यहां हवाई मार्ग के जरिए ही ज्यादातर टूरिस्ट आते हैं।
- लद्दाख में चीन और करगिल सेक्टर में पाकिस्तान से लगती सीमा पर सैनिकों तक रसद पहुंचाने के लिए भी यह टनल बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी।
- इस परियोजना पर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और नेशनल हाईवेज ऐंड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड काम करेंगे।

6. अटल भूजल योजना

- केंद्र सरकार द्वारा लगातार घटते भूजल के संकट का सामना करने हेतु जल संरक्षण की महत्वाकांक्षी योजना 'अटल भूजल योजना' (Atal Bhujal Yojana) तैयार की गई है।
- योजना का उद्देश्य भूजल का पुनर्भरण करना और कृषि क्षेत्र के लिए पर्याप्त जल भंडारण करना है।
- साथ ही सतह जल निकायों का पुनरूद्धार करना ताकि विशेषरूप से ग्रामीण क्षेत्रों में भूजल स्तर बढ़ाया जा सके।
- अटल भूजल योजना का कार्यान्वयन केंद्रीय जल संसाधान मंत्रालय द्वारा किया जाएगा।
- योजना का कार्यान्वयन गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में किया जाएगा।
- योजना के तहत उपर्युक्त राज्यों के 78 जिलों, 193 ब्लॉकों और 8300 से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित किया जाएगा।
- योजना के लिए आवंटन 6000 करोड़ रुपये है, जिसमें से 3000 करोड़ रुपये बजटीय सहायता और 3000 करोड़ रुपये विश्व बैंक से प्राप्त होगा।
- योजना की कार्यान्वयन अवधि 5 वर्ष की होगी।
- उल्लेखनीय है कि वर्ष 2016-17 के बजट में 'राष्ट्रीय भूजल प्रबंध सुधार योजना' (NGMIS : National Groundwater Management Improvement Scheme) की घोषणा की गई थी।
- मई, 2017 में व्यय वित्त समिति द्वारा योजना को बंद कर दिया गया था।
- तत्पश्चात योजना को पुनर्निर्मित करते हुए इसका नामकरण 'अटल भूजल योजना' किया गया।
- विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में प्रतिवर्ष लगभग 245 बिलियन घन मीटर भूजल का दोहन किया जाता है जो कि सकल वैश्विक भूजल दोहन का लगभग 25 प्रतिशत है।
- विगत 4-5 दशकों में भारत में शहरी एवं ग्रामीण जलापूर्ति का 80 प्रतिशत भूजल पर निर्भर है।

7. बाणसागर नहर परियोजना

- 15 जुलाई, 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में आयोजित कार्यक्रम में बाणसागर नहर परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया।

- इस परियोजना से मिर्जापुर और इलाहाबाद के आस-पास के क्षेत्रों में 1.5 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि सिंचित हो सकेगी।
- यह नहर परियोजना 1978 में शुरू की गई थी।
- परियोजना की लागत राशि 3420 करोड़ रुपये है।
- इस परियोजना की अवधारणा लगभग चार दशक पूर्व बनाई गई थी।
- वर्ष 2014 के बाद यह परियोजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का हिस्सा बनी।
- इस परियोजना से लगभग 1,70,000 किसान लाभान्वित होंगे।
- उत्तर प्रदेश में बाणसागर नहर परियोजना से लाभान्वित होने वाले जिले मिर्जापुर, इलाहाबाद, भदोही, सोनभद्र तथा चंदौली हैं।
- ज्ञातव्य है कि बाणसागर मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के देवलोंद नामक स्थान पर निर्मित अंतरराज्यीय बहुउद्देश्यी नदी घाटी परियोजना है।
- यह परियोजना मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार सरकार का संयुक्त उद्यम है।
- बाणसागर बांध सोन नदी पर निर्मित किया गया है।
- इस बांध की ऊंचाई 67 मीटर और लंबाई 1020 मीटर है।
- इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में प्रथम चरण में खुलने वाले 100 जन औषधि केंद्रों का उद्घाटन एवं मिर्जापुर चिकित्सा महाविद्यालय का शिलान्यास किया।
- उन्होंने चुनार के बालूघाट में गंगा नदी पर नवनिर्मित पुल को राष्ट्र को समर्पित किया।
- इस पुल से मिर्जापुर एवं वाराणसी के मध्य संपर्क मार्ग सुगम होगा।
- इसके अलावा प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राजमार्ग, 76 E, वेलवन नदी पर निर्मित सेतु व पहुंच मार्ग, बेलन नदी के कोटा घाट पर पुल व पहुंच मार्ग का भी शिलान्यास किया।
- उल्लेखनीय है कि इस नहर की लंबाई 171 किमी. है।

सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु)

1. ''बढ़ते वायु प्रदूषण ने दिल्ली को एक गैस-चैम्बर में बदल दिया है, जिसका सबसे बड़ा शिकार बच्चे और बूढ़े हो रहे हैं।'' इस संदर्भ में इस बढ़ रहे प्रदूषण के कारणों को स्पष्ट करते हुए इसको कम करने के उपाय सुझाइए।

2. भारत-जापान के बीच संपन्न हुआ 'तुरगा पनबिजली परियोजना' कहाँ तक भारतीय हितों को साधने में सक्षम है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दें।

3. क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि ''आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाँ एक तरफ अवसरों की खुली खिड़की है वही दूसरी तरफ मानव संसाधनों के महत्व को कम करने वाली कड़ी। चीन द्वारा निर्मित 'वर्चुअल न्यूज एंकर' के संदर्भ में इस कथन कि समीक्षा कीजिए।

4. भारतीय प्रादेशिक नौपरिवहन उपग्रह प्रणाली (आई.आर.एन.एस.)की आवश्यकता क्यों है? यह नौपरिवहन में किस प्रकार सहायक है?

5. अमेरिका और ईरान के बीच गत वर्षों के संबंध के आलोक में बताइए कि अमेरिका द्वारा ईरान से तेल आयात करने की अस्थायी छूट भारतीय अर्थव्यवस्था और वैश्विक बाजार को कैसे प्रभावित करेगी?

6. क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि वर्तमान में बच्चों के खिलाफ होने वाली हिंसा में वृद्धि हुई है? बाल हिंसा के विरुद्ध 'यूनिसेफ' की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए।

7. ब्लू बॉण्ड से आप क्या समझते हैं? यह बॉण्ड कहाँ तक सामुद्रिक संसाधनों के संरक्षण एवं मत्स्य पालन परियोजनाओं के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है?

CALL US

FACE-TO-FACE CENTRES

MUKHERJEE NAGAR

635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009, Ph: 011-47354625 / 26, (+91)-9205274741 / 42

RAJENDRA NAGAR

25B, 2nd Floor, Pusa Road, Old Rajendra Nagar, Metro Pillar Number 117, Delhi-110060, Ph: (+91)- 9205274745 / 43

LAXMI NAGAR

1/53, 2nd floor, Lalita Park, Laxmi Nagar, Delhi-110092 Ph: 011-43012556, (+91)- 9311969232

ALLAHABAD

2nd & 3rd Floor, Shri Ram Tower, 17C, Sardar Patel Marg, Civil Lines, Allahabad, U.P.- 211001, Ph: 0532 2260189, +91 8853467068

LUCKNOW

A-12, Sector-J, Aliganj, Lucknow, U.P.-226024, Ph: 0522 4025825, +91 9506256789

GREATER NOIDA

Plot No. 28/1A Knowledge Park III, Greater Noida, U.P.-201306, Ph: +91 9205336037 / 38

BHUBANESWAR, ODISHA

Oeu Tower, Third Floor, KIIT Road, Patia, Bhubaneswar, Odisha-751024, Ph: +91 9818244644, 7656949029

LIVE STREAMING CENTRES

BIHAR – PATNA 9334100961, **CHANDIGARH**- 8146199399 **DELHI & NCR**- FARIDABAD 9711394350, 01294054621, HARYANA- KURUKSHETRA 8950728524, 8607221300, YAMUNANAGAR 9050888338, **MADHYA PRADESH** - GWALIOR 9098219190, JABALPUR 8982082023, 8982082030, REWA 9926207755, 7662408099 **PUNJAB**- PATIALA 9041030070, **RAJASTHAN**- JODHPUR 9928965998, **UTRAKHAND**- HALDWANI 7060172525 **UTTAR PRADESH**- BAHRAICH 7275758422, BAREILLY 9917500098, GORAKHPUR 7080847474, 7704884118, KANPUR 7275613962, LUCKNOW (ALAMBAGH) 7570009004, 7570009006, LUCKNOW (GOMTI NAGAR) 7570009003, 7570009005, MORADABAD 9927622221, VARANASI 7408098888

FOR DETAILS, VISIT US ON
DHYEYAIAS.COM
011-49274400

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

AN INTRODUCTION

ध्येय IAS की स्थापना श्री विनय सिंह और श्री क्यू.एच. खान द्वारा एक दशक पूर्व की गयी थी। अपनी स्थापना के समय से ही इस संस्थान की सफलता की कहानी अद्वितीय रही है। आज यह संस्थान सिविल सेवा की कोचिंग प्रदान करने वाले प्रतिष्ठित संस्थानों में उच्च स्थान रखता है। संस्थान योग्य उम्मीदवारों द्वारा उनके सपनों को साकार कराने में काफी सफल रहा है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण इसकी पिछले वर्षों की सफल कहानियाँ हैं।

बड़ी संख्या में ऐसे छात्र, जो इस कठिन परीक्षा में शामिल होकर अपने भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास उचित संसाधनों की कमी है जबकि कई अन्य छात्र जिनके पास एक मेधावी अकादमिक पृष्ठभूमि तो है लेकिन उन्हें यह जानकारी नहीं होती है कि प्रतियोगी परीक्षाओं और अकादमिक परीक्षाओं में एक बड़ा अंतर है और यह परीक्षा विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक रूप से सुनियोजित मार्गदर्शन की अपेक्षा करती है। यहाँ सही दिशा में रखा गया एक कदम किसी को भी निरपवाद रूप से कईयों से आगे कर सकता है। ध्येय IAS अनुभवी एवं योग्य मार्गदर्शकों की टीम तथा विशेष रूप से तैयार की हुई पाठ्य सामग्री से सुसज्जित है, जो छात्रों को उनके ऐच्छिक लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता प्रदान करता है।

सिविल सेवा परीक्षा निर्दिष्ट विषयों के आधारभूत ज्ञान की मांग करती है। यद्यपि ये विषय स्कूल और कॉलेजों में पढ़ाये जाते हैं लेकिन उनका दृष्टिकोण इस परीक्षा की दिशा में नहीं होता है। ध्येय IAS की कक्षाएँ दृष्टिकोण के मामले में स्कूल और कॉलेजों की कक्षाओं से भिन्न होती हैं। ये कक्षाएँ इस विशेष परीक्षा पर केंद्रित होती हैं। ध्येय IAS में प्रदान की जाने वाली मार्गदर्शक कक्षाएँ छात्र के केंद्रित रहने, सीखने और अन्वेषण की क्षमता की अभिवृद्धि करती हैं, क्योंकि हम इस बात से पूर्णत: अवगत हैं कि आप किसी व्यक्ति को शिक्षा नहीं दे सकते बल्कि अपने अंदर उसे खोजने में उसकी मदद कर सकते हैं।

DSDL Prepare yourself from distance

जिस प्रकार **ध्येय IAS** अपनी क्लासरूम परिचर्चा कार्यक्रम की गुणवत्ता एवं सही रणनीति के साथ मार्गदर्शन के लिए प्रतिभागियों के बीच अपनी एक अलग पहचान बनायी है, उसी प्रकार एक नए उद्देश्य के साथ ऐसे कार्यक्रम को प्रारम्भ किया है जो विशेष रूप से उन प्रतिभागियों के लिए संरचित है जो अपनी व्यक्तिगत सीमाओं के कारण क्लासरूम कार्यक्रम का लाभ नहीं उठा पाते हैं। ऐसे प्रतिभागियों को यदि समय-समय पर सही मार्गदर्शन के साथ दिशा-निर्देश दिया जाए, तो वे अपनी सीमाओं के बावजूद सफलता को आसानी से सुनिश्चित कर सकते हैं। इसी उद्देश्य पर आधारित यह कार्यक्रम केवल संस्था के नाम पर नोट्स उपलब्ध कराने तक ही सीमित नहीं है बल्कि प्रतिभागियों एवं शिक्षक के मध्य सम्बन्ध स्थापित करने की एक कड़ी भी है। दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है सारगर्भित, वस्तुनिष्ठ एवं विस्तृत अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराना। इस अध्ययन सामग्री निर्माण का लक्ष्य है कि हमसे कोई भी तथ्य छूटे नहीं बल्कि सही दिशा में सम्पूर्ण सामग्री का निर्माण हो। इस कार्यक्रम के तहत निर्मित अध्ययन सामग्री प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में समान रूप से उपयोगी है। **हमारा विश्वास है गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री निर्माण करना जो आपके सिविल सेवा के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक बन सके।**

ध्येय IAS अब व्हाट्सएप पर
Dhyeya IAS Now on Whatsapp

ध्येय IAS के व्हाट्सएप ग्रुप से जुडने के लिए 9205336039 पर "Hi Dhyeya IAS" लिख कर मैसेज करें

आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी जुड सकते हैं

www.dhyeyaias.com
www.dhyeyaias.in

ध्येय IAS
most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400